सुबोध-हिन्दी-व्याकरण

हिन्दी रत्न तथा पंजाब और दिल्ली के मैट्रिकुलेशन के विद्यार्थियों के लिए

रामदेव एम्. ए.

हिन्दी भवन, लाहौर

सुबोध-हिन्दी-व्याकरण

FOR HINDI RATNA AND MATRICULATION STUDENTS
BASED ON THE NEW SYLLABUS OF
THE PUNJAB AND DELHI UNIVERSITIES

लेखक—

प्रो. रामदेव एम्. ए.

प्रकाशक—

हिन्दी भवन, लाहौर

[दूसरा संस्करण]　　१९३४　　[मूल्य ।।।)

श्री धमचन्द्र विशारद
हिन्दी भवन,
लाहौर

मुद्रक—
श्री देवचन्द्र विशारद
हिन्दी भवन प्रेस,
लाहौर

10x15
13000

विषय-सूची

प्रस्तावना १

पहला खण्ड—वर्ण-विचार

वर्णमाला ६

दूसरा खण्ड—शब्द-विचार

पहला अध्याय	शब्दों का वर्गीकरण	१७
दूसरा अध्याय	संज्ञा	२२
तीसरा अध्याय	संज्ञाओं के रूपान्तर	२५
चौथा अध्याय	सर्वनाम	५१
पाँचवाँ अध्याय	विशेषण	६९
छठा अध्याय	क्रिया	८०
सातवाँ अध्याय	क्रियाओं रूपान्तर	९९
आठवाँ अध्याय	क्रियाविशेषण	१३०
नवाँ अध्याय	सम्बन्धबोधक अव्यय	१३६
दसवाँ अध्याय	योजक	१४०
ग्यारहवाँ अध्याय	विस्मयादिबोधक	१४४
बारहवाँ अध्याय	शब्दों की व्युत्पत्ति	१४६
तेरहवाँ अध्याय	समास	१५७
चौदहवाँ अध्याय	सन्धि	१६५
पन्द्रहवाँ अध्याय	तत्सम और तद्भव शब्द	१७२

तीसरा खण्ड—वाक्य-विचार

पहला अध्याय	क्रम और मेल	१७५
दूसरा अध्याय	प्रयोग—मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ	१८४
तीसरा अध्याय	वाक्य के भाग	२०३
चौथा अध्याय	वाक्य के भेद और विग्रह	२०६
पाँचवाँ अध्याय	चिह्न-विचार	२१३

सुबोध-हिन्दी-व्याकरण

प्रस्तावना

संस्कृत शब्द 'भाषा' का अर्थ 'सार्थक बोली' है, सार्थक बोली केवल मनुष्य बोलते हैं। अन्य प्राणियों की बोली और तबला आदि वाद्ययन्त्र से निकली हुई आवाज़ ध्वनि (अस्पष्ट आवाज़) कहलाती है। जैसे—काकध्वनि, सिंहध्वनि। कौवे की एक समान 'काँ' 'काएँ' से कौवे के आन्तरिक भावों का स्पष्ट पता नहीं लग सकता, अनुमान हम भले ही कर लें। पर मनुष्यों के भाव तथा विचार उनके बोलने से स्पष्ट जाने जा सकते हैं। मनुष्य में ही यह योग्यता है कि वह सोच सकता है और अपने सोच के परिणामों को दूसरों पर स्पष्टतया प्रगट भी कर सकता है। यह प्रकट करने का काम वह भाषा द्वारा करता है अतः भाषा आन्तरिक विचारों तथा भावों को दूसरों पर स्पष्टतया प्रगट करने का सबसे सुगम साधन है। जगत् का व्यवहार बिना एक दूसरे पर अपने विचार प्रगट किये और बिना एक दूसरे के विचारों को

जाने नहीं चल सकता, अतः 'भाषा' को जगत् के व्यवहार का मूल माना गया है। भिन्न भिन्न देशों अथवा प्रान्तों की भिन्न भिन्न भाषाएं होती हैं। जैसे—इग्लैंड की इंग्लिश, पंजाब की पंजाबी। इसी प्रकार हिन्द (भारतवर्ष) के एक बड़े भाग की भाषा है हिन्दी।

विचारों तथा आन्तिरिक भावों का प्रकटीकरण दो प्रकार से होता है—**बोलकर** और **लिखकर**। मैं कहीं बाहर जाने का निश्चय करता हूँ। यह निश्चय दूसरों को बताना है। यदि सुननेवाला पास मौजूद है अथवा दूर होते हुए भी टैलीफोन आदि द्वारा सुन सकता है तो 'मैं जा रहा हूँ' ऐसा बोलकर मैं अपने जाने की सूचना दे देता हूँ और अगर कोई मनुष्य पास में नहीं अथवा कोई पास है और बहरा होने कारण सुन नहीं सकता तो 'मैं (अमुक स्थान पर) जा रहा हूँ' ऐसा लिख देता हूँ; मेरे उस लिखे को पढ़कर उसे मेरे जाने का ज्ञान हो जाता हो जाता है। बोलना ध्वनियों से होता है लिखना अक्षरों वा वर्णों से। **अक्षर वा वर्ण ध्वनियों के माने हुए चिह्न हैं।** एक ही ध्वनि के भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न चिह्न होते हैं; जैसे—'व' ध्वनि को हिन्दी में 'व' लिखते हैं उर्दू में 'و' अंगरेजी में 'V' या 'W'। ध्वनियाँ सुनी जाती हैं वर्ण देखे तथा पढ़े जाते हैं।

एक या अधिक वर्ण अथवा ध्वनियाँ मिलकर 'शब्द' बनते हैं; जैसे—ब्+आ+ल्+अ+क्+अ=बालक तथा ल्+ए+ख्+अ+न्+ई=लेखनी। **शब्द किसी न किसी अर्थ को**

प्रकट करते हैं। जैसे—बालक का अर्थ है बच्चा तथा लेखनी का अर्थ है 'वह वस्तु जिससे लिखते हैं'। शब्द भी अकेले अकेले पूरे आशय को प्रगट नहीं करते। 'मेज़', 'उठाओ', 'स्थान', 'खाली', 'है', इन शब्दों का अपना अपना अर्थ होते हुए भी कोई विशेष आशय इन शब्दों से अकेले अकेले नहीं प्रगट होता। हाँ 'मेज़ उठाओ' 'स्थान खाली है' इस प्रकार शब्दों को जोड़ने से पूरी बात पता लग जाती है। जब **दो या अधिक शब्द इस प्रकार मिलकर पूरी बात प्रगट करें तो 'वाक्य' कहलाते हैं।** 'मेज़ उठाओ' और 'स्थान खाली है' वाक्य हैं।

वाक्य बनाने के लिए जब शब्द एक दूसरे से मिलते हैं तो वाक्य के अर्थानुसार उनके रूप भी प्रायः बदल जाते हैं। शब्दों के रूपान्तर से और उनके क्रम परिवर्तन से वाक्य के अर्थ भिन्न भिन्न हो जाते हैं। जैसे—'कुत्ता खड़ा है', 'कुत्ते खड़े हैं', इसी प्रकार 'कुत्ते ने मोहन को काटा', 'मोहन ने कुत्ते को काटा', इनमें अर्थ-भेद है। पहले दो वाक्यों में अर्थ-भेद शब्दों के रूपान्तर से और पिछले दो वाक्यों में शब्दों के क्रम-भेद से हुआ है। ऐसे ही जब वर्णों के मेल से नये शब्द बनते हैं तब उनमें एक दूसरे वर्ण के आगे या पीछे लग जाने से उस शब्द का अर्थ सर्वथा बदल जाता है या दो अक्षरों के आसपास होने के कारण उनका मेल हो जाने से उन अक्षरों के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे—पुत्र=बेटा, सुपुत्र=अच्छा बेटा तथा कुपुत्र=बुरा बेटा; हिम+आलय=हिमालय, देव+इन्द्र=देवेन्द्र।

हमारे भावों को सुननेवाले अथवा पढ़नेवाले हमारे कथन का ठीक ठीक अर्थ जान लें तथा लिखने में वर्णों का शुद्ध रूप लिख सकें इसके लिए शब्दों के रूपों और क्रम का तथा वर्णों के रूप-परिवर्तन के नियमों का ज्ञान आवश्यक है। **जिस विद्या से वर्णों के रूप परिवर्त्तन का तथा शब्दों के ठीक ठीक रूपों और वाक्य में प्रयुक्त होते समय उन के यथोचित क्रम का पता चले उसका नाम है 'व्याकरण अर्थात् व्याकरण वह विद्या या शास्त्र है जो किसी भाषा के शब्दों के शुद्ध रूपों और वाक्यों के प्रयोग के नियमों आदि का ज्ञान कराता है।** किसी भाषा के शुद्ध बोलने अथवा लिखने के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है।

इसमें सन्देह नहीं कि साधारण लोग बिना व्याकरण पढ़े प्राय: शुद्ध बोलते और लिखते हैं तथा किसी के अशुद्ध भाषा बोलने पर टोक भी देते है, पर 'क्या अशुद्धि हुई है', 'क्यों यह अशुद्धि हुई', यह ज्ञान व्याकरण के ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। व्याकरण (वि+आ+करण) शब्द का अर्थ है खोल करके अच्छी तरह समझाना, अर्थात् व्याकरण द्वारा किसी भाषा के नियमों का अच्छी तरह ज्ञान कराया जाता है।

ऊपर हम बता चुके हैं कि वर्णों के मेल से शब्द तथा शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं; अतएव इन तीनों—वर्ण, शब्द तथा वाक्य—के विचार से व्याकरण के मुख्य तीन भाग किये जाते हैं।

१ वर्ण-विचार, २ शब्द-विचार, ३ वाक्य-विचार।

वर्ण-विचार में अक्षरों या वर्णों के भेद, आकार तथा उच्चारण इत्यादि का वर्णन होता है। शब्द-विचार में शब्दों के भेद व्युत्पत्ति तथा रूपान्तरों आदि का वर्णन होता है, तथा वाक्य-विचार में शब्दों से वाक्य बनाने के नियम, वाक्य-खण्ड और वाक्य-भेद इत्यादि का विवेचन किया जाता है।

पहला खंड

वर्ण-विचार
(Orthography)

वर्णमाला

वर्ण उस मूल ध्वनि के चिह्न को कहते हैं जिसके और टुकड़े न हो सकें। जैसे—इ, उ, च् आदि। 'दिन' इस शब्द में मोटे तौर से दो ध्वनियाँ मालूम होती हैं 'दि' और 'न' पर यदि और गहराई से देखें और इन ध्वनियों का विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि 'दि' में दो ध्वनियाँ हैं 'द्' और 'इ' और 'न' में भी 'न्' और 'अ' दो ध्वनियाँ हैं। इन द्, इ, न्, अ ध्वनियों का और विश्लेषण असम्भव है अतः ध्वनि के इन अन्तिम प्रतिनिधियों अथवा संकेतों को वर्ण कहेंगे।

किसी भाषा में प्रयुक्त सारे वर्णों (अक्षरों) को उस भाषा की **वर्णमाला** (Alphabet) कहते हैं और जिस प्रकार वे वर्ण

लिखे जाते हैं (अकेले अकेले अथवा शब्द या वाक्य के रूप में) वह उस भाषा की लिपि कहलाती है। हिन्दी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम है देवनागरी लिपि।

हिन्दी वर्णमाला में ४६ अक्षर हैं—

अ (अ) आ (आ) इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ (ओ) औ (औ)

क ख ग घ ङ। च छ ज झ (झ) ञ।

ट ठ ड ढ ण (ण)। त थ द ध न।

प फ ब भ म। य र ल (ल) व।

श (श) ष स ह। अं अः।

(कोष्ठ में के अक्षर साथवाले अक्षरों के दूसरे रूप हैं)

इनके अतिरिक्त हिन्दी में और भी कई ध्वनियाँ हैं; जैसे— ख़त , ग़ौर, ज़मीन, पड़ना, पढ़ना, और फ़ल में क्रम से ख़, ग़, ज़, ड़, ढ़, और फ़ की आवाज़ें।

ऊपर लिखे अक्षरों में पहले ११ को **स्वर** (Vowels) कहते हैं क्योंकि ये अपने आप अर्थात् बिना किसी अन्य अक्षर की सहायता के बोले जा सकते हैं। शेष ३५ अक्षर **व्यञ्जन** (Consonants) कहलाते हैं। वे बिना स्वर की सहा-यता के नहीं बोले जा सकते। यदि हम व्यञ्जन के साथ कोई स्वर न भी बोलना चाहें तो भी प्रत्येक व्यञ्जन के साथ 'अ' का बोला जाना अनिवार्य-सा है, नहीं तो उसका उच्चारण नहीं हो सकता। यही कारण है कि ऊपर लिखे सभी व्यञ्जनों में उच्चारणार्थ 'अ' का मेल कर दिया गया है वस्तुतः इनका स्वतन्त्र रूप क्, ख्......इत्यादि है। (ं) अनुस्वार और

(:) विसर्ग भी व्यञ्जनों में गिनाये गये हैं क्योंकि व्यजनों की भाँति इनका उच्चारण भी बिना स्वर के मेल के नहीं होता। स्वर (मात्रा के रूप में) व्यञ्जनों के पश्चात् आकर उनके उच्चारण में सहायता देते हैं पर ये स्वर अनुस्वार और विसर्ग के पूर्व आते हैं [किसी अक्षर के आगे 'कार' मिलाकर बोलने से उसी अक्षरमात्र का बोध होता है; जैसे—'ककार से 'क्' का परन्तु 'र्' का बोध रेफ से होता है]।

अनुस्वार (ं) और विसर्ग (:) के अतिरिक्त एक और भी चिह्न है; उसे चन्द्रबिन्दु(ँ)या अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार के उच्चारण में श्वास केवल नासिका से निकलता है पर अनुनासिक के उच्चारण में वह मुख और नासिका से एक साथ निकलता है। सारांश यह कि अनुस्वार तीव्र और अनुनासिक धीमी ध्वनि है। अंधा, आँचल; हंस, हँसना इन शब्दों से यह भेद स्पष्ट होता है।

स्वर Vowels

ऊपर लिखे ११ स्वरों में अ, इ, उ, ऋ ह्रस्व (Short) कहलाते हैं शेष दीर्घ (Long); जैसे—आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ औ। जितना समय ह्रस्व के उच्चारण में लगता है उससे दुगना समय दीर्घ के उच्चारण में लगता है और चिल्लाते या पुकारते समय जब किसी स्वर के उच्चारण करने में ह्रस्व से तिगुना समय लगे तो वह स्वर प्लुत कहलाता है। जिस स्वर को प्लुत दर्शाना हो उसके आगे ३ का अंक लगा देते हैं; जैसे—रे ३ मुन्ने ३। ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर तथा दीर्घ स्वरों को सन्धि

स्वर भी कहा जाता है। क्योंकि ह्रस्व स्वरों की उत्पत्ति किसी दूसरे स्वर के मेल से नहीं होती परन्तु दीर्घ स्वरों की उत्पति दो मूल स्वरों के मिलने से होती है। जैसे—अ+अ=आ, इ+इ=ई, उ+उ =ऊ, अ+इ=ए, अ+उ=ओ, अ+ए=ऐ, अ+ओ=औ,

उच्चारण के अनुसार स्वरों के दो भेद हैं—(१) सानुनासिक—जिनके उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़े; जैसे—पाँव में 'आँ' का उच्चारण। (२) निरनुनासिक—जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है, नाक की सहायता नहीं लेनी पड़ती; जैसे—कान में 'आ' का उच्चारण। किसी स्वर के ऊपर (ं) अथवा (ँ) लगाने से वह अनुनासिक बन जाता है।

जब ये स्वर व्यञ्जनों के पीछे आकर उनके साथ मिलते हैं तो इनके और रूप हो जाते हैं, तब इन्हें मात्रा कहते हैं। वे रूप ये हैं—

स्वरों के स्वतन्त्ररूप	आ	इ	ई	उ	ऊ	ऋ	ए	ऐ	ओ	औ
स्वरों की मात्राएँ	ा	ि	ी	ु	ू	ृ	े	ै	ो	ौ

क् के साथ इन मात्राओं के जोड़ने से का, कि, की, कु, कू, कृ, के, कै, कौ रूप क्रम से बनते हैं। व्यञ्जनों के साधारण रूप में 'अ' का मेल हुआ रहता है। जहाँ कोई व्यञ्जन 'अ' के बिना दिखाना हो वहाँ उसके नीचे तिरछी लकीर (्) लगा दी जाती है, इसे हल् कहते हैं। जैसे—क=क्+अ। इन मात्राओं में ा, ी, ो, ौ व्यञ्जन के पीछे लगती हैं; ि पहले े और ै ऊपर, ु और ृ अक्षरों के नीचे लगाई जाती हैं। र् के साथ ु, ू उसके मध्य में आती हैं जैसे रु, रू। जब

स्वरों के साथ ं अथवा : का मेल करना हो तो (चाहे स्वतन्त्र आकार में हों चाहे व्यजनों के साथ मात्रा रूप में हों) क्रम से उनके ऊपर ं बिन्दी अथवा पीछे खड़ी दो बिन्दियाँ : लगा दी जाती है। र्+ऋ=ऋृ विशेष मेल है।

एक ही स्थान से उच्चारण होने वाले वर्ण सवर्ण कहलाते हैं: जैसे—इ, ई सवर्ण है पर इ ऊ असवर्ण।

स्वरों के उच्चारण में कुछ विशेषताएँ

(क) आकारान्त शब्द के अन्त 'अ' का उच्चारण प्रायः नहीं होता। जैसे 'गुण' का उच्चारण 'गुण्' के जैसा है। पर यदि अन्त्य 'अ' के पहले संयुक्त व्यंजन आवे, अथवा 'य्' हो और 'य्' से पूर्व इ, ई या ऊ आवे अथवा 'अ' के पूर्व एक ही अक्षर हो या यह अकारान्त शब्द कविता में आया हो तो अन्त्य 'अ' का पूरा उच्चारण होता है; जैसे—सत्य, धर्म, द्रव्य प्रिय, आत्मीय, राजसूय, न।

(ख) तीन या चार वर्णों के कई शब्दों में बीच के 'अ' का भी उच्चारण नहीं होता; जैसे—जागना का उच्चारण जाग्ना होता है तथा रामदेव का राम्देव।

(ग) हिन्दी-शब्दों में 'ऐ' और 'औ' का उच्चारण संस्कृत-शब्दों में प्रयुक्त 'ऐ' और 'औ' के उच्चारण से भिन्न होता है। जैसे—

(संस्कृत) तैल, शैल, औषध, कौतुक इत्यादि।

(हिन्दी) बैल, ऐसा, और, कौन इत्यादि।

हिन्दी में 'ऐ' और 'औ' 'अय्' और 'अव्' के समान

उच्चारण किये जाते हैं यही कारण है कि 'जय' और 'जै' का उच्चारण एक समान होता है।

(घ) 'ऋ' का उच्चारण 'रि' के समान होता है; ऋषि=रिषि।

(ङ) कई हिन्दी के लेखक फ़ारसी के और अँगरेज़ी के स्वरों का विशेष उच्चारण जनाने के लिए 'अ' आदि स्वरों के नीचे बिन्दी अथवा ऊपर और कभी नीचे (˘) ऐसा चिह्न लगाते हैं; जैसे—मअ़लूम, लॉर्ड इसी प्रकार आला।

व्यञ्जन (Consonants)

व्यंजनों के तीन भेद हैं—१ स्पर्श, २ अन्तस्थ, और ३ ऊष्म। क से म पर्यन्त पहले २५ वर्ण स्पर्श कहलाते हैं। य, र, ल, व अन्तस्थ (Semi-vowels) तथा श, ष, स, ह ऊष्म (Sibilants) कहाते हैं।

स्पर्श पाँच-पाँच की पांच टुकड़ियों में विभक्त है। इन पाँचों टुकड़ियों को वर्ग कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के अनुसार रक्खा गया है; जैसे—क ख ग घ ङ, कवर्ग; च छ ज झ ञ, चवर्ग; ट ठ ड ढ ण, टवर्ग; त थ द ध न, तवर्ग और प फ ब भ म, पवर्ग कहलाते हैं।

दो या अधिक व्यंजनों के बीच में स्वर न रहने से संयुक्त कहाते हैं, पर वे स्वर का संयोग होने पर ही बोले जाते हैं; जैसे—दिव्य=द्+इ+व्+य्+अ। इसमें व् और य् के बीच में स्वर नहीं अतः 'व्य' संयुक्त हो गया। जब एक ही व्यंजन दो बार आकर संयुक्त हो तो उसे द्वित्व कहते हैं; जैसे—पट्टी=प्+अ+ट्+ट्+ई, इसमें 'ट्ट' द्वित्व है।

व्यंजनों में संयोग करने की विधि

(१) संयोग में जिस क्रम से व्यंजनों का उच्चारण होता है उसी क्रम से वे लिखे जाते हैं; जैसे—शुक्ल=शु क् ल् अ, शुल्क=शु ल् क् अ, गुप्त=गु प् त् अ, उत्पत्ति उ त् प् अ त् त् इ।

जब दो वा अधिक वर्णों का संयोग होता है तो कहीं कहीं उनके रूप में हेर-फेर हो जाता है।

(२) जिन अक्षरों में खड़ी रेखा होती है वे यदि किसी व्यंजन से संयुक्त होते हैं तो उनकी खड़ी रेखा हटा दी जाती है; जैसे—ख् त=ख्त, प् त=प्त (तख्त, समाप्त)।

(३) संयोग में क, ङ, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, ह के पीछे आने वाला व्यंजन ऊपर की आड़ी रेखा को हटाकर नीचे और कहीं-कहीं साथ लिखा जाता है। जैसे—पक्का, गङ्गा, उच्छ्वास, पट्टी टिड्डी, गद्दी, मध्याह्न, ब्रह्म, आढ्य।

(४) क, च, न, ल, ब द्वित्व होने पर दो प्रकार से लिखे जाते हैं। जैसे—पक्का, पक्का; कच्चा, कच्चा; जिन्नत, जिन्नत; झल्ला, झल्ला; गुब्बारा, गुब्बारा।

(५) संयोग में पहले आनेवाला र् आगे आनेवाले वर्ण के ऊपर (र्‍) इस चिह्न में परिवर्तित हो जाता है और पीछे आने वाला र् यदि खड़ी पाईवाले व्यंजनों के बाद हो तो उसका रूप खड़ी पाई के नीचे (्र) इस तरह हो जाता है। अन्य व्यंजनों के बाद उसका रूप (‸) हो जाता है। जैसे—धर्म, वज्र, राष्ट्र।

जिस अक्षर के ऊपर र् चढ़ता है वह विकल्प से द्वित्व हो जाता है। जैसे—कार्य, कार्य्य; धर्म, धर्म्म।

(६) ङ, ञ, ण, न, म प्रायः अपने ही वर्ग के वर्णों के साथ संयुक्त होते हैं, जैसे—भङ्ग, चञ्चल, भाण्ड, अन्त, चम्पा। इनके स्थान में विकल्प से अनुस्वार भी हो जाता है; जैसे—भंग, चंचल, भांड, अंत, चंपा।

(७) क्ष, त्र, ज्ञ जिन वर्णों के संयोग से बने हैं उनका कुछ भी रूप संयोग में दिखाई नहीं देता। इसलिए कोई कोई इन्हें व्यजनों के साथ वर्णमाला के अंत में लिख देते हैं—क्+ष=क्ष या च्न, त्+र=त्र, ज्+ञ=ज्ञ।

व्यंजनों के उच्चारण में विशेषताएँ

हिन्दी में ख, ग, ड, ढ, एवं ज, फ, के दो दो उच्चारण होते हैं; जैसे—खाना, ख़ाली; गाना, ग़ैरत; डाली, लड़ना; ढोल, पढ़ना; जान, ज़बरदस्त; फाटक, फ़ेल। दूसरे उच्चारण को प्रकट करने के लिए अक्षरों के नीचे बिन्दी लगा दी जाती है।

विसर्ग (:) का उच्चारण 'ह' के धीमे उच्चारण के समान है।

'ष' और 'श' का उच्चारण एक समान होता है। 'ष' को बहुधा 'ख' भी पढ़ते हैं। 'ज्ञ' का उचारण 'ग्य' के समान होता है।

संयुक्त अक्षरों के पूर्व ह्रस्व स्वर पर ज़ोर देने से मिले हुए वर्णों का उच्चारण स्पष्ट हो जाता है।

अनुस्वार (ं) केवल नाक से और अनुनासिक मुख तथा नाक से बोला जाता है; जैसे—शांति, भाँति; चंचल, आँचल।

वर्णों के भेदान्तर

वर्ण जिन ध्वनियों के प्रतिनिधि हैं उनका उच्चारण मुख के भिन्न भिन्न भागों से होता है अर्थात् इन ध्वनियों के उच्चारण के समय जीभ मुख के भिन्न भिन्न भागों को छूती है। इन भिन्न भिन्न भागों को **स्थान** कहते हैं। ये उच्चारण-स्थान छः हैं—

१. कण्ठ (गला), २. तालु (मुँह के भीतर की ऊपरी छत जो ऊपरवाले दाँतों की पंक्ति से लेकर छोटी जीभ या कौए तक होती है), ३. मूर्द्धा (तालु से कुछ ऊँचा स्थान), ४. दन्त (दाँत), ५. ओष्ठ (ओंठ), ६. नासिका (नाक)। स्थान भेद से वर्णों के निम्नलिखित भेद हैं—

कंठ्य—जिनका उच्चारण कंठ से होता है; अर्थात् अ, आ, कवर्ग (क, ख, ग, घ, ङ) ह और विसर्ग।

तालव्य—जिनका उच्चारण तालु से होता है; अर्थात् इ, ई चवर्ग, (च, छ, ज, झ, ञ) य और श।

मूर्द्धन्य—जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है; अर्थात ऋ टवर्ग (ट, ठ, ड, ढ, ण) र और ष।

दन्त्य—जिनका उच्चारण ऊपर के दाँतों के साथ जीभ लगने से होता है; अर्थात् तवर्ग (त, थ, द ध, न) ल और स।

ओष्ठ्य—जिनका उच्चारण ओंठों से होता है, जैसे—उ, ऊ पवर्ग (प, फ, ब, भ, म)

अनुनासिक—जिनका उच्चारण मुख और नासिका से होता है अर्थात् ङ, ञ, ण, न, म और अनुस्वार।

वर्णों के स्पष्ट उच्चारण से पूर्व और पीछे वाणी द्वारा कुछ प्रयत्न होता है। किसी वर्ण के उच्चारण में जो प्रयत्न उच्चारण से पूर्व होता है उसे 'आभ्यन्तर प्रयत्न' और जो उच्चारण के अन्त में होता है उसे 'बाह्य प्रयत्न' कहते हैं। आभ्यन्तर प्रयत्नों के भेद से वर्णों के भेद निम्नलिखित हैं—

१. विवृत—जिन के उच्चारण में वागिन्द्रिय खुली रहती है; जैसे—सब स्वर।

२. स्पृष्ट—जिनके उच्चारण में वागिन्द्रिय का द्वार बन्द रहता है; जैसे—क से लेकर म तक के वर्ण।

३. ईषत्विवृत—जिनके उच्चारण में वागिन्द्रिय थोड़ी खुली रहती है; जैसे—य, र, ल, व।

४. ईषत्स्पृष्ट—जिनके उच्चारण में वागिन्द्रिय कुछ कुछ बंद रहती है; जैसे—श ष स ह।

बाह्य प्रयत्न (श्वास के यत्न-भेद) से वर्णों के दो भेद हैं—घोष (Soft letters), अघोष (Hard Consonants)। घोष वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग है; प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवाँ अक्षर, सारे स्वर, य, र, ल, व, ह घोष हैं। अघोष के उच्चारण में केवल श्वास का उपयोग होता है; प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, श, ष, स ये अघोष हैं। वर्णों के दो भेद और भी हैं—अल्पप्राण तथा महाप्राण। महाप्राण वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में अधिक श्रम लगे या जिनमें कुछ-कुछ 'ह' का उच्चारण सम्मिलित हो; प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर तथा श, ष, स, ह, महाप्राण है; शेष वर्ग अल्पप्राण हैं।

अभ्यास

१. भाषा, व्याकरण, वर्ण, शब्द, वाक्य तथा लिपि के लक्षण लिखो।

२. किसी भाषा के व्याकरण पढ़ने से क्या लाभ है, उदाहरण सहित समझाओ?

३. वर्णों के भेद और भेदान्तर क्या क्या हैं? (ँ) और (:) स्वर हैं अथवा व्यंजन? और क्यों?

४. नीचे लिखे शब्दों का उच्चारण करो—कैसा, धैर्य्य, झूलना, द्रव्य, ठौर, सौन्दर्य्य, कर्म, क्रम, आश्रित, मखमल, मनोहर, मुआफ़ी, हो गई, होगी, ग़लत, दक्ष, आज्ञा, सर्वत्र, व्याप्त, कृष्णा, ऋषि, द्रष्टा, दर्शन, यत्न, अन्त, सूक्त, चित्त, शृगाल, श्रवण।

दूसरा खंड

शब्द-विचार

(Etymology)

पहला अध्याय

शब्दों का वर्गीकरण

एक या अनेक वर्णों से मिलकर बनी हुई सार्थक ध्वनियों को शब्द कहते हैं। ध्वनियाँ निरर्थक भी होती हैं। जैसे—'टैं टैं' 'कड़कड़'। साधारणतः इन्हें भी शब्द कहते हैं पर भाषाशास्त्रानुसार ये ध्वनियाँ ही हैं; इन्हें शब्द नहीं कहा जा सकता। जब ये ध्वनियाँ भी वाक्य में किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होती हैं तब शब्द कहलाती हैं। जैसे—"बहुत टैं टैं मतकर, नहीं तो दो चार हाथ जमा दूँगा।" "यह रात-दिन की कड़कड़ कौन सह सकता है।" इन वाक्यों में 'टैं टैं' और 'कड़ कड़' शब्द एक विशेष आशय को प्रकट करते हैं अतः सार्थक होने के कारण यहाँ ये शब्द कहलायेंगे।

कुछ ध्वनियाँ ऐसी भी हैं जो स्वयं सार्थक नहीं होतीं पर जब वे दूसरे शब्दों के साथ जोड़ी जाती हैं तब सार्थक हो जाती हैं। ऐसी परतन्त्र ध्वनियों को शब्द नहीं वरन शब्दांश कहते हैं। जैसे—'कु' 'निर्' 'वाला' आदि का कुछ अर्थ नहीं पर 'कुपुत्र' 'निराकार' और 'दूधवाला' में ये ध्वनियाँ सार्थक हो गई हैं। जो शब्दांश शब्द के पहले लगते हैं, वे उपसर्ग कहाते हैं तथा जो पीछे लगते हैं वे प्रत्यय। इन शब्दांशों—उपसर्गों तथा प्रत्ययों—का वर्णन विस्तार से आगे पृथक् अध्याय में किया जायगा।

व्युत्पत्ति (शब्दों की बनावट) के विचार से शब्द तीन प्रकार के कहे जा सकते हैं—१. रूढ़ि २. यौगिक ३. योगरूढ़ि।

रूढ़ि वे शब्द हैं जिनके खंड का कुछ अर्थ नहीं होता। जैसे—बिल्ली, मेज़।

यौगिक वे शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से अथवा शब्द और शब्दांशों के योग से बने हों; जैसे—दुर्जन (दुर्+जन), पाठशाला (पाठ+शाला)।

योगरूढ़ि वे शब्द है जो यौगिक संज्ञाओं के समान ही दो शब्दों अथवा शब्द और शब्दांशों के जोड़ से बने हों पर साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हों; जैसे—अँगरखा (अंग+रक्षा) का अर्थ है अंगों की रक्षा करने वाला। इसलिए प्रत्येक वस्त्र अँगरखा कहा जा सकता है, पर इसका व्यवहार एक विशेष प्रकार के कपड़े के लिए ही होता

है। इसी तरह पंकज (पंक+ज) का यौगिक अर्थ है 'कीचड़ से उत्पन्न' पर उसका विशेष अर्थ है 'कमल'।

ये रूढ़ि यौगिक तथा योगरूढ़ि शब्द तीन तरह के हैं—१. तत्सम, २. तद्भव ३. देशज।

तत्सम शब्द वे हैं जो संस्कृत के हैं और बिना किसी परिवर्त्तन के—जैसे के तैसे—हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे—पिता, मिष्टान्न।

तद्भव शब्द वे हैं जो कि संस्कृत शब्दों से बने हैं पर हिन्दी में जिनका कुछ कुछ रूप परिवर्त्तन हो गया है। जैसे—खेत (क्षेत्र), राय (राजा), बच्छा (वत्स)।

देशज शब्द वे हैं जो कि संस्कृत-शब्दों से नहीं बने अपितु स्थानीय बोलियों से, अथवा आवश्यकतानुसार बना लिये गये हैं। जैसे—पेट, गाड़ी इत्यादि।

इन शब्दों के अतिरिक्त कई विदेशी भाषाओं—अरबी, फ़ारसी, अँगरेज़ी आदि के शब्द हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं और वे अब हिन्दी में अच्छी तरह अपना लिये गये हैं। जैसे—ईमानदार, बदबू, फेल आदि।

अर्थ की दृष्टि से सार्थक शब्दों के तीन भेद हैं—वाचक, लाक्षणिक तथा व्यङ्ग्यात्मक या सांकेतिक। जब शब्द ठीक उसी अर्थ में बोला या लिखा जाय जिसके लिये बना है तब उसे 'वाचक' कहते हैं; जैसे—'गदहा एक जानवर है' इसमें 'गदहा' शब्द। जब कोई शब्द नियत अर्थ न बतलाकर अपने सादृश्य या गुण का बोध करावे, तब वह 'लाक्षणिक' कह-

लाता है। जैसे—'अरे मोहन, तू तो निरा गदहा है', यहाँ गदहा शब्द का अर्थ है मूर्ख। व्यङ्ग्यात्मक या सांकेतिक शब्द वे हैं जो ऊपर से और अर्थ प्रकट करें और गूढ़ आशय और ही सूचित करें; जैसे—"अजी ये तो बड़े भोलेभाले हैं इनका क्या कहना!" अर्थात् ये बड़े चालाक हैं।

शब्दों से ही वाक्य बनते हैं। वाक्य बनाने के लिए जब शब्द एक दूसरे से मिलते हैं तो वाक्य के अर्थानुसार उनमें से कुछ शब्दों के रूप बदल जाते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके रूप में कुछ भी परिवर्त्तन नहीं होता। जैसे—"वह नहीं जाता", "वे नहीं जाते", "लड़का पाँच बजे तक यहाँ बैठा रहा", "कल लड़के पाँच बजे तक यहाँ बैठे थे", इन वाक्यों में अर्थानुसार 'वह' 'लड़का' 'जाता' आदि शब्दों के रूप में परिवर्त्तन हो गया है, परन्तु 'नहीं' 'तक' इत्यादि शब्दों में कुछ भी परिवर्त्तन नहीं हुआ। जिन शब्दों के रूप में इस तरह परिवर्त्तन हो जाता है वे **विकारी** शब्द कहलाते हैं और जिनका रूप बिलकुल नहीं बदलता वे शब्द **अविकारी** अथवा **अव्यय** कहलाते हैं।

व्यवहार की दृष्टि से विकारी शब्दों को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है—संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया।

संज्ञा (Noun)—किसी वस्तु, स्थान, भाव या मनुष्य के नाम बतानेवाले शब्द संज्ञा कहाते हैं। जैसे—घोड़ा, दिल्ली, मिठास, मोहन आदि।

सर्वनाम (Pronoun)—संज्ञा के बदले प्रयुक्त होनेवाले शब्द को 'सर्वनाम' अथवा 'प्रतिनिधि शब्द' कहते हैं। जैसे—यह, मैं, तू, आप, कब आदि।

विशेषण (Adjective)—संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहाते हैं। जैसे—'अरबी घोड़ा', 'धार्मिक क्रिया', 'सुन्दर रंग' तथा 'मीठी गन्ध' में 'अरबी', 'धार्मिक', 'सुन्दर' और 'मीठी' शब्द विशेषण हैं।

क्रिया (Verb)—जिससे किसी बात का करना या होना पाया जाय उसे 'क्रिया' अथवा 'विधायक शब्द' कहते हैं। जैसे—'लिखता हूँ', 'खायेंगे' आदि।

ऐसे ही अविकारी शब्दों के भी चार भेद हैं—

क्रिया-विशेषण (Adverb)—जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बतावें वे क्रिया-विशेषण कहाते हैं। जैसे—'जल्दी चलो', 'अभी नहीं आया' में 'जल्दी' और 'अभी नहीं' क्रियाविशेषण हैं।

सम्बन्धबोधक (Postposition)—जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ सम्बन्ध बतावें वे सम्बन्धबोधक अव्यय कहाते हैं—भीतर, पीछे, तक आदि। जैसै—घर के भीतर, मेरे पीछे।

योजक (Conjunction)—दो शब्दों वा दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द—और, पर आदि। जैसे—'मैं और तू', 'थोड़ा खाओ पर चबाओ खूब'।

विस्मयादिबोधक (Interjection)—जिनसे बोलनेवाले के मन के आकस्मिक भाव जाने जायँ, जैसे—आहा! हाय!! साधु!

दूसरा अध्याय

संज्ञा (Noun)

संज्ञाएँ तीन प्रकार की होती हैं—व्यक्तिवाचक (Proper Noun) जातिवाचक (Common Noun) और भाववाचक (Abstract noun)

व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ वे हैं जिन से एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो; जैसे—दिल्ली, धन्वन्तरि, जमुना आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ व्यक्तियों के पहिचानने या पुकारने के लिए अपनी इच्छानुसार रखे हुए संकेत मात्र हैं।

जातिवाचक संज्ञाएँ वे हैं जिनसे एक जाति के सब पदार्थों का समान बोध हो; जैसे—पुरुष, सिंह, नगर, सभा, जल आदि। कई वैयाकरण सभा, संघ, सेना आदि शब्दों का, जो सजातीय व्यक्तियों के समूह को प्रगट करते हैं 'समूह-वाचक संज्ञा' (Collective noun) नाम धरते हैं। ऐसे ही उनके मतानुसार द्रव्य का बोध करानेवाले शब्द 'द्रव्यवाचक संज्ञा' (Material noun) कहलाते हैं; जैसे—आग, पानी, सोना, चाँदी आदि।

भाववाचक संज्ञाएँ वे हैं जिन से पदार्थों के धर्म, गुण, दोष, अवस्था, व्यापार जाने जाते हैं; जैसे—मिठास, चोरी, लड़कपन, भाव, सौन्दर्य आदि।

कभी कभी व्यक्तिवाचक नाम किसी विशेष गुण को प्रकट करते हैं तब वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं; जैसे—"ए भारतवासियो तुम **हरिश्चन्द्र** बनो तभी भारत में **सत्ययुग** होगा" इस वाक्य में 'हरिश्चन्द्र' और 'सत्ययुग' जातिवाचक संज्ञाएँ हैं क्योंकि 'हरिश्चन्द्र' से तात्पर्य है 'सत्य पर दृढ़ रहनेवाला' और 'सत्ययुग होना' का अर्थ है 'अच्छा समय आना'। इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञाएँ भी कभी कभी व्यक्ति-विशेष के लिए प्रयुक्त होने से व्यक्तिवाचक होती हैं, जैसे—देवी की कृपा चाहिये, **संवत्** कौन-सा है; **गुसाईं** जी की रामायण पढ़कर आनन्द आता है; इन वाक्यों में देवी (काली देवी) संवत् (विक्रमसंवत्), गुसाईंजी (तुलसीदासजी) व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ हैं। एवं भाव वाचक संज्ञाएँ भी कभी जातिवाचक संज्ञाओं के समान प्रयुक्त होती हैं; जैसे—हाथी और घोड़े की चालों में बड़ा अन्तर है।

भाववाचक संज्ञाएँ तीन प्रकार के शब्दों से बनती हैं।

(क) जातिवाचक संज्ञा से—लड़का से लड़कपन, पण्डित से पण्डिताई, मित्र से मित्रता आदि।

(ख) सर्वनाम से—अहं से अहंकार, अपना से अपनापन।

(ग) विशेषण से—चतुर से चतुराई, मीठा से मिठास, बुद्धिमान् से बुद्धिमानी।

(घ) क्रिया से—चढ़ना से चढ़ाई, सजाना से सजावट, घबराना से घबराहट, मारना से मार, लेना-देना से लेन-देन आदि।

कभी कभी अन्य शब्द भी संज्ञा के समान प्रयुक्त होते हैं; जैसे—(विशेषण) **गुणियों** का आदर करो; **बड़ों** का कहा मानो। (क्रियाविशेषण) **यहाँ** का जलवायु अच्छा है; उसका **बाहर-भीतर** एकसा है। (विस्मयादि बोधक अव्यय) **हाय हाय** क्यों मचा रक्खी है ?

तीसरा अध्याय

संज्ञाओं का रूपान्तर

पहले हम कह आये हैं कि वाक्य बनाने के लिये जब शब्द एक दूसरे से मिलते हैं तो वाक्य के अर्थानुसार विकारी शब्दों के रूप में परिवर्त्तन होता रहता है। संज्ञा का यह रूपान्तर या परिवर्त्तन लिंग, वचन और कारक के कारण होता है। जैसे---(लिंग) घोड़ा खाता है, घोड़ी खाती है; (वचन) घोड़ा दौड़ता है, घोड़े दौड़ते हैं, (कारक) घोड़ा लाओ घोड़े पर चढ़ो। इस प्रकार लिंग, वचन और कारक के भेद से संज्ञा के रूप में परिवर्त्तन होता रहता है।

(१) लिङ्ग (Gender)

संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति जानी जाय उसे लिंग कहते हैं।

हिन्दी-भाषा में दो ही लिङ्ग होते हैं—पुँल्लिङ्ग (Masculine) और स्त्रीलिङ्ग (Feminine) पुरुष-जाति का बोध करानेवाले शब्द पुँल्लिग और स्त्री-जाति का बोध करानेवाले स्त्रीलिङ्ग कहलाते हैं। नपुंसकलिङ्ग हिन्दी-भाषा में नहीं होता।

पुरुषत्व और स्त्रीत्व का ज्ञान सजीवों में ही होता है, निर्जीवों में नहीं। निर्जीवों में पुरुषत्व अथवा स्त्रीत्व की कल्पना करके उनका लिंग नियत किया जाता है। प्रायः मोटी, भारी, बेढंगी वस्तु के नाम पुँल्लिंग तथा छोटी हलकी वस्तुओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे—पेड़, नगर, हिमालय ये पुँल्लिंग तथा लता, नदी, पुरी ये स्त्रीलिंग माने जाते हैं।

संज्ञा के लिंग के भेद से वाक्य में सम्बद्ध क्रिया, विशेषण तथा सर्वनाम के रूपों में विकार आ जाता है। अतः संज्ञा के लिंग का ज्ञान आवश्यक है। कई शब्दों का लिंग तो स्पष्ट मालूम पड़ जाता है, ये वे शब्द हैं जिनके दोनों लिंगों में भिन्न भिन्न रूप होते हैं। जैसे—शेर, शेरनी, घोड़ा, घोड़ी। शेष संज्ञाओं में कौन पुँल्लिङ्ग है और कौन स्त्रीलिंग, इसका निर्णय करने के लिए कुछ एक नियम नीचे लिखे जाते हैं।

लिङ्ग की परख

(क) जो प्राणिवाचक संज्ञाएँ पुरुषवाचक हैं वे पुँल्लिङ्ग होती हैं और जो स्त्रीवाचक हैं वे स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे—पिता (पुँ०), माता (स्त्री०), बैल (पुँ०), गाय (स्त्री०)।

कई एक प्राणिवाचक संज्ञाओं से दोनों जातियों—नर और मादा—का बोध होता है, पर उनका प्रयोग एक नियत लिंग ही में होता है। जैसे—उल्लू, कौवा, भेड़िया, चीता—ये पुँल्लिङ्ग में ही आते हैं तथा कोयल, चील, मैना बिल्ली आदि केवल स्त्रीलिङ्ग में। जाति-भेद प्रकट करने के लिए इनके साथ

नर या मादा शब्द लगाया जाता है। यथा—नर कौवा, मादा कौवा, नर चीता, मादा चीता।

इसी तरह शिशु, दम्पति, कवि, छात्र, मेम्बर आदि शब्द भी पुँल्लिङ्ग में ही बोले जाते हैं। जाति-भेद प्रकट करने के लिए इनके पहले पुरुष या स्त्री शब्द जोड़ा जाता है; यथा—कमेटी के स्त्री-मेम्बर, स्त्री-कवि इत्यादि।

(ख) प्राणियों के समुदायवाचक नाम व्यवहार के अनुसार पुँल्लिङ्ग तथा स्त्रीलिङ्ग होते हैं।

जैसे—पु०—मंडल, दल, संघ, समूह आदि।

स्त्री०—सेना, सभा, फ़ौज, टोली आदि।

(ग) प्रायः ग्रह, धातु और रत्नवाचक शब्द पुँल्लिग होते हैं।

जैसे—सूर्य, चाँद, मंगल, बुध आदि।

सोना, तांबा, सीसा, पीतल आदि।

हीरा, पन्ना, मोती, माणिक आदि।

पर चाँदी, मिट्टी तथा धातु (धात) स्त्रीलिङ्ग हैं।

(घ) पेड़, अनाज और द्रव-पदार्थ-वाचक शब्द भी प्रायः पुँल्लिङ्ग होते हैं।

जैसे—पीपल, बढ़, देवदार, आम आदि।

चावल, बाजरा, उड़द, चना, गेहूँ आदि।

पानी, तेल, घी, शर्बत आदि।

पर मकई, जुआर इत्यादि कई शब्द स्त्रीलिङ्ग हैं।

(ङ) पहाड़, मास और वारों के नाम पुँल्लिङ्ग में ही आते हैं।

जैसे—विन्ध्याचल, हिमालय आदि।

चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ आदि।

रविवार, सोमवार, मंगलवार आदि।

(च) नदियों, तिथियों और नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिङ्ग होते हैं।

जैसे—गंगा, यमुना, सरस्वती, चनाब आदि।

प्रतिपदा (पड़वा), द्वितीया (दूज), तृतीया (तीज) आदि।

अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी आदि।

(छ) हिन्दी में आने वाले संस्कृत के पुँल्लिङ्ग तथा नपुंसक लिङ्ग शब्द प्राय: पुँल्लिङ्ग होते हैं और स्त्रीलिङ्ग शब्द प्राय: स्त्रीलिङ्ग। जैसे—देश, आचार, रत्न, धन आदि पुँल्लिङ्ग तथा आशा, मति, दिशा आदि स्त्रीलिङ्ग। पर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका संस्कृत में और लिंग है तथा हिन्दी में और; जैसे—

	संस्कृत	हिन्दी
अग्नि	पु०	स्त्री०
वायु	पु०	स्त्री०
देवता	स्त्री०	पु०
देह	पु०	स्त्री०
आत्मा	पु०	,,
वस्तु	न०	,,
राशि	पु०	,,
व्यक्ति	स्त्री०	पु०
बाहु (बाहें)	पु०	स्त्री०
विजय	पु०	स्त्री०

फ़ारसी शब्दों का प्रायः वही लिङ्ग रहता है जो उनका फ़ारसी में है, जैसे—बदबू, क़लम आदि स्त्रीलिङ्ग हैं तथा ख़याल, दग़ा आदि पुँल्लिङ्ग। अँगरेज़ी शब्द व्यवहारानुसार पुँल्लिङ्ग या स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, जैसे—राम का बूट; गोविन्द की पेन्सिल; स्कूल की फ़ीस।

लिंग की परख के ये नियम अपूर्ण हैं, और इनके बहुत से अपवाद मिलते हैं। साधारणतया प्रसिद्ध लेखकों के लेख तथा ग्रन्थकारों के ग्रन्थ ध्यान-पूर्वक पढ़ने से ही लिङ्ग-भेद का अच्छा ज्ञान हो सकता है।

पुँल्लिङ्ग शब्दों से स्त्रीलिङ्ग बनाने के नियम

(१) अकारान्त व आकारान्त शब्दों के अन्त में प्रायः "ई" प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिङ्ग बनता है। जैसे—

लड़का	लड़की	पुत्र	पुत्री
घोड़ा	घोड़ी	बन्दर	बन्दरी

अप्राणिवाचक शब्दों में यह प्रत्यय लघुता या सूक्ष्मता के अर्थ में लगता है। जैसे—रस्सा, रस्सी।

(२) कुछ आकारान्त शब्दों के अन्त में 'इया' प्रत्यय लगता है और पहला स्वर ह्रस्व हो जाता है। जैसे—

चूहा	चुहिया	कुत्ता	कुतिया
बूढ़ा	बुढ़िया	बेटा	बिटिया

यह प्रत्यय भी कहीं कहीं लघुता अर्थ में लगता है जैसे—

लोटा	लुटिया,	डिब्बा	डिबिया

(३) पेशा-सूचक पुँल्लिग शब्दों के अन्त में 'इन' प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बनता है।

सुनार	सुनारिन	कहार	कहारिन
धोबी	धोबिन	जुलाहा	जुलाहिन

(४) कुछ अकारान्त शब्दों के अन्त में 'नी' प्रत्यय और कुछ में 'आनी' लगाने से भी स्त्रीलिंग बनता है—

नी		आनी	
जाट	जाटनी	मेहतर	मेहतरानी
मोर	मोरनी	सेठ	सेठानी
ऊँट	ऊँटनी	नौकर	नौकरानी
राजपूत	राजपूतनी	देवर	देवरानी

(५) उपनामवाचक शब्दों के अन्त में प्रायः 'आइन' प्रत्यय लगता है। जैसे—

पांडे	पंडाइन	बाबू	बबुआइन
दुबे	दुबाइन	ठाकुर	ठकुराइन

संस्कृत से आए हुए पुँल्लिग शब्दों के साथ प्रायः संस्कृत के स्त्री प्रत्यय ही लगाए जाते हैं। जैसे—

देव	देवी	प्रबन्धकर्ता	प्रबन्धकर्त्री
विद्वान्	विदुषी	स्वामी	स्वामिनी

कई पुँल्लिग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द बिलकुल भिन्न होते हैं—

पु०	स्त्री०	पु०	स्त्री०	पु०	स्त्री
पिता	माता	मर्द	औरत	वर	वधू

बाप	माँ	भाई	बहन❋	राजा	रानी
पुरुष	स्त्री	पुत्र	कन्या	बैल	गाय

इसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्दों में भी 'आ' 'उआ' 'ओई' 'आव' आदि प्रत्यय लगाने से वे पुरुषवाचक बन जाते हैं। जैसे—

भैंस	भैंसा	बहन	बहनोई
भेड़	भेड़ा	ननद	ननदोई
राँड	रँडुवा	बिल्ली	बिलाव

(२) वचन (Number)

संज्ञा और दूसरे विकारी शब्दों के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है या एक से अधिक के लिए उसे वचन कहते हैं। हिन्दी में दो वचन होते हैं—एकवचन (Singular) और बहुवचन (Plural)। एक ही वस्तु का बोध करानेवाला रूप 'एकवचन' कहलाता है और एक से अधिक को प्रकट करनेवाला रूप 'बहुवचन'। 'लड़का खेलता है' यहाँ 'लड़का' एक वचन में है, 'लड़के खेलते हैं' यहाँ 'लड़के' बहुवचन में है। आदर के लिए एक-वचन में भी बहुवचन आता है। जैसे—भाई साहब आज लाहौर गये हैं। कभी कभी जातिवाचक शब्द एक वचन में भी बहुवचन का बोध कराते हैं। जैसे—यहाँ आम बहुत होता है (आम बहुत होते हैं), हाथी बड़ा बुद्धिमान होता है (बुद्धिमान् होते हैं)।

❋ संबंध भेद से भाई का स्त्रीलिंग भाभी, भावज या भौजाई भी होता है।

वचन के कारण संज्ञा में जो रूप-परिवर्त्तन होता है उसे दो भागों में बाँटा जा सकता है, (१) जब संज्ञा के साथ बहुवचन की विभक्तियाँ लगी हों, (२) जब संज्ञा प्रथमा विभक्ति में हो और उसके साथ कोई विभक्ति-चिह्न न हो। पहली तरह के परिवर्तनों के सम्बन्ध में विशेष रूप से कारक के अध्याय में लिखा जायगा। दूसरी तरह के परिवर्तनों के कुछ एक नियम यहाँ लिखे जाते हैं—

(१) हिन्दी के आकारान्त पुँल्लिग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अन्त्य 'आ' के स्थान में 'ए' कर दिया जाता है। जैसे—

लड़का—लड़के घोड़ा—घोड़े कपड़ा—कपड़े
पहिया—पहिये भानजा—भानजे पोता—पोते

अपवाद—मामा, नाना, दादा आदि कुछ सम्बन्धवाचक; एशिया, जावा, सुमात्रा आदि स्थानवाचक और संस्कृत के ऋकारान्त, नकारान्त तथा सकारान्त शब्द जो हिन्दी में आकारान्त हो जाते हैं एवं देवता, सूरमा, दरिया आदि शब्द इस नियम के अपवाद हैं। इनके बहुवचन में 'आ' को 'ए' नहीं होता। जैसे—**मामा** आये। गर्मियों के दिनों में कितने ही **राजा** (राजन्) और धनी पुरुष यहाँ सैर को आते हैं। इसी तरह **चन्द्रमा** (चन्द्रमस्) आदि का बहुवचन भी चन्द्रमा आदि ही होगा।

(२) आकारान्तों को छोड़कर शेष पुँल्लिग शब्दों के रूप दोनों वचनों में समान ही रहते हैं जैसे—**आम लाओ**, पाँच

आम लाओ। हाथी आता है, हाथी आते हैं। यहाँ एक उल्लू बैठा है, वहाँ पाँच उल्लू बैठे हैं।

(३) अकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन अन्तिम 'अ' को 'एं' में बदलने से बनता है। जैसे—बहन, बहनें; पुस्तक, पुस्तकें। रात, रातें।

(४) इकारान्त और ईकारान्त स्त्रीलिंग संज्ञाओं में 'ई' को ह्रस्व करके अन्त्य स्वर के पश्चात् 'याँ' जोड़ते हैं जैसे—

तिथि	तिथियाँ	रानी	रानियाँ
रीति	रीतियाँ	टोपी	टोपियाँ
नीति	नीतियाँ	सखी	सखियाँ

(५) जिन शब्दों के अन्त में 'या' हो उनके 'या' के ऊपर केवल अनुस्वार लगाया जाता है। जैसे—डिबिया—डिबियाँ। बुढ़िया—बुढ़ियाँ।

(ङ) शेष स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन अन्तिम स्वर के परे 'एँ' या 'यें' जोड़ने से बनता है तथा ऊकारान्त शब्दों का अन्तिम 'ऊ' ह्रस्व हो जाता है। कहीं कहीं बहुवचन में रूप नहीं भी बदलता।

लता	लताएँ	वस्तु	वस्तु और वस्तुएँ
माता	माताएँ	बहू	बहुएँ

बहुत्व (बहुवचन) प्रगट करने के लिए संज्ञा के एकवचन के साथ गण, वृन्द; लोग, जन, वर्ग, वृन्द आदि शब्द भी जोड़े जाते हैं। जैसे—पाठकगण, सज्जनवृन्द, बाबूलोग।

प्राण, दर्शन, लोग आदि शब्द प्रायः बहुवचन में ही बोले

जाते हैं। जैसे—बहुत दिनों से आप के **दर्शन** नहीं हुए। बड़ी मुश्किल से **प्राण** बचे। **प्राण** पखेरू उड़ गए। **लोग** यह कह रहे हैं।

संज्ञाओं के तीन भेदों में से प्रायः जातिवाचक संज्ञाएँ ही बहुवचन में आती हैं। परन्तु व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग जब जातिवाचक संज्ञा के समान होता है तब उनका प्रयोग भी बहुवचन में होता है। जैसे—भारत के इतिहास में तीन **राम** हुए हैं। "उठती बुरी हैं **भावनाएँ** हाय मम हृद्धाम में।"

(३) कारक (Case)

संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सम्बन्ध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकट होता है उस रूप को कारक कहते हैं। जैसे—"राम श्याम को उसकी पुस्तक पढ़ा रहा है" इस वाक्य में 'राम' 'श्याम को' 'पुस्तक' ये सब संज्ञाओं के रूपान्तर हैं और 'उसकी' सर्वनाम का। इन रूपान्तरों द्वारा इन संज्ञाओं का परस्पर और 'पढ़ा रहा है' इस क्रिया के साथ सम्बन्ध प्रकट होता है। इसलिये ये कारक हैं। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ 'को' 'ने' आदि जो चिह्न लगाये जाते हैं उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं और विभक्ति सहित शब्द पद कहलाते हैं।

हिन्दी में आठ कारक हैं। इनके नाम, विभक्तियाँ और लक्षण आगे दिये जाते हैं—

(१) कर्ता कारक (Nominative)—इस में 'ने' विभक्ति लगती है, कभी कभी कुछ भी प्रत्यय नहीं लगता। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। 'श्याम गया', 'राम ने खाया' इनमें 'श्याम' और 'राम ने' कर्ता कारक हैं क्योंकि इनसे जाने वाले और खानेवाले का बोध होता है।

(२) कर्म कारक (Accusative)—इसकी विभक्ति 'को' है पर कभी कभी 'को' का लोप हो जाता है। जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करनेवाले संज्ञा के रूप को कर्म कारक कहते हैं। जैसे—"मैंने पत्र लिखा", "कृष्ण ने कंस को मारा" इन वाक्यों में लिखने का फल 'पत्र' है और मारने की क्रिया कंस पर की गई है अतः 'पत्र' और 'कंस को' कर्म कारक हैं।

(३) करण कारक (Instrumental)—इसकी विभक्ति 'से' है। क्रिया के साधन का बोध करानेवाले संज्ञा के रूप को करण कारक कहते हैं। जैसे— "राम पेंसिल से पत्र लिखता है" इस वाक्य में 'पेंसिल से' करण कारक है क्योंकि लिखने की क्रिया पेंसिल द्वारा हो रही है।

(४) संप्रदान कारक (Dative)—इसकी विभक्ति 'को' है। जिसे कुछ दिया जाय या जिसके लिए कुछ किया जाय उसे बोध कराने वाले संज्ञा के रूप को संप्रदान कहते हैं। संसार की भलाई करने को ही महापुरुषों का आगमन होता है। लड़का पढ़ने को गया। राम को मैंने ५) दिये। इन

वाक्यों में 'भलाई करने को' 'पढ़ने को' 'राम को' संप्रदान कारक हैं।

(५) अपादान कारक (Ablative)—करण कारक की तरह इसकी भी 'से' विभक्ति है। संज्ञा के उस रूप को जिस से पृथकृत्व का बोध होता है अपादान कारक कहते हैं। 'अभी अभी स्कूल से आ रहा हूँ' इस वाक्य में 'स्कूल से' अपादान कारक है।

अपादान कारक का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में भी होता है—

(क) जहाँ से कोई क्रिया आरम्भ की जाय वह भी अपादान होता है; जैसे—आज से स्कूल बंद है।

(ख) तुलना प्रकट करने में भी अपादान माना गया है; जैसे—भरत राम से छोटे थे।

(ग) जिस से पढ़ा जाय, जिससे लज्जा आये, जिससे उत्पत्ति हो, जिससे माँगा जाय तथा जिससे डरा जाय; वह अपादान कारक में प्रयुक्त होता है। यथा—मैं गुरु जी से पढ़ता हूँ; तुम्हारा भाई मुझ से लजाता है; गंगा हिमालय से निकलती है; मैं तुम से रोज़ रोज़ यही माँगता हूँ; मैं शेर से डरता हूँ।

(६) सम्बन्ध कारक (Genitive)—संज्ञा के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से सम्बन्ध प्रकट हो वह सम्बन्ध कारक कहलाता है। जैसे—धनका मद। इस कारक की विभक्त 'का' है पर 'का' का रूप वाच्य वस्तु के लिंग और

वचन के अनुसार बदला करता है। अर्थात् जब वाच्य पुँल्लिंग और बहुवचन में होगा तो 'का' की जगह 'के' हो जायगा और जब वाच्य स्त्रीलिंग होगा तो दोनों वचनों में 'का' की जगह 'की' हो जायगा। जैसे—देवदत्त **का** लोटा देवदत्त **के** लोटे, देवदत्त **की** पुस्तक, देवदत्त **की** पुस्तकें।

(७) अधिकरण कारक (Locative)—संज्ञा का वह रूप जिस से क्रिया के आधार का बोध होता है अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे—आसन **पर** विराजिये। इस कारक की विभक्ति 'में' और 'पर' हैं।

अधिकरण तीन प्रकार के हैं—कालाधिकरण, भावाधिकरण और स्थानाधिकरण।

जिस काल में क्रिया का व्यापार होता है उसे कालाधिकरण कहते हैं। जैसे—**१० मिनट में** आता हूं। **गर्मियों में** दिन में नींद आती है।

क्रियाओं के भाव के प्रयोग में भावाधिकरण होता है। जैसे—वहाँ तक **जाने में** तुम्हारा क्या बिगड़ता है।

जिस स्थान पर क्रिया होती है उसे स्थानाधिकरण कहते हैं। जैसे—पुस्तक **मेज़ पर** है। देवदत्त **घर में** है।

कालवाचक और स्थानवाचक अधिकरणों के साथ कभी कभी विभक्ति-चिह्न नहीं भी लगता। जैसे—कल **रात** क्या वर्षा हुई थी ? अर्थात् कल **रात में** क्या वर्षा हुई थी ! शाम तक मैं **घर** ही रहूँगा अर्थात् शाम तक **घर में** ही रहूँगा।

(८) सम्बोधन (Vocative case)—संज्ञा के जिस रूप

से किसी को चेतावनी या पुकारना सूचित होता है, उसे सम्बोधन कहते हैं। जैसे—हे **प्रभो!** आप हमें सुबुद्धि प्रदान करें। **अरे छोकरे!** तू कहाँ नौकरी करता है!

सम्बोधन कारक की कोई विभक्ति (प्रत्यय) नहीं, उसको प्रकट करने के लिए 'हे' 'अरे' आदि **अव्यय** शब्द से पूर्व लगाये जाते हैं।

कारक सम्बन्धी कुछ विशेष बातें

(१) संस्कृत में विभक्तियाँ शब्दों से मिली रहती हैं; उन का स्वतन्त्र कोई अर्थ नहीं होता। हिन्दी में प्रायः पृथक् रहती हैं; कोई कोई लेखक मिलाकर भी लिखते हैं; जैसे—'भाग्य का' या 'भाग्यका' निर्णय ईश्वर ही करते हैं।

(२) विभक्तियों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का जो सबन्ध क्रिया या दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता है वही सम्बन्ध कभी कभी सम्बन्ध-सूचक अव्ययों के द्वारा भी प्रकट होता है; जैसे—मोहन 'पढ़ने को' गया है या 'पढ़ने के लिये' गया है।

(३) विभक्तियाँ साधारणतया अन्तिम प्रत्यय हैं अर्थात् इनके पश्चात् दूसरे प्रत्यय नहीं आते, तो भी हिन्दी में अधिकरण कारक की विभक्ति के पश्चात् कभी कभी सम्बन्ध या अपादान कारक की विभक्तियाँ भी प्रयुक्त होती हैं; जैसे—'घड़े में का पानी' 'पञ्जे में से निकल गया।'

(४) विभक्तियों के बदले में कभी कभी नीचे लिखे सम्बन्धसूचक अव्यय आते हैं—'

कर्म कारक—प्रति, तईं।

करण कारक—द्वारा, करके, जरिये, कारण, मारे।

संप्रदान कारक—लिए, हेतु, निमित्त, अर्थ, वास्ते।

अपादान कारक—अपेक्षा, सामने, आगे, साथ।

अधिकरण—बीच, भीतर, अन्दर, ऊपर।

संज्ञाओं की कारक-रचना (Inflectians of Nouns)

विभक्तियों के योग से संज्ञाओं के रूप में जो विकार होते हैं उनके कुछ एक नियम नीचे दिये जाते हैं—

एक वचन में—

(१) पुँल्लिग आकारान्त संज्ञाओं के अन्तिम 'आ' को 'ए' हो जाता है; जैसे—लड़के (ने, को, से, का, में) किन्तु जहाँ कर्ता और कर्म कारक में 'ने' और 'को' चिह्न नहीं लगते वहाँ 'आ' ही रहता है। स्मरण रहे कि 'लड़का' का विभक्ति-रहित बहुवचन भी 'लड़के' है। परन्तु जिन आकारान्त पुँल्लिग संज्ञाओं का विभक्ति-रहित बहुवचन इस प्रकार नहीं बनता अर्थात् जिन शब्दों के विभक्ति-रहित बहुवचन में अन्तिम 'आ' को 'ए' नहीं होता उनके रूप में विभक्ति से पहले भी यह परिवर्तन नहीं होता; जैसे—राजा (ने, को......)। मुखिया आदि कुछ शब्दों के अन्तिम 'आ' को 'ए' विकल्प से होता है; जैसे—मुखिया, मुखिये (ने, को......)।

(२) शेष सब पुँल्लिग, स्त्रीलिंग संज्ञाएँ अविकृत रहती हैं; जैसे—धन में, गौ का, मृत्यु से आदि।

बहुवचन में—

(१) आकारान्त पुँल्लिग, समस्त अकारान्त (पुँल्लिग और स्त्रीलिंग दोनों) तथा 'इया' प्रत्ययान्त स्त्रीलिंग शब्दों के अन्तिम 'अ' और 'आ' को 'ओं' और संबोधन में 'ओ' हो जाता है; जैसे—बालक-बालकों (ने, को......) घोड़ा-घोड़ों (ने, को......) डिबिया-डिबियों (को, की)

(२) आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों, मामा आदि शब्दों (मामा, पिता, राजा, देवता, चन्द्रमा, सूरमा......) तथा उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, इनमें से कोई जिनके अन्त में हो ऐसे सम्पूर्ण पुँल्लिग तथा स्त्रीलिंग, शब्दों के अन्त में 'ओं' और संबोधन में 'ओ' जोड़ा जाता है। ऊकारान्त शब्दों का 'ऊ' ह्रस्व हो जाता है। शाला-शालाओं का, राजा-राजाओं का, साधु-साधुओं को, बहू-बहुओं को।

मुखिया आदि शब्दों में विकल्प से अन्तिम 'आ' के स्थान में 'ओं' होता है अथवा शब्द के अन्त में 'ओं' जुड़ जाता है; जैसे—मुखियों को, मुखियाओं को।

(३) इकारान्त तथा ईकारान्त संपूर्ण पुँल्लिग तथा स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अन्त में 'यों' और सम्बोधन में 'यो' लगाया जाता है, ईकारान्त शब्दों का अन्तिम 'ई' ह्रस्व हो जाता है; जैसे--पतियों को, नारियों को।

(४) तत्सम संस्कृत संज्ञाओं के संबोधन के रूप संस्कृत के अनुसार भी प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे—प्रभो, राजन्, प्रिये पुत्रि, ।

व्यञ्जनान्त संज्ञाओं के रूप भी अकारान्त संज्ञाओं के समान ही होते हैं; जैसे—विद्वान्-विद्वानों को।

ऊपर लिखे नियमों को प्रयोग में दिखाने के लिए कई एक संज्ञाओं के पूरे रूप नीचे दिये जाते हैं।

संज्ञाओं की रूपावली

अकारान्त पुँल्लिंग—बालक शब्द

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	बालक, बालक ने	बालक, बालकों ने
कर्म	बालक को	बालकों को
करण	बालक से	बालकों से
संप्रदान	बालक को	बालकों को
अपादान	बालक से	बालकों से
सम्बन्ध	बालक का-के-की	बालकों का-के-की
अधिकरण	बालक में-पर	बालकों में-पर
संबोधन	हे बालक	हे बालको

इसी प्रकार सब अकारान्त पुँल्लिंग शब्दों के रूप होंगे। अकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी इसी तरह होते हैं केवल विभक्ति-रहित कर्त्ता और कर्म कारक के बहुवचन में अन्त के 'अ' को 'एँ' हो जाता है; यथा—

	एकवचन		बहुवचन	
कर्त्ता	बहन,	बहन ने	बहनें,	बहनों ने
कर्म		बहन को		बहनों को

शेष बालक शब्द की तरह। रात, बात आदि अकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी इसी तरह होंगे।

आकारान्त पुँल्लिंग—लड़का शब्द

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	लड़का, लड़के ने	लड़के, लड़कों ने
कर्म	लड़के को	लड़कों को
करण	लड़के से	लड़कों से
संप्रदान	लड़के को	लड़कों को
अपादान	लड़के से	लड़कों से
सम्बन्ध	लड़के का-के-की	लड़कों का-के-की
अधिकरण	लड़के में-पर	लड़कों में-पर
सम्बोधन	हे लड़के	हे लड़को

इसी प्रकार बच्चा, पहिया, घोड़ा आदि आकारान्त पुँल्लिंग शब्दों के रूप होंगे। किन्तु जो शब्द पृष्ठ ३२ पर दिए गए नियम के अपवाद हैं उनके एकवचन में 'आ' को 'ए' नहीं होता। उनके रूप नीचे दिये गये राजा शब्द के समान होंगे।

आकारान्त पुँल्लिङ्ग—राजा शब्द

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	राजा, राजा ने	राजा, राजाओं ने
कर्म	राजा को	राजाओं को
करण	राजा से	राजाओं से
सम्प्रदान	राजा को	राजाओं को
अपादान	राजा से	राजाओं से

सम्बन्ध	राजा का-के-की	राजाओं का-के-की
अधिकरण	राजा में-पर	राजाओ में-पर
सम्बोधन	(हे) राजा	(हे) राजाओ

इसी प्रकार पिता, नाना, देवता, चन्द्रमा, दरिया आदि शब्दों के भी रूप होते हैं।

आकारान्त पुँल्लिङ्ग—बाप-दादा शब्द

	एकवचन	बहुवचन
कर्त्ता	बापदादा	बापदादा (बापदादे)
	बापदादे ने (दादा ने)	बापदादाओं ने (दादों ने)
कर्म	बापदादा को (दादे को)	बापदादाओं को (दादों को)

इसी तरह सब वचनों में विकल्प से दो-दो रूप बनते हैं, एक 'राजा' शब्द की तरह दूसरा 'लड़का' शब्द की तरह।

आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के कर्ता के विभक्ति रहित बहुवचन में माताएँ, शालाएँ आदि रूप होते हैं। शेष सारे रूप 'राजा' के समान।

इया प्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्ग—बुढ़िया शब्द

कर्त्ता	बुढ़िया, बुढ़िया ने	बुढ़िया, बुढ़ियों ने
कर्म	बुढ़िया को	बुढ़ियों को
सम्बोधन	हे बुढ़िया	हे बुढ़ियो

इकारान्त पुँल्लिग—पति शब्द

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	पति, पति ने	पति, पतियों ने
कर्म	पति को	पतियों को

करण	पति से	पतियों से
सम्प्रदान	पति को	पतियों को
अपादान	पति से	पतियों से
सम्बन्ध	पति का-के-की	पतियों का-के-की
अधिकरण	पति में-पर	पतियों में-पर
सम्बोधन	(हे) पति	(हे) पतियो

अन्य इकारान्त पुँल्लिग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते हैं।

इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के कर्ता के विभक्ति रहित बहुवचन में मतियाँ, गतियाँ आदि रूप होते हैं। शेष सब रूप 'पति' के समान।

ईकारान्त पुँल्लिग—धोबी शब्द

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	धोबी, धोबी ने	धोबी, धोबियों ने
कर्म	धोबी को	धोबियों को
करण	धोबी से	धोबियों से
सम्प्रदान	धोबी को	धोबियों को
अपादान	धोबी से	धोबियों से
सम्बन्ध	धोबी-का-के-की	धोबियों का-के-की
अधिकरण	धोबी-में-पर	धोबियों में-पर
सम्बोधन	(हे) धोबी	(हे) धोबियो

अन्य ईकारान्त पुँल्लिग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते हैं।

ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के कर्ता के विभक्ति-रहित

बहुवचन में लड़कियाँ, देवियाँ आदि रूप होते हैं। शेष सब रूप 'धोबी' के समान होते हैं।

उकारान्त पुँल्लिङ्ग—गुरु शब्द

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	गुरु, गुरु ने	गुरु, गुरुओं ने
कर्म	गुरु को	गुरुओं को
करण	गुरु से	गुरुओं से
सम्प्रदान	गुरु को	गुरुओं को
अपादान	गुरु से	गुरुओं से
सम्बन्ध	गुरु का-के की	गुरुओं-का-के-की
अधिकरण	गुरु में-पर	गुरुओं में-पर
सम्बोधन	हे गुरु	हे गुरुओ

अन्य उकारान्त पुँल्लिंग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते हैं।

उकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के कर्ता के विभक्ति-रहित बहुवचन में वस्तुएँ आदि रूप होते हैं। शेष सब रूप 'गुरु' के समान होते हैं।

ऊकारान्त पुँल्लिंग—डाकू शब्द।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	डाकू, डाकू ने	डाकू, डाकुओं ने
कर्म	डाकू को	डाकुओं को
करण	डाकू से	डाकुओं से
सम्प्रदान	डाकू को	डाकुओं को
अपादान	डाकू से	डाकुओं से

सम्बन्ध	डाकू का-के-की	डाकुओं का-के की
अधिकरण	डाकू में-पर	डाकुओं में-पर
सम्बोधन	(हे) डाकू	(हे) डाकुओ

सभी ऊकारान्त पुँल्लिंग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते हैं।

ऊकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के विभक्ति-रहित बहुवचन में बहुएँ, जोरुएँ आदि रूप होते हैं। शेष सारे रूप 'डाकू' के समान हैं।

एकारान्त पुँल्लिंग—दुबे शब्द

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	दुबे, दुबे ने	दुबे, दुबेओं ने
कर्म	दुबे को	दुबेओं को
करण	दुबे से	दुबेओं से
सम्प्रदान	दुबे को	दुबेओं को
अपादान	दुबे से	दुबेओं से
सम्बन्ध	दुबे का-के-की	दुबेओं का-के-की
अधिकरण	दुबे में-पर	दुबेओं में-पर
सम्बोधन	(हे) दुबे	(हे) दुबेओ

अन्य एकारान्त पुल्लिङ्ग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते हैं।

ओकारान्त पुँल्लिङ्ग—माधो शब्द

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	माधो, माधो ने	माधो, माधोओं ने
कर्म	माधो को	माधोओं को
करण	माधो से	माधोओं से
सम्प्रदान	माधो को	माधोओं को

अपादान	माधो से	माधोओं से
सम्बन्ध	माधो का-के-की	माधोओं का-के-की
अधिकरण	माधो में-पर	माधोओं में-पर
सम्बोधन	(हे) माधो	(हे) माधोओ

सभी ओकारान्त पुँल्लिङ्ग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते हैं।

ओकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के उदाहरण नहीं मिलते।

सानुस्वार ओकारान्त स्त्रीलिङ्ग—सरसों शब्द

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	सरसों, सरसों ने	सरसों, सरसों ने
कर्म	सरसों को	सरसों को
करण	सरसों से	सरसों से
सम्प्रदान	सरसों को	सरसों को
अपादान	सरसों से	सरसों से
सम्बन्ध	सरसों-का-के-की	सरसों का-के-की
अधिकरण	सरसों में-पर	सरसों में पर
सम्बोधन	(हे) सरसों	(हे) सरसों

अन्य सानुस्वार ओकारान्त शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होते हैं।

औकारान्त पुँल्लिङ्ग—जौ शब्द।

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	जौ, जौ ने	जौ, जौओं ने
कर्म	जौ को	जौओं को
सम्बोधन	(हे) जौ	(हे) जौओ

अन्य औकारान्त पुँल्लिङ्ग शब्दों के रूप इसी प्रकार होते हैं।

औकरान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों के विभक्ति रहित बहुवचन में गौएँ आदि रूप होते हैं। शेष सब रूप 'जौ' के समान हैं।

संज्ञा का पदपरिचय या शब्द-बोध (Parsing of Nouns)

वाक्य का अर्थ पूर्णतया समझने के लिये वाक्य-गत शब्दों के रूप और उनके परस्पर सम्बन्ध का ज्ञान आवश्यक है। **किसी शब्द के रूपादि बताना पद-परिचय कहलाता है।**

संज्ञा के पद-परिचय में नीचे लिखी बातों का वर्णन होता है—भेद (प्रकार), लिंग, वचन, कारक, और सम्बन्ध। इसके कुछ एक उदाहरण नीचे दिये जाते हैं।

वाक्य—**शकुन्तले!** तेरे **बाप** को इससे अधिक **दुःख** क्या होगा कि **यौवन में** तू **प्राणों** को त्याग कर **संसार से** चल बसे?

शकुन्तले—संज्ञा, व्यक्तिवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, सम्बोधन।

बाप को—संज्ञा, जातिवाचक, पुँल्लिंग; एकवचन, सम्प्रदान।

दुःख—संज्ञा, भाववाचक, पुँल्लिंग, एकवचन, कर्ता 'होगा' क्रिया का।

यौवन में—संज्ञा, भाववाचक, पुँल्लिंग, एकवचन, अधिकरण।

प्राणों को—संज्ञा, जातिवाचक, पुँल्लिंग, बहुवच[illegible]र्म 'त्यागकर' क्रिया का।

संसार से—संज्ञा, जातिवाचक, पुँल्लिंग, एकवच[illegible]पादान।

अभ्यास

१. शब्द किसे कहते हैं ? शब्द और पद में क्या भेद है ? इसे उदाहरण देकर समझाओ ?

२. शब्दांश किसे कहते हैं ?

३. संज्ञा के भेद और उनके लक्षण बताओ। कौन कौन से अन्य शब्द संज्ञा केसमान प्रयुक्त होते हैं ?

४. भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है ? इसके नियम बताओ।

५. व्यक्तिवाचक सज्ञाओं के चार उदाहरण (वाक्य में प्रयोग करके) ऐसे दो, जो जातिवाचक संज्ञाओं के समान प्रयुक्त हुई हों। इसी प्रकार चार उदाहरण भाववाचक संज्ञाओं के और चार उदाहरण जातिवाचक संज्ञाओं के ऐसे दो, जो व्यक्तिवाचक के समान प्रयुक्त हुई हों।

६. लिंग और वचन किसे कहते हैं ? हिन्दी में लिंग और वचन कितने हैं ? कौन कौन से प्रत्यय लगाने से शब्द पुँल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाते हैं, उदाहरण सहित समझाओ।

७. नीचे लिखे शब्दों का लिंग बताओ और उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त करो—दीमक, तारा, हवा, तिल, समाज, घास, छत, किताब, गन्ध, कौआ, शिशु, दम्पति, बुलबुल, सन्तान, औषध-ऋतु, सामर्थ्य, अग्नि, मुँह, आँख, महिमा, गुलाब, लड़कपन, कोयल, दाख, दही, निकास, चालचलन, बोल, कांग्रेस।

८. कारक किसे कहते हैं ? हिन्दी में कितने कारक हैं उनके प्रयोग बताओ ?

९. निम्नलिखित संज्ञाओं के सब कारकों में रूप लिखो:—बात, आज्ञा, पशु, बहू, तिथि, नदी।

१०. नीचे लिखे वाक्यों की संज्ञाओं का शब्द-बोध बताओ:—

भाई! संसार में अनेक पुरुष ऐसे हैं जिन्हें धर्म-कर्म से कुछ मतलब नहीं। वे खाना, पीना और मौज से रहना ही जीवन का उद्देश्य समझते हैं। ऐसे जन सदा स्वार्थ में डूबे रहते हैं। समाज सुधरे अथवा बिगड़े उनको इस से कुछ नहीं, उनके तन को जिस से सुख मिले वही उनका कर्तव्य है।

११. नीचे लिखे पुँल्लिङ्ग शब्दों के स्त्रीलिङ्ग में रूप लिखो:—
दास, मुर्गा, ब्राह्मण, ठठेरा, तेली, लोहार, सिंह, मिसिर, पाठक, मेहतर, गुरु, बैल, ससुर, साहब, राजा, बहनोई, भव, वैश्य।

१२. नीचे लिखे स्त्रीलिंग शब्दों के पुल्लिंग बनाओ:—

लुटिया, इन्द्राणी, नाइन, गाय, नानी, वधू, कुतिया, सिंहनी, भैंस।

चौथा अध्याय

सर्वनाम (PRONOUN)

एक ही संज्ञा को किसी वाक्य में बारबार दोहराना भद्दा मालूम होता है, अतः उसे बारबार न दोहराकर उसके स्थान में दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार संज्ञा के स्थान में उसके अर्थ को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे—"मोहन ने कहा—अपनी पुस्तक लेकर वह कल आवेगा";इसमें "अपनी" और 'वह' शब्द 'मोहन' की जगह प्रयुक्त हुए हैं इसलिए सर्वनाम हैं। यदि इन सर्वनामों का प्रयोग न होता तो इस वाक्य का यह रूप होता—'मोहन ने कहा—मोहन की पुस्तक लेकर मोहन कल आवेगा। इस में बारबार मोहन की आवृत्ति होने के कारण यह बड़ा भद्दा मालूम होता है। इसी पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है।

हिन्दी में प्रायः निम्नलिखित सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं:—

मैं, तू, वह, यह, आप, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या। इन सर्वनामों को पाँच श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है।

१ पुरुषवाचक (Personal) २ निश्चयवाचक (Demonstrative) ३ अनिश्चयवाचक (Indefinite) ४ सम्बन्ध वाचक (Relative) प्रश्नवाचक (Interrogative) ।

१ पुरुष वाचक सर्वनाम

वक्ता या लेखक बोलते या लिखते समय या तो अपने विषय में कुछ कहता है या सुननेवाले या पढ़नेवाले के विषय में, अथवा अपने और सुननेवाले को छोड़कर अन्य किसी के विषय में कहता है, इन तीनों रूपों को व्याकरण में पुरुष कहते हैं। **जो सर्वनाम बोलनेवाले, सुननेवाले और जिसके विषय में कुछ कहा जाय उसका बोध कराते हैं उन्हें पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं।**

बोलनेवाला या लिखने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तमपुरुष कहते हैं; जैसे—मैं।

सुननेवाले या पढ़नेवाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे मध्यमपुरुष कहते हैं जैसे—तू, आप।

जिसके विषय में कुछ कहा या लिखा जाय उसके लिए प्रयुक्त होनेवाले सर्वनाम शब्द अन्य पुरुष कहाते हैं; जैसे—यह, वह, सो, जो, कुछ, कौन, क्या आदि।

मैं और हम—

'मैं' उत्तम पुरुष के एकवचन में और 'हम' बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे—'मैं सोया', 'हम सोये'। पर 'हम' निम्नलिखित स्थलों पर एक वचन के अर्थों में भी आता है।

(क) संपादक और ग्रन्थकार लोग अपने लिए बहुधा 'हम'

का प्रयोग करते है। जैसे—आगे हम सर्वनाम की व्याख्या करेंगे।

(ख) बड़े बड़े अधिकारी तथा प्रतिष्ठित पुरुष विशेषकर जब वे किसी अधिकार से बोलते हैं तो 'मैं' की जगह 'हम' का ही प्रयोग करते हैं। जैसे—'हम हुक्म देते हैं कि उसको हाज़िर करो'।

(ग) किसी समुदाय की ओर से प्रतिनिधि होकर जब बात कही जावे तब भी कहनेवाला अपने लिए 'हम' का ही प्रयोग करता है। जैसे—हवा के बिना हम पलभर नहीं जी सकते।

(घ) कभी कभी अभिमान अथवा क्रोध में भी 'मैं' के स्थान पर 'हम' का प्रयोग होता है, जैसे—"विश्वामित्र—हम आधी दक्षिणा लेकर क्या करें ?"

(ङ) कहीं कहीं साधारण बोलचाल में भी 'मैं' की जगह हम का ही प्रयोग किया जाता है। वहाँ बहुवचन बनाने के लिए 'हम' के साथ 'लोग' जोड़ा जाता है। जैसे—हम अभी खाना नहीं खायेंगे। हम लोग आज काम पर नहीं जायेंगे।

तू और तुम

'तू' मध्यमपुरुष एकवचन में और 'तुम' बहुवचन में आता है। जैसे—'तू खा' और 'तुम खाओ'। साधारणतया 'तू' से निरादर सूचित होता है, अतः सभ्य-समाज में एक वचन में भी 'तुम' का ही प्रयोग होता है। निम्नलिखित स्थलों पर भी 'तू' का प्रयोग किया जाता है—

(१) भक्त की ओर से देवता के प्रति प्रार्थना में; जैसे—'तू है प्रभु चाँद मैं हूँ चकोरा'।

(२) घनिष्ठमित्र, अपने से छोटे, स्नेहपात्र या नौकर आदि के लिए; जैसे—देवदत्त! **तू** चल मैं आता हूँ। क्यों रे हरिया, अभी तक **तूने** कमरा साफ नहीं किया?

(३) तिरस्कार और क्रोध में; जैसे—"अभी **तैंने** (तूने) मुझे पहिचाना कि नहीं?"

यह, ये; वह, वे—

'यह' और 'वह' अन्यपुरुष के एकवचन में तथा 'ये' और 'वे' बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे—**वह** खेल रहा है। **वे** खेल रहे हैं। आदर के लिए एकवचन में भी 'ये' और 'वे' का प्रयोग होता है। जैसे—प्रोफ़ेसर साहब कल लाहौर जा रहे हैं, **वे** अपने साथ यह सामान भी लेते जावेंगे। 'यह' तथा 'ये' प्रत्यक्ष का बोध कराते हैं और 'वह' तथा 'वे' परोक्ष का जैसे—सवेरे उठते ही मोहन के घर गया था पर **वह** वहाँ मिला नहीं। अरे, **ये** कब से यहाँ बैठे हैं पहले **इनके** लिए कुछ खाने को तो लाओ।

'यह' और 'वह' जब एक ही वाक्य में प्रयुक्त होते है तो 'यह' पीछे कही हुई संज्ञा को और 'वह' पहले कही हुई संज्ञा को प्रकट करता है। जैसे—महात्मा और दुरात्मा में इतना भेद है कि **वे** दूसरों के दुःख देखकर प्रसन्न होते हैं और **ये** दूसरों के दुःखों से स्वयं दुःखित रहते हैं।

आप—

'तू' और 'तुम' के स्थान में आदर के लिए दोनों वचनों में 'आप' का प्रयोग होता। जैसे—'तू चला जा' के स्थान में 'आप चले जाइये'; **आप** सब अभी यहाँ बैठिये। कभी कभी अन्यपुरुष में 'यह' और 'वह' के स्थान पर भी 'आप' का प्रयोग किया जाता है; जैसे—**आप** (यह) मेरे मित्र हैं; भारतेंदु हरिश्चन्द्र वर्त्तमान हिन्दी-गद्य के जन्मदाता कहे जाते हैं, **आप** (वे) काशी के रहनेवाले थे।

'आप' का प्रयोग निज अर्थ में भी होता है। तब यह तीनों पुरुषों और दोनों वचनों में आता है। निज अर्थ में 'आप' सदा दूसरे सर्वनामों तथा संज्ञाओं के साथ ही आता है। जैसे—मैं आप वहाँ गया, तुम आप वहाँ जाओ, वे आप यहाँ आये थे, देवदत्त ने आप यह कहा था। 'आप' की जगह पर 'स्वयं', 'खुद', 'स्वतः' आदि का भी प्रयोग होता है। जैसे—तुम स्वयं वहाँ जाओ। मैं खुद उनसे बात करूँ तो असलीयत मालूम हो। कभी कभी 'आप' का अकेला प्रयोग भी होता है; जैसे—'आप भला तो जग भला।'

२ निश्चयवाचक सर्वनाम

निश्चयवाचक सर्वनाम वे हैं जो किसी वस्तु का निश्चय करावें। अन्यपुरुषवाचक, यह, वह, ये, वे, ही निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को निर्देशवाचक या संकेत-वाचक भी कहा जाता है। 'यह' और 'ये' पासवाली वस्तुओं के लिए तथा 'वह' और 'वे' दूर की वस्तुओं के लिए आते

हैं। जैसे—जितने फल रमेश लाया है उनमें से केवल ये अच्छे निकले हैं। मालूम होता है ये उसने आज खरीदे होंगे और वे उसके पास पहले के पड़े होंगे। यहाँ ये 'शब्द' से फलों के समीप होने का तथा 'वे' से दूर होने का निश्चय पाया जाता है।

३ अनिश्चयवाचक सर्वनाम

जिस सर्वनाम से किसी विशेष वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम दो हैं—कोई और कुछ। जैसे—क्या **कोई** मेरे लिए कुछ दे गया है ?' इस वाक्य में 'कोई' और 'कुछ' शब्दों से किसी वस्तु के विषय में कुछ निश्चय नहीं पाया जाता।

'कोई' का प्रयोग प्रायः नीचे लिखे अर्थों में होता है।

(क) किसी अज्ञात व्यक्ति के लिए आता है। जैसे—देखना कोई मेरे पीछे यहाँ आ न जाय।

(ख) जब व्यक्तियों का पता तो हो पर यह मालूम न हो कि उन में से कौन उपस्थित है—तो 'कोई' का प्रयोग होता है जैसे—अरे ! कोई यहाँ है ?

(ग) कोई के पहले 'सब' लग जाय तो उसका अर्थ 'सब लोग' और 'हर' लग जाय तो उसका अर्थ 'प्रत्येक' हो जाता है। जैसे—सब कोई यह बात कह रहे थे। हर काम हर कोई नहीं कर सकता।

(घ) किसी संख्यावाचक संज्ञा के पहले 'कोई' लग जाय तो इसका अथ 'लगभग' हो जाता है। जैसे—इस स्कूल में कोई तीन सौ लड़के होंगे।

'कुछ' प्रायः विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है पर नीचे लिखे अर्थों में इसका सर्वनाम के रूप में भी प्रयोग होता है।

(क) किसी अज्ञात वस्तु के लिए। जैसे—पानी में कुछ है, इसे फेंक दो।

(ख) 'कुछ का कुछ' से 'विपरीतता' का बोध होता है। जैसे—मैंने तो आपको यह नहीं कहा था, आपने कुछ का कुछ समझ लिया।

(ग) 'कुछ-कुछ' से विचित्रता सूचित होती है। जैसे—अरे यहाँ तो हमारी न पटेगी, यहाँ एक कुछ कहता है दूसरा कुछ।

'कोई' का प्रयोग प्राणियों के लिए होता है और 'कुछ' का निर्जीव पदार्थों के लिए या छोटे प्राणियों के लिए।

४ सम्बन्ध वाचक सर्वनाम

सम्बन्धवाचक सर्वनाम वे हैं जो एक बात का दूसरी बात से सम्बन्ध प्रकट करते हैं। जैसे—जो और सो। 'सो' सदा 'जो' के साथ आता है। जैसे—**जो** कठिनाई थी सो दूर हो गई। आप **जो** न कहें **सो** थोड़ा है। सो के स्थान पर 'वह' का भी प्रयोग होता है। जैसे—'जो हरिश्चन्द्र ने किया वह अब कोई भी भारतवासी न करेगा'। कभी कभी 'जो' या 'सो' में से एक लुप्त रहता। जैसे—हुआ सो हुआ। जो, आता है आपके गुण गाता है।

५ प्रश्नवाचक सर्वनाम

जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे—क्या, कौन।

'क्या' अप्राणियों के लिए और 'कौन' प्राणियों—विशेषतः मनुष्यों—के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे—क्या किया है? कौन आया है?

'कौन' तिरस्कार के लिए भी आता है। जैसे—तुम मुझे रोकने वाले कौन हो?

ऊपर लिखे सर्वनामों के अतिरिक्त एक, दो, और, अन्य दोनों, सब, दूसरा, पहला, कई आदि और भी सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे—**एक** ही पर्याप्त होगा, **दो** की कोई आवश्यकता नहीं। **दोनों** ही बिना पूछे चलते बने, यहाँ **एक** भी नहीं रहा। **पहले** को अपने काम से फुर्सत नहीं, **दूसरा** दिन-रात इधर-उधर घूमता रहता है। **सब** यहीं आ रहे हैं। उनमें से चार पुस्तकें तो तुम ले ही गए थे **और** यहाँ रक्खी हैं। **कई** यह कह रहे थे।

कई बार कई सर्वनाम जुड़ कर भी मुहावरे के तौर पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे—जो कोई, कई एक, कोई कुछ तो कोई कुछ, एक दूसरा, कोई न कोई, सब कोई, एक आधा, और का और, क्या से क्या, कौन कौन, क्या क्या, एक न एक, कुछ न कुछ आदि। जैसे—**जो कोई** गंगा पार जा सकेगा, उसी को यह मिलेगा। बताओ तो **कौन कौन क्या क्या** कह रहे थे? क्या बताऊँ **कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ, एक दूसरे** की बात ही न सुनते थे। **सब कोई** तो यहाँ आने से रहे पर **कोई न कोई** (एक न एक) आज-कल में यहाँ अवश्य आवेगा और **कुछ न कुछ** जरूर होगा।

हम क्या से क्या सोच रहे थे और यहाँ और का और ही हो गया।

सर्वनामों के रूपान्तर

वचन और कारक के कारण संज्ञाओं की तरह सर्वनामों के भी रूपान्तर होते हैं परन्तु लिंग के कारण इनका रूप नहीं बदलता।

सर्वनामों का सम्बोधन कारक नहीं होता, क्योंकि किसी को पुकारते समय हम उसका नाम या उपनाम लेकर ही पुकारते हैं; सर्वनाम द्वारा कभी किसी को नहीं पुकारते।

कर्त्ता कारक के विभक्ति-रहित बहुवचन में, मैं, तू, यह, वह के रूप क्रम से हम, तुम, ये, वे हो जाते हैं। शेष सर्वनाम जैसे के तैसे रहते हैं।

कर्त्ता कारक तथा सम्बन्ध कारक को छोड़कर शेष कारकों के एकवचन में 'मैं' और 'तू' का रूप क्रमशः 'मुझ' और 'तुझ' तथा सम्बन्ध कारक को छोड़कर शेष कारकों के बहुवचन में 'हम' और 'तुम' हो जाता है। सम्बन्ध कारक के दोनों वचनों में 'मैं' का रूप क्रमशः 'मे' और 'हमा' तथा 'तू, का रूप क्रमशः, 'ते' और 'तुम्हा' हो जाता है और 'का-के की' की जगह पर 'रा, रे, री' विभक्तियाँ जुड़ती हैं।

यह, वह, कौन, जो, सो, कोई, के साथ विभक्तियाँ जुड़ने पर एकवचन में क्रम से इस, उस, किस, जिस, तिस, किसी और बहुवचन में इन, उन, किन, जिन, तिन रूप हो जाते हैं। विभक्ति-सहित कर्त्ता कारक के बहुवचन में इन के दो दो

रूप विकल्प से होते हैं। जैसे—इनने-इन्होंने, किनने-किन्होंने, उनने-उन्होंने, जिनने-जिन्होंने, तिनने-तिन्होंने। अन्तिम 'कोई' शब्द का विभक्ति सहित बहुवचन नहीं बनता बहुवचन में केवल उसकी द्विरुक्ति ही हो जाती है। जैसे—'कोई कोई' कहते हैं। कई बार बिना द्विरुक्ति के भी 'कोई' शब्द बहुवचन में बिना किसी रूप-परिवर्त्तन के प्रयुक्त होता है। जैसे—आज हमारे यहाँ 'कोई' आए हैं।

मैं, तू, यह, वह, कौन, जो, और, सर्वनामों के कर्म और सम्प्रदान कारकों में 'को' की जगह एकवचन में 'ए' और बहुवचन में 'एँ' विभक्ति भी लगती। जैसे—मुझको-मुझे; हमको, हमें, आदि।

पुरुषवाचक सर्वनामों के विभक्तिरहित कर्त्ता एकवचन और सम्प्रदानकारक को छोड़कर शेष कारकों में निश्चय के लिए एकवचन में 'ई' और बहुवचन में 'ई' या 'हीं' लगाते हैं; जैसे—मुझी को, तुझी से, तुम्हीं से।

पहले हम बता चुके हैं कि 'आप' शब्द आदरसूचक और निजवाचक है। आदरसूचक 'आप' शब्द के साथ विभक्तियाँ आती हैं और विभक्ति के पहले उस का रूप नहीं बदलता। परन्तु निज-वाचक 'आप' शब्द एकवचन ही में रहता है। बहुवचन संज्ञा और सर्वनाम के साथ भी यह एकवचन में ही रहता है; इसका विकृत रूप 'अपना' है जो सम्बन्ध कारक में आता है। कर्त्ता और सम्बन्ध कारक को छोड़कर शेष कारकों में इस विकृत रूप—अपना—के साथ ही सब विभक्तियाँ लगाई जाती हैं। जैसे—अपने से, अपने को।

कभी कभी 'अपना' और 'आप' दोनों का मिलकर भी प्रयोग होता है तब विभक्ति 'आप' के बाद लगती है। जैसे—अपने आप को, अपने आप से।

जब संज्ञा के समान 'अपना' स्वजनों अथवा अपनी वस्तुओं के अर्थ में आता है तब उसके रूप अन्य आकारान्त सज्ञाओं के समान दोनों वचनों में होते हैं। जैसे—अपने माता-पिता की सेवा करो, 'घिरी घटाएँ देख घड़ा मत अपना फोड़ो', अपने लिए मैं क्या लिखूँ?

आप शब्द का एक और रूप 'आपस' है। इसका प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है; जैसे—आपस में मत लड़ो, आपसकी फूट बुरी है।

सब, कुछ और क्या शब्दों का रूपान्तर नहीं होता। 'सब' शब्द के साथ सब विभक्तियाँ लगती हैं। 'कुछ' और 'क्या' के साथ 'से' और 'का, के, की' को छोड़ और विभक्तियाँ नहीं आतीं। जैसे—क्या से क्या, कुछ से कुछ, क्या का क्या, कुछ का कुछ। कई वैयाकरण 'काहे को' 'काहे से' आदि को 'क्या' के रूपान्तर लिखते हैं, परन्तु ये रूप अब प्रयोग में नहीं आते।

सर्वनामों की रूपावली

पुरुषवाचक (उत्तम पुरुष)—मैं

कर्त्ता	मैं, मैंने	हम, हमने
कर्म	मुझे, मुझको	हमें, हमको
करण	मुझ से	हमसे
सम्प्रदान	मुझे, मुझको, मेरे लिए	हमें, हमको, हमारे लिए
अपादान	मुझसे	हमसे

सम्बन्ध	मेरा-री-रे	हमारा-री-रे
अधिकरण	मुझमें-पर	हममें-पर

पुरुषवाचक (मध्यमपुरुष)—तू

कर्त्ता	तू, तूने,	तुम, तुमने
कर्म	तुझे, तुझको	तुम्हें तुमको
करण	तुझसे,	तुमसे
सम्प्रदान	तुझे, तुझको, तेरे लिए	तुम्हें तुमको, तुम्हारे लिए
अपादान	तुझसे	तुमसे
सम्बन्ध	तेरा-री-रे	तुम्हारा-री-रे
अधिकरण	तुझमें-पर	तुममें-पर

पुरुषवाचक (अन्य पुरुष) और निश्चयवाचक—वह

कर्त्ता	वह, उसने	वे, उनने, उन्होंने
कर्म	उसे, उसको	उन्हें, उनको
करण	उससे	उनसे
सम्प्रदान	उसको, उसे उसके लिए	उनको, उन्हें, उनके लिए
अपादान	उससे	उनसे
सम्बन्ध	उसका-के-की	उनका-के-की
अधिकरण	उसमें-पर	उनमें-पर

पुरुषवाचक (अन्य पुरुष) और निश्चयवाचक—यह

कर्त्ता	यह, इसने	ये, इनने, इन्होंने
कर्म	इसे, इसको	इन्हें, इनको
करण	इससे	इनसे
सम्प्रदान	इसे, इसको, इसके लिए	इन्हें, इनको, इनके लिए

अपादान	इससे	इनसे
सम्बन्ध	इसका-के-की	इनका-के-की
अधिकरण	इसमें-पर	इनमें-पर

पुरुषवाचक (आदरसूचक) आप

कर्त्ता	आप, आपने
कर्म	आपको
करण	आपसे
सम्प्रदान	आपको
अपादान	आपसे
सम्बन्ध	आपका-के-की
अधिकरण	आप में-पर

ऊपर लिखे शब्दों के बहुवचन के पीछे 'लोग' लगा कर भी बोलते हैं। जैसे—तुम लोग, आप लोग, हम लोग, वे लोग, ये लोग आदि।

निजवाचक—आप

कर्ता	आप
कर्म	अपने को
करण	अपने से
सम्प्रदान	अपने को, अपने लिए
अपादान	अपने से
सम्बन्ध	अपना,ने-नी
अधिकरण	अपने में-पर

अनिश्चयवाचक—कोई

कर्त्ता	कोई, किसी ने
कर्म	किसी को
करण	किसी से
सम्प्रदान	किसी को
अपादान	किसी से
सम्बन्ध	किसी का-के-की
अधिकरण	किसी में-पर

कोई कोई इसके सविभक्तिक बहुवचन का रूप 'किन्हीं' लिखते हैं; वे विभक्तियाँ इसी रूप के आगे लगाते हैं। जैसे—किन्हींने, किन्हींको, किन्हींसे।

सम्बन्धवाचक—जो (जौन)

कर्त्ता	जो, (जौन), जिसने	जो, (जौन), जिन्होंने, जिनने
कर्म	जिसे, जिसको	जिन्हें, जिनको
करण	जिससे,	जिन से
सम्प्रदान	जिसे, जिसको, जिसके लिए	जिन्हें, जिनको, जिनके लिए
अपादान	जिससे	जिन से
सम्बन्ध	जिसका-के-की	जिनका, के-की
अधिकरण	जिसमें-पर	जिनमें-पर

सम्बन्धवाचक—सो (तौन)

कर्त्ता	सो, (तौन), तिसने,	(तौन), तिनने, तिन्होंने
कर्म	तिसे, तिसको	तिन्हें, तिनको
करण	तिससे	तिनसे

सम्प्रदान	तिसको, तिसे	तिनको, तिन्हें
अपादान	तिससे	तिनसे
सम्बन्ध	तिसका-के-की	तिनका-के-की
अधिकरण	तिसमें-पर	तिनमें-पर

प्रश्नवाचक—कौन

कर्त्ता	कौन, किसने	कौन, किनने, किन्होंने
कर्म	किसको, किसे	किनको, किन्हें
करण	किससे	किनसे
सम्प्रदान	किसको, किसे, किसकेलिए	किनको, किन्हें, किनकेलिए
अपादान	किससे	किनसे
सम्बन्ध	किसका-के-की	किनका-के-की
अधिकरण	किसमें-पर	किनमें-पर

इसी प्रकार 'सब' और 'सभी' के रूप जानो।

सर्वनाम का पद-परिचय (Parsing of Pronoun)

सर्वनाम, के पद-परिचय में सर्वनामों का प्रकार, पुरुष, लिंग वचन, कारक और उनका अन्य शब्दों से सम्बन्ध बताना चाहिये। उदाहरणार्थ—

'उन्होंने कहा—कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है'

उन्होंने—सर्वनाम, पुरुषवाचक, अन्यपुरुष, बहुवचन कर्ता 'कहा' क्रिया का।

कौन—सर्वनाम, प्रश्नवाचक, अन्यपुरुष, एकवचन, 'बिगा सकता है' क्रिया का कर्ता।

तुम्हारा—सर्वनाम, पुरुषवाचक, मध्यमपुरुष, बहुवचन; सम्बन्ध 'कुछ' के साथ।

कुछ—सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, अन्यपुरुष, एकवचन, 'बिगाड़ सकता है' क्रिया का कर्म।

नोट—यदि वाक्य में वह संज्ञा, जिसका सर्वनाम स्थानापन्न है, मौजूद हो तो पद-परिचय देते हुए उसका उल्लेख करना आवश्यक है।

अभ्यास

१. सर्वनाम किसे कहते हैं—सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम और उदाहरण लिखो।

२. कौन, मैं, वह और जो के रूप लिखो।

३. निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम का शब्द-बोध (निरुक्ति) बताओ—आप कहाँ से आये हैं? क्या कर रहे हैं? कुछ अपनी दशा विचारी? उनसे किसने कहा "मैं तुम्हारा हितैषी हूँ"। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। सभी एक दूसरे से लड़ते हैं। मैंने तो तुमसे कहा था वह बड़ा खराब है।

४. नीचे लिखे वाक्यों के रिक्त स्थानों में यथायोग्य सर्वनाम लिखो—

—यहाँ आया था। उसने—कहा'—काम में होशियार रहो, संसार में देखा गया है—परिश्रम करता है—उत्तम फल प्राप्त करता है।' जाने दो—बात को—काम की नहीं। श्याम और—स्त्री यहाँ पहुँचे।

पाँचवाँ अध्याय

विशेषण (Adjective)

जिस पद से किसी संज्ञा या सर्वनाम की कोई विशेषता या गुण प्रकट हो अथवा उनका क्षेत्र संकुचित हो जाय उसे विशेषण कहते हैं। जैसे—काला (साँप), रेशमी (कपड़े), पाँच (सन्तरे)।

'कपड़ा लाओ' कहने पर लानेवाला सूती, ऊनी, रेशमी किसी तरह का भी कपड़ा ला सकता है, पर जब कपड़े के साथ रेशम शब्द जोड़ दिया जाय—अर्थात् 'रेशमी कपड़ा लाओ'—यह कहा जाय तो लाने वाला रेशमी कपड़ा ही लावेगा, ऊनी या सूती नहीं। इस तरह रेशमी शब्द कपड़े की विशेषता प्रकट करता है और उसके क्षेत्र को संकुचित कर देता है।

इसी तरह 'आम लाओ' कहने पर लाने वाला एक आम भी ला सकता है और दस भी। पर जब उसे कह दिया जाय कि पाँच आम लाओ तो वह पाँच ही आम लावेगा। 'पाँच' शब्द ने आम का क्षेत्र संकुचित कर दिया, इसलिए यह भी विशेषण है।

विशेषण द्वारा जिस संज्ञा की विशेषता प्रकट होती है उसे विशेष्य कहते हैं। 'रेशमी कपड़ा' में 'कपड़ा' विशेष्य है और 'रेशमी' विशेषण; 'काला साँप' में 'साँप' विशेष्य है 'काला' विशेषण। विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है—एक

विशेष्य से पहले और दूसरा विशेष्य के बाद। जैसे—'ऐसा सुन्दर फूल मैंने पहले कभी नहीं देखा' और 'यह फूल बड़ा सुन्दर है' इन दोनों वाक्यों में 'सुन्दर फूल का विशेषण है। पहले वाक्य में वह विशेष्य (फूल) से पहले आया है और दूसर वाक्य में पीछे। **जो विशेषण विशेष्य से पहले आता है उसे विशेष्य-विशेषण कहते हैं और जो विशेषण विशेष्य से पीछे आता है उसे विधेय-विशेषण।**

विशेषण चार प्रकार के हैं—१ गुण वाचक (Adjective of Quality) २ संख्यावाचक (Numeral Adjective) ३ परिमाण वाचक (Quantative Adjective) ४ सार्वनामिक या निर्देशक विशेषण (Demonstrative Adjective)।

१ गुणवाचक विशेषण

जिस विशेषण द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम में गुण, आकार, स्थान, समय तथा देश आदि की विशेषता पाई जाती है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे—

रंग—काला, पीला, लाल, नीला, हरा, सफेद आदि।

आकार—गोल, सुडौल, सुन्दर, कुरूप, पोला, नुकीला आदि।

दशा—पतला, मोटा, गाढ़ा, गीला, सुखी आदि।

देश—हिन्दुस्तानी, चीनी, जापानी, ईरानी आदि।

स्थान } बाहरी, भीतरी, ऊँचा, नीचा आदि।

दिशा } पूर्वी, दक्षिणी (दायाँ) आदि।

गुण—अच्छा, बुरा, धर्मात्मा, पापी आदि।

काल—नया, पुराना, भूत, वर्तमान, गत, आगामी आदि।

नोट—कर्तृवाचक, कर्मवाचक और क्रियाद्योतक संज्ञाएँ भी विशेषण होकर आती हैं; जैसे—**पढ़नेवाले** विद्यार्थी, **मरा हुआ** घोड़ा, **पहचाना** हुआ आदमी, **झूमती** डाल।

गुणवाचक विशेषणों के साथ हीनता के अर्थ में 'सा' प्रत्यय जोड़ा जाता है; जैसे—वह **बड़ा सा** पेड़ जामन का है (बहुत बड़ा नहीं थोड़ा बड़ा)।

संज्ञाओं साथ के 'नाम' या 'नामक', 'सम्बन्धी', 'रूपी', 'तुल्य', 'समान', 'सरीखा' आदि प्रत्यय लगा कर भी गुणवाचक विशेषण बनाये जाते हैं; जैसे—भरतसरीखा भाई मिलना कठिन है। लघुपतनकनामक एक कौवा था। समाज सम्बन्धी बातें मिलकर सोचनी चाहिये। भवरूपी-सागर को ज्ञान के बिना तैरना कठिन है। रामसरीखे बालक को प्राप्त कर कौशल्या के आनन्द का पारावार न रहा।

गुणवाचक विशेषण के बदले बहुधा संज्ञा के सम्बन्धकारक के रूप भी प्रयोग में आते हैं। जैसे—विदेशी (विदेश का) राज, जापानी (जापान का) कपड़ा, घरू (घर का) झगड़ा।

कहीं कहीं गुणवाचक विशेषणों का विशेष्य लुप्त रहता है। तब उनका प्रयोग संज्ञाओं के समान होता है। जैसे—बड़ों (बड़े आदमियों) ने सच कहा है। 'तुलसी हाय गरीब (गरीब आदमी) की कबहुँ न निष्फल जाय'।

२ संख्यावाचक विशेषण

जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की गणना, क्रम समूह और गुणा आदि का बोध कराते हैं उन्हें संख्या-

वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे—**चार** लड़के, **पाँचवाँ** पृष्ठ, **दोनों** आदमी, **बहुत** से फल।

संख्यावाचक विशेषण के तीन भेद हैं—निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक और विभागवाचक या प्रत्येकबोधक।

निश्चित संख्यावाचक विशेषण वे हैं जिन से निश्चित संख्या का बोध होता है; जैसे—चार, आठवाँ, दसगुणा, सातों। इसके फिर चार भेद हैं—(क) गणनावाचक, (ख) क्रमवाचक (ग) आवृत्तिवाचक (घ) समुदायवाचक।

(क) गणनावाचक—गणनावाचक विशेषणों से गणना की जाती है। जैसे—एक मनुष्य, पाँच फूल, सात वृक्ष।

गणनावाचक विशेषण के साथ 'एक' लगाने से 'लगभग' अर्थ प्रकट होता है; जैसे—**पन्द्रह-एक** आदमी थे—अर्थात् लग-भग पन्द्रह आदमी थे। 'एक' के साथ 'आध' लगाया जाता है; जैसे—**एक-आध** दिन ही रहूँगा।

गणनावाचक दो विशेषणों के इकट्ठा आने पर भी अर्थ अनिश्चित हो जाता है। जैसे—**दस-पन्द्रह** दिन मुझे वहाँ लगेंगे। **बीस-पच्चीस** ही आदमी आये थे। बीस, पचास आदि के साथ 'ओं' जोड़ने से भी अर्थ अनिश्चित हो जाता है; जैसे—वहाँ **पचासों** आदमी मौजूद थे।

(ख) क्रमवाचक—क्रमवाचक विशेषणों से विशेषण की क्रमानुसार गणना का ज्ञान होता है। जैसे—पहला, दूसरा, चौथा, दसवाँ आदि।

क्रमवाचक विशेषण साधारण; गणनावाचक विशेषणों के

अन्त में 'वाँ' जोड़ने से बनते हैं। जैसे—पाँच से पाँचवा, सात से सातवाँ, आठ से आठवाँ, बीस से बीसवाँ। इस नियम के नीचे लिखे पाँच रूप अपवाद हैं—

एक—पहला	तीन—तीसरा	छः—छटा
दो— दूसरा	चार—चौथा	

(ग) आवृत्तिवाचक—आवृत्तिवाचक विशेषण यह बताता है कि विशेष्य से जिस वस्तु का बोध होता है वह कै गुना है। विशेषण के अन्त में 'गुना' लगाने से आवृत्ति विशेषण बनता है। 'गुना' लगाने से आठ तक के गणनावाचक विशेषणों के रूप में कुछ परिवर्तन आजाता है। जैसे—दो---दुगना या दूना; तीन- -तिगुना या तीन गुना, चार—चौगुना, पाँच—पँचगुना, छः—छैगुना, सात—सतगुना, आठ—अठगुना, नौ---नौगुना।

इकहरा, दोहरा, तिहरा इत्यादि 'हरा' प्रत्यय लगकर बने हुए शब्दों की भी आवृत्तिवाचकों में ही गणना होती है।

(घ) समुदायवाचक—जिस पद से संख्या के समुदाय का बोध हो वह समुदायवाचक विशेषण कहाता है। साधारण गणनावाचकविशेषणों के अन्त में 'ओं' लगाने से समुदायवाचक विशेषण बन जाते हैं। जैसे—तीन+ओं=तीनों, चार+ओं= चारों, 'दो' के साथ 'ओं' की जगह 'नों' लगता है—तुम **दोनों** वहाँ जाओ।

अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण वे हैं जिनसे निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं होता; जैसे—कई, बहुत से, कुछ, थोड़े आदि। उ०—**कई** आदमी तुम्हें मिलने आए थे। **कुछ** दिन

यहाँ और रहूँगा। परीक्षा में थोड़े दिन रह गये हैं। इसी तरह 'एक दिन ऐसा हुआ' 'मैं और आम लूगा' आदि में 'एक' तथा 'और' भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं।

विभाग वाचक या प्रत्येक-बोधक—विशेषण वे हैं जिन के लगाने से विशेष्य बोधित पदार्थों में से प्रत्येक का ज्ञान हो अर्थात् बहुतसी वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध हो।

जैसे—प्रत्येक, हरएक, हरतीसरे; प्रत्येक पुरुष विद्वान् नहीं हो सकता, हरएक को दो दो आम दो; हर तीसरे दिन हिन्दी व्याकरण पढ़ा करो।

गणनावाचक शब्द तथा संज्ञाएँ भी दुहराये जाने पर कई बार प्रत्येक-बोधक विशेषण का अर्थ देती हैं। जैसे—एक एक बालक को दो दो गेंद दे दो। 'घर घर मंगल मोद बढ़े'।

३ परिमाणवाचक विशेषण

जिस विशेषण से किसी वस्तु के माप-तौल, तथा परिमाण का पता लगे वह परिमाणवाचक विशेषण कहाता है। जैसे—दो गज़ कपड़ा, दो सेर दूध, मन भर घी।

परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद हैं—जिससे किसी निश्चित परिणाम का पता लगे वह निश्चितपरिमाणवाचक तथा जिस से किसी निश्चित परिमाण का पता न लगे उसे अनिश्चितपरिमाणवाचक कहते हैं। जैसे—(निश्चितपरिमाण) दो मन दूध, (अनिश्चितपरिमाण) बहुत दूध।

सब, बहुत, थोड़ा अधिक, कम, सारा, कुछ, इत्यादि विशेषण

अनिश्चितपरिमाणवाचक भी हैं और अनिश्चित संख्यावाचक भी। जब ये एकवचन संज्ञा के साथ आते हैं तब अनिश्चितपरिमाण वाचक होते हैं और जब बहुवचन संज्ञा के साथ आते हैं तब 'अनिश्चितसंख्यावाचक' होते हैं। 'अनिश्चितपरिमाणवाचक' तथा 'अनिश्चितसंख्यावचक' विशेषणों में दूसरा भेद यह है कि जब ये किसी ऐसी वस्तु के साथ आवें जो गिनी जा सके तब 'अनिश्चितसंख्यावाचक' होंगे और जब ऐसी वस्तु के साथ आवें जो गिनी न जा सके अपितु तौली तथा मापी जा सके तब 'अनिश्चितपरिमाणवाचक' होंगे।

'प्रान्त-भर के सारे नगरों में हड़ताल मनाईगई'; 'सारानगर खूब सजाया गया।' इन दो वाक्यों से 'अनिश्चितसंख्यावाचक' तथा 'अनिश्चितपरिमाणवाचक' का भेद स्पष्ट हो जायगा। पहले वाक्य में 'सारे' पद 'अनिश्चितसंख्या-वाचक' विशेषण है क्योंकि वह बहुवचन संज्ञा के साथ प्रयुक्त हुआ है। चालीस, पचास, जितने नगर हैं उनकी गिनती हो सकती है। दूसरे वाक्य में 'सारा' पद 'अनिश्चितपरिमाणवाचक' विशेषण है क्योंकि यह एकवचनसंज्ञा के साथ प्रयुक्त हुआ है। ऐसे ही—सब आदमी, कुछ फल, बहुत पुस्तकें, थोड़े कपड़े, सब रुपये इत्यादि 'अनिश्चितसंख्यावाचक' हैं तथा थोड़ा पानी, अधिक मक्खन, कुछ कपड़ा, सब धन इत्यादि 'अनिश्चितपरिमाणवाचक' हैं।

'अल्प', किंचित्' और 'ज़रा' आदि केवल परिमाणवाचक विशेषण हैं; संख्यावाचक नहीं।

अनिश्चितपरिमाण-वाचक विशेषण, परिमाणवाचक संज्ञाओं

में 'ओं' जोड़ने से अथवा दो निश्चित संख्यावचक विशेषणों के इकट्ठा आने से बनते हैं। जैसे—(सेर+ओं)=सेरों दूध, दो-चार सेर दूध। दो परिमाणवाचकविशेषण मिलकर भी आते हैं; जैसे-**थोड़ा बहुत** लाभ तो हर एक व्यवसाय में होता ही है। बहुत, अधिक, थोड़ा आदि के साथ 'सा' प्रत्यय निश्चय के अर्थ में लगाया जाता हैं; **थोड़ीसी** तो पूँजी है। **ज़रासी** कमाई में क्या गुज़र हो सकती है।

निश्चितपरिमाणवाचक विशेषण बनाने के लिए परिमाण-वाचक के साथ निश्चितसंख्यावाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है; जैसे—चार सेर घी, दो मन दूध। 'एक' के अर्थमें विशे-षण के साथ 'भर' प्रत्यय भी लगता है; जैसे—गज़ भर=एक गज़, सेर भर=एक सेर।—

४ निर्देशक या सार्वनामिक विशेषण

जिस विशेषण से किसी की ओर निर्देश या संकेत किया जाता है उसे निर्देशक विशेषण कहते हैं। निर्देश 'यह' 'वह' आदि सर्वनाम शब्दों से ही किया जाता है इस लिए निर्देशक विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है। "वह बन्दर बैठा है" "यह पुस्तक पड़ी है" आदि वाक्यों में 'यह' और 'वह' निर्देशक विशेषण ही हैं क्योंकि इन शब्दों से 'बन्दर' और 'पुस्तक' की ओर इशारा पाया जाता है।

सर्वनाम शब्द जब अकेले प्रयुक्त हों तो सर्वनाम होते हैं और जब किसी संज्ञा से पहले हों तो विशेषण होते हैं। जैसे—"मैं

आज देवदत्त के घर गया था पर वह वहाँ मिला नहीं"। यहाँ 'वह'सर्वनाम है क्योंकि वह देवदत्त की जगह आया है। "वह बन्दर बैठा है" वाक्य में 'वह' विशेषण है क्योंकि वह संज्ञा (बन्दर) से पहले आया है और बंदर की तरफ निर्देश करता है।

कई सार्वनामिक विशेषण ऐसे हैं जिनका रूप मूल सर्वनाम जैसा रहता है, जैसे—यह, वह; और कई ऐसे हैं जो मूलसर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं; जैसे—ऐसे पुत्र ढूँढ़े नहीं मिलेंगे। जैसा देश वैसा भेस। कुछ एक सार्वनामिक विशेषण नीचे दिये जाते हैं।

यह,	इस,	ऐसा,	इतना,	इससरीखा
वह,	उस,	वैसा,	उतना,	उससरीखा
सो,	तिस,	तैसा		
जो,	जिस,	जैसा,	जितना	
कौन,	किस,	कैसा,	कितना	
कोई,	कोईसा			
कुछ,				
मुझसा,	मुझसरीखा			
तुझसा,	तुझसरीखा			

विशेषणों की तुलना (Degrees of Comparision)

वस्तुओं के गुणों के मिलान को तुलना कहते हैं। तुलना के विचार से विशेषणों की तीन अवस्थाएँ होती हैं—मूल (Positive), उत्तर (Comparative), उत्तम (Superlative)।

मूलावस्था में तुलना नहीं होती; जैसे—मोहन परिश्रमी लड़का है।

उत्तरावस्था में दो की तुलना करके एक की अधिकता या न्यूनता दिखाई जाती है; जैसे—मोहन श्याम से छोटा है, मोहन श्याम से अधिक चालाक है।

उत्तमावस्था में दो से अधिक वस्तुओं की तुलना करके एक को सब से बढ़ कर अथवा सबसे घट कर बताया जाता है; जैसे—मोहन अपनी श्रेणी में सबसे छोटा है। विष्णु इन सब से चालाक है।

जिस संज्ञा वा सर्वनाम से तुलना की जाती है, उसके आगे 'से' (अपादान कारक की विभक्ति) लगाते हैं अथवा 'की अपेक्षा' या 'बनिस्बत' का उपयोग किया जाता है। विशेषण से पूर्व कभी कभी 'अधिक', 'कम', 'बढ़कर', 'उतर कर' भी लगा देते हैं, जैसे—शिष्य गुरु से तेज़ वा अधिक तेज़ निकला। देवदत्त उससे भी बढ़कर चालाक है।

सर्वोत्तमता सूचित करने के लिए विशेषण के पहले 'सबसे' लगाते हैं—वह सबसे अधिक मूर्ख है।

उत्तमावस्था दिखाने के लिये कभी कभी विशेषणों की द्विरुक्ति करते हैं और द्विरुक्ति में कई बार पहले शब्द के आगे 'से' भी लगाया जाता है, कहीं कहीं 'बहुत ही' 'अत्यन्त' आदि शब्द भी लगाये जाते हैं; जैसे—अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे से अच्छे वस्त्र, बहुत अच्छे वस्त्र। संस्कृत शब्दों में उत्तरावस्था के लिए 'तर' और उत्तमावस्था के लिए 'तम' लगाते हैं। जैसे—श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम।

विशेषणों के रूपान्तर

विशेषण के वही लिङ्ग, वचन और कारक होते हैं जो उसके विशेष्य के हों; पर कारक के तथा वचन के कारण होनेवाले रूपान्तर विशेष्यों में ही होते हैं विशेषणों में नहीं।

विशेष्यों के लिङ्ग के कारण भी आकारान्त विशेषणों में ही कुछ परिवर्तन होता है, अन्य विशेषणों में नहीं। जैसे—लाल कपड़ा, लाल कपड़े; लाल धोती, लाल धोतियाँ।

पुँल्लिङ्ग विशेष्यों से पूर्व कर्त्ताकारक के एकवचन को छोड़कर शेष सब स्थानों में आकारान्त विशेषणों के अन्तिम 'आ' को 'ए' हो जाता है। जैसे—पीला वस्त्र, पीले वस्त्र, काले साँप से, 'ओ नीले घोड़े के सवार !'

आकारन्त विशेषण स्त्रीलिंग विशेष्य के साथ ईकारान्त हो जाते हैं। जैसे काली धोती, पतली साड़ियाँ।

विशेषण के रूप में प्रयुक्त सर्वनामों में वही रूपान्तर होता है जो उनमें सर्वनामों के रूप में प्रयुक्त होने पर होता है। जैसे--यह घोड़ा, ये घोड़े, इस लड़के ने, इन लड़कियों ने।

हिन्दी में संस्कृत विशेषणों का रूप विशेष्य के लिंग के अनुसार बदल भी जाता है और नहीं भी। दोनों ही रूप हिन्दी में प्रचलित हैं; जैसे–सुशील कन्या भी लिखा जाता है और सुशीला कन्या भी। पर कुछ संस्कृत शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग विशेष्यों के साथ पुँल्लिङ्ग रूप में नहीं लिखे जाते। जैसे–'विदुषी कन्या' या 'श्रीमती महारानी' को 'विद्वान् कन्या' यां 'श्रीमान् महारानी' नहीं लिखा जाता।

विशेषणों की विशेष बातें

(१) पृथकता या अधिकता दिखाने के लिए कहीं कहीं विशेषणों को दुहरा दिया जाता है। जैसे—छोटे छोटे फूल, लाल लाल आँखे।

(२) विशेषण का भी विशेषण होता है, जैसे—थोड़ी फटी धोती; बड़ा सुन्दर फूल।

(३) गुणवाचक और परिमाणवाचक विशेषण जब क्रिया की विशेषता दिखाते हैं तब क्रियाविशेषण हो जाते हैं। जैसे—बहुत खा गया, घी थोड़ा है।

विशेषणों का पद-परिचय

विशेषण के पद-परिचय में संज्ञा के समान ही सब बातें कहनी पड़ती हैं, अर्थात् विशेषण, उसके भेद, लिंग, वचन, कारक और विशेष्य। जैसे—**इस कठिन** अवस्था में हम **दोनों तीसरी** मंज़िल पर चढ़ गये, वहाँ जाते ही **थोड़ा** जल पिया।

इस—विशेषण, सार्वनामिक, स्त्रीलिंग, एकवचन, इसका विशेष्य अवस्था है।

कठिन—विशेषण, गुणवाचक, स्त्रीलिंग, एकवचन, इसका विशेष्य 'अवस्था' है।

दोनों—विशेषण, संख्यावाचक, पुँल्लिग, बहुवचन, 'हम' इस का विशेष्य है।

तीसरी—विशेषण, निश्चितसंख्यावाचक, स्त्रीलिंग, एक वचन, 'मंज़िल' इसका विशेष्य है।

थोड़ा—विशेषण, परिमाणवाचक, पुँल्लिङ्ग, एकवचन, 'जल' इसका विशेष्य है ।

अभ्यास

१. विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण कितने प्रकार के होते हैं?

२. आगे दिये गये वाक्योंमें विशेषणों का पद-परिचय दो—थोड़े ही काल में उस दुष्ट हाथी ने रंग-बिरंगे फूलों से सुसज्जित उस सुन्दर फुलवारी को तोड़-मरोड़ डाला। ये तीनों सौदागर दो-चार दिन में ही अपने बुरे कर्मों का उचित फल पा लेंगे। मेरा छोटा लड़का अभी सुस्त है। बहुतेरे मनुष्य अपने घरेलू झगड़ों से ही छुट्टी नहीं पाते।

३. नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषणों में भेद करो—जो लड़के परिश्रम नहीं करते वे फ़ेल होते हैं। उस मनुष्य ने किसी बूढ़े को देखकर अपना पैसा दे दिया। जिसकी जैसी भावना, तैसा फल वह पाए।

४. नीचे लिखे शब्दों के सर्वनाम और विशेषण दोनों के रूपों में प्रयोग दिखाओ—कौन, जो, यह, इन।

५. दो, पाँच, नौ, और सौ के क्रमबोधकविशेषण लिखो।

छठा अध्याय

क्रिया (Verb)

जिस पद से किसी व्यापार का होना या करना पाया जाय वह क्रिया-पद कहलाता है। जैसे—राम पढ़ता है—इस वाक्य में 'पढ़ता है' पद राम के पढ़ने का कार्य बतलाता है, इसलिए यह क्रिया-पद है। इसी तरह "मोहन आया था" "हरि पत्र लिखता है" इन वाक्यों में 'आया था' और 'लिखता है' भी क्रिया-पद हैं।

सब प्रकार की क्रियाएँ कुछ मूल शब्दों से बनी हैं जिन्हें धातु कहते हैं। 'लिखता है' क्रिया में 'लिख' मूल धातु है और 'ता है' प्रत्यय है। इसी प्रकार 'आया था' में 'आ' मूल धातु है और 'या था' प्रत्यय है।

धातु के आगे 'ना' प्रत्यय जोड़ देने से जो शब्द बनता है वह क्रिया का साधारण रूप कहलाता है। जैसे—'खा' से खाना, 'आ' से 'आना' 'भाग' से 'भागना', 'हो' से 'होना' 'लिख' से 'लिखना।'

क्रिया का साधारण रूप बहुधा संज्ञा के समान प्रयुक्त होता है; जैसे—'उसका **हँसना** देख मैं बड़ा प्रसन्न हुआ।' 'ऐसे **जीने** से **मरना** ही भला है।' इन वाक्यों में 'हँसना' 'जीने' और 'मरना' संज्ञा हैं। कोई कोई ऐसे शब्दों को **क्रियार्थक संज्ञा** कहते हैं।

कई एक धातुओं का भी भाववाचक संज्ञा के समान प्रयोग

होता है। जैसे—घुड़-दौड़ में कौन जीता? खेल शीघ्र ही समाप्त हो गया।

क्रिया के भेद

क्रिया द्वारा दो अर्थ प्रकाशित होते हैं, एक व्यापार और दूसरा फल। 'मोहन भोजन खाता है'—यहाँ खाने का व्यापार (चेष्टा—दाँतों से चबाना आदि) तो मोहन कर रहा है पर उस व्यापार का फल भोजन पर पड़ता है अर्थात् खाया या चबाया भोजन जा रहा है।

'मोहन सोता है' इसमें सोने का व्यापार मोहन कर रहा है और उसका फल (सोने का सुख आदि) भी मोहन को मिल रहा है। इस प्रकार क्रियाएँ दो तरह की हैं। एक वे जिनका व्यापार और फल अलग अलग स्थानों पर पड़ता है। दूसरी वे जिनका व्यापार और फल एक ही वस्तु—करनेवाले—में रहते हैं। पहली क्रिया को सकर्मक और दूसरी को अकर्मक कहते हैं।

व्यापार या कार्य करनेवाले को कर्ता (Subject) कहते हैं और उस व्यापार का फल कर्ता से निकल कर जिस पर पड़ता है उसे कर्म (Object)।

इसलिए जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्त्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक (Transitive) कहाती हैं और जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्त्ता में ही रहता है वे अकर्मक (Intransitive)।

बहुधा इन अर्थोंवाली क्रियाएँ अकर्मक होती हैं।—होना,

लज्जित होना, ठहरना, जागना, पढ़ना, क्षीण होना, डरना, जीना, मरना, सोना, चमकना।

कुछ क्रियाएँ प्रयोग के अनुसार सकर्मक भी होती हैं और अकर्मक भी; जैसे—बदलना, भरना, ललचाना, खुजलाना। उ०—"तू भी **बदल** (अकर्मक) 'फ़लक' कि ज़माना **बदल** (अकर्मक) गया"; पहलू **बदल कर** (सकर्मक) उन्होंने कहा—बात तो ठीक है। बूँद बूँद से घड़ा **भरता** है (अकर्मक); उसने आँखें **भरकर** (सकर्मक) कहा। ये चीज़ें देखकर मेरा जी ललचाता है (अकर्मक); ये चीज़ें मेरे जी को ललचाती हैं (सकर्मक)। मेरे हाथ खुजलाते हैं (अकर्मक); मेरी पीठ को तो ज़रा खुजलाओ (सकर्मक)।

जब सकर्मक क्रियाओं द्वारा केवल व्यापारमात्र प्रकट होता हो और कर्म की विवक्षा न हो तब वे भी अकर्मक हो जाती हैं। जैसे—ईश्वर की कृपा से बहरा **सुनता है** और गूँगा **बोलता है** इस वाक्य में 'सुनता है' और 'बोलता है' अकर्मक क्रियाएँ हैं।

जब अकर्मक क्रियाओं के साथ उन क्रियाओं से बनी भाववाचक संज्ञायें जोड़ दी जायँ तब वे सकर्मक हो जाती है; जैसे—लड़की ने अच्छा नाच नाचा, मैं ऐसी चाल चला कि वे देखते ही रह गये। ऐसी सकर्मक क्रियाओं को **सजातीय क्रिया** कहते हैं और कर्म को **सजातीय कर्म**। ऐसा कर्म किसी किसी सकर्मक क्रिया के साथ भी जुड़ा हुआ पाया जाता है; यथा—पक्षी अनोखी बोली बोल रहे हैं। मैंने उसे पाठ पढ़ाया।

कई सकर्मक क्रियाएँ एककर्मक (एक कर्मवाली) होती हैं; जैसे—मैंने—खाना खाया; और कई द्विकर्मक (दो कर्मवाली) होती हैं; जैसे—मैंने उसे कथा सुनाई, मोहन ने उसे पाठ पढ़ाया, राम ने भिखारी को पैसा दिया। इन वाक्यों में दो दो कर्म हैं। पहले आये हुए 'उसे' और 'भिखारी' कर्म गौण हैं तथा 'कथा' 'पाठ' और 'पैसा' पीछे आये हुए कर्म मुख्य हैं।

द्विकर्मक क्रियाओं के दो कर्मों में से गौण और मुख्य कर्म जानने की विधि यह है कि क्रिया के साथ प्रश्न के लिए 'किसको' और 'क्या' लगाया जाय। 'किसको' के उत्तर में जो आय वह गौण कर्म होगा और 'क्या' के उत्तर में जो आये वह मुख्य कर्म होगा। 'राम ने किसको क्या दिया' इस वाक्य का उत्तर यही होगा—राम ने भिखारी को पैसा दिया। भिखारी 'किसको' की जगह पर आया है इसलिए यह गौण कर्म है और पैसा 'क्या' की जगह पर आया है इसलिए यह मुख्य कर्म है।

गौण कर्म कभी कभी लुप्त भी रहता है। जैसे—आज पंडित जी ने महाभारत की कथा सुनाई। राजा ने दान दिया।

अपूर्ण क्रियाएँ

कई अकर्मक क्रियाएँ ऐसी हैं जिनका आशय केवल कर्ता से पूरा नहीं होता उनके अर्थ को पूरा करने के लिए किसी और शब्द की आवश्यकता रहती है। ऐसी क्रियाएँ **अपूर्ण अकर्मक** क्रियाएँ कहलाती हैं; जैसे—होना, रहना, लिखना, बनना, निकलना, ठहरना, कहलाना। यह (मूर्ख) है, वह (बीमार) रहता

है; मेरे आगे तुम (चतुर) बनते हो। इन वाक्यों में कोष्ठ में दिये गये शब्द क्रियाओं के अर्थ को पूरा करने के लिए जोड़े गये हैं, इनके बिना अर्थ पूरा नहीं होता। अतः इन वाक्यों की क्रियाएँ अपूर्ण क्रियाएँ हैं।

इसी प्रकार कुछ एक सकर्मक क्रियाएँ भी ऐसी हैं जिनका आशय 'कर्म' के रहते हुए भी पूरा नहीं होता। कोई शब्द अर्थ की पूर्ति के लिये उनके साथ जोड़ना ही पड़ता है। ऐसी क्रियाएँ **अपूर्ण सकर्मक** कहलाती हैं; जैसे—करना बनाना, समझना, मानना आदि। जैसे—मैंने तुम्हारा काम (पूरा) कर दिया। श्रीराम ने विभीषण को (लंकापति) बना दिया। मैंने तो तुम्हें (देवता ही) समझा।

इन अपूर्ण क्रियाओं के आशय की पूर्ति के लिये जिन जिन शब्दों (जो संज्ञा या विशेषण ही होते हैं) की आवश्यकता पड़ती है उन्हें 'पूरक' (Complement) कहते हैं। ऊपर लिखे उदाहरणों में कोष्ठ के अन्तर्गत शब्द 'पूरक' हैं।

जब इन क्रियाओं का आशय पूरक के बिना भी पूरा होता है तो ये **पूर्णक्रिया** (अकर्मक वा सकर्मक) कहलाती हैं। जैसे—ईश्वर है; वह सदा बन में रहता है; हमारे आश्रम में प्रातःकाल एक तरकारी और सायंकाल केवल दाल बनती है; मैंने ग्रन्थ बनाया है।

यौगिक धातु

व्युत्पत्ति (बनावट) के विचार से धातुओं के दो भेद हैं—
१. मूलधातु, २. यौगिक धातु।

मूल धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से न बने हों। जैसे—कर (ना) बैठ (ना) चल (ना), पढ़ (ना) आदि।

यौगिक धातु वे हैं जो दूसरे शब्दों से बनाये जाते हैं। ये तीन तरह से बनते हैं। १. धातु में प्रत्यय जोड़ने से **सकर्मक** तथा **प्रेरणार्थक** धातु बनते हैं; जैसे--गिरना से गिराना या गिरवाना। २. संज्ञा या विशेषण आदि दूसरे शब्द भेदों में प्रत्यय जोड़ने से **नाम धातु** बनते हैं; जैसे--धिक्कार से धिक्कारना, अपना से अपनाना। ३. **संयुक्त क्रियाएँ** दो या तीन धातुओं के मिलने से बनती हैं; जैसे--कर सकना, खा चुकना।

१. प्रेरणार्थक क्रियाएँ

जिन क्रियाओं से यह जान पड़े कि कर्ता कार्य को आप न करके किसी दूसरे को उसके करने की प्रेरणा करता है वे प्रेरणार्थक क्रियाएँ (Causal Verbs) **कहलाती हैं।** जैसे—'मोहन मुनीम से चिट्ठी लिखवाता है' इस वाक्य में "लिखवाता है" क्रिया से यह जान पड़ता है कि मोहन आप चिट्ठी न लिखकर मुनीम को चिट्ठी लिखने की प्रेरणा करता है; इसलिए 'लिखवाता है' प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणा करने वाले को **'प्रेरक कर्ता'** और जिसको प्रेरणा की जाती है उसे **'प्रेरित कर्ता'** कहते हैं। ऊपर के वाक्य में 'मोहन' मुख्य या प्रेरक कर्ता है और 'मुनीम' गौण या प्रेरित कर्ता है। प्रेरित कर्ता करण कारक में प्रयुक्त होता है।

आना, जाना, पाना, रुचना, होना आदि क्रियाओं को छोड़

कर शेष क्रियाओं से दो दो प्रकार की प्रेरणार्थक क्रियाएँ बनती हैं जिनमें पहले प्रकार की क्रियाएँ बहुधा सकर्मक क्रिया ही के अर्थ में आती हैं, उनमें स्पष्ट प्रेरणा नहीं पाई जाती, पर दूसरे प्रकार की क्रियाओं से प्रेरणा स्पष्ट पाई जाती है; जैसे—

खाना	खिलाना	खिलवाना	सुनना	सुनाना	सुनवाना
सोना	सुलाना	सुलवाना	कहना	कहाना	कहलवाना
जागना	जगाना	जगवाना	गिरना	गिराना	गिरवाना

मूल में जो क्रियाएँ अकर्मक होती हैं उनसे क्रमशः सकर्मक और प्रेरणार्थक क्रियाएँ बनती हैं तथा जो क्रियाएँ सकर्मक होती हैं उनसे क्रमशः द्विकर्मक और प्रेरणार्थक; जैसे—"घर गिरता है" इस वाक्य में 'गिरता है' क्रिया अकर्मक है। इससे पहली प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक बनेगी; जैसे—कारीगर घर गिराता है और दूसरी क्रिया वस्तुतः प्रेरणार्थक होगी; जैसे—कारीगर नौकर से घर गिरवाता है। 'बच्चा दूध पीता है' इसमें 'पीता है' क्रिया सकर्मक है, इसलिए इससे पहली प्रेरणार्थक क्रिया द्विकर्मक बनेगी; जैसे—माता बच्चे को दूध पिलाती है और दूसरी वस्तुतः प्रेरणार्थक होगी; जैसे—माता धाय से बच्चे को दूध पिलवाती है।

प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम

(१) मूल धातु के अन्त में 'आ' जोड़ने से पहली प्रेरणार्थक और 'वा' जोड़ने से दूसरी प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। जैसे—

उठना	उठाना	उठवाना
चलना	चलाना	चलवाना
पढ़ना	पढ़ाना	पढ़वाना

बदलना	बदलाना	बदलवाना
समझना	समझाना	समझवाना

दो अक्षरों के धातुओं में 'ए' और 'औ' को छोड़कर अन्य पहला दीर्घ स्वर प्रायः ह्रस्व हो जाता है । जैसे—

ओढ़ना	उढ़ाना	उढ़वाना
लेटना	लिटाना	लिटवाना
जीतना	जिताना	जितवाना
भूलना	भुलाना	भुलवाना
छोड़ना	छुड़ाना	छुड़वाना

(२) कुछ एकाक्षर (एक व्यंजन और एक स्वरवाले) धातुओं के अन्त में क्रमशः 'ला' और 'लवा' लगते हैं और दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाता है तथा कुछ एकाक्षर धातुओं से केवल एक ही प्रेरणार्थक क्रिया बनती है उनके अन्त में 'ला' की जगह 'वा' लगता है ।

सीना	सिलाना	सिलवाना
पीना	पिलाना	पिलवाना
देना	दिलाना	दिलवाना
रोना	रुलाना, रुवाना	रुलवाना
धोना	धुलाना	धुलवाना
सोना	सुलाना	सुलवाना

गाना	गवाना	खेना	खिवाना
चूना	चुवाना	ढोना	ढुवाना
छूना	छुवाना	बोना	बुवाना

(३) कुछ धातुओं के पहले प्रेरणार्थक रूप 'ला' और 'आ' लगाने से बनते हैं तथा दूसरे प्रेरणार्थक रूप 'वा' और 'लवा' लगाने से बनते हैं। जैसे—

कहना	कहाना, कहलाना	कहवाना, कहलवाना
देखना	दिखाना, दिखलाना	दिखवाना, दिखलवाना
सीखना	सिखाना, सिखलाना	सिखवाना, सिखलवाना

(४) कुछ धातुओं के रूप अनियमित होते हैं।

चुभना	चुभोना	चुभवाना
भीगना	भिगोना	भिगवाना
खाना	खिलाना, खवाना	खिलवाना

कुछ एक धातुओं के रूप तो दोनों बनते हैं पर दोनों का अर्थ एक ही होता है। जैसे—

काटना	कटाना	या	कटवाना
सीना	सिलाना	या	सिलवाना
देना	दिलाना	या	दिलवाना

अकर्मक से सकर्मक बनाने के नियम

(१) दो अक्षरों के धातुओं में पहले स्वर को और तीन अक्षरों के धातुओं में दूसरे अक्षर के स्वर को दीर्घ करने से अकर्मक धातु सकर्मक बन जाते हैं। कभी पहले 'इ' को 'ए' और 'उ' को 'ओ' हो जाता है—

गड़ना	गाड़ना	पिसना	पीसना
मरना	मारना	लुटना	लूटना
निकलना	निकालना	दिखना	देखना

गिरना	गेरना	खुलना	खोलना
तुलना	तोलना	मुड़ना	मोड़ना

(२) कुछ धातुओं के अन्तिम 'ट' को 'ड़' होकर पहिले 'अ' को 'आ' और 'उ' या 'ऊ' को 'ओ' हो जाता है। जैसे—

फटना	फाड़ना
छूटना	छोड़ना
फूटना	फोड़ना

(३) कुछ रूप अनियमित भी होते हैं। जैसे—

सिलना	सीना		
बिकना	बेचना	टूटना	तोड़ना

कुछ धातुओं का सकर्मक और पहला प्रेरणार्थक रूप अलग अलग होते हैं और दोनों में अर्थ का भी अन्तर रहता है। जैसे—

गड़ना का सकर्मक रूप गाड़ना और प्रेरणार्थक 'गड़ाना' है। 'गाड़ना' का अर्थ है पृथ्वी के अन्दर दबाना और गड़ाना का अर्थ है चुभाना। इसी प्रकार 'दाबना' और 'दबाना' के अर्थ में अन्तर है।

२—नामधातु क्रियाएँ

क्रिया को छोड़ अन्य शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातु बनते हैं, अथवा जो नाम (संज्ञा या विशेषण) ही धातु के समान प्रयुक्त होते हैं, उन्हें नामधातु कहते हैं। नामधातुओं से जो क्रियाएँ बनती हैं उन्हें 'नामधातु क्रियाएँ' कहते हैं।

जो नामधातु प्रत्यय लगने से बनते हैं उनमें प्रायः 'आ', 'या' और 'ला' प्रत्यय लगाये जाते हैं उनका पहला स्वर यदि

दीर्घ हो तो ह्रस्व हो जाता है । 'या' प्रत्यय परे होने पर शब्द के अन्तिम स्वर को 'इ' हो जाता है ।

शब्द	प्रत्यय	नामधातु	क्रिया का सामान्य रूप
लाज	आ	लजा	लजाना
गर्म	आ	गर्मा	गर्माना
हाथ	या	हथिया	हथियाना
बात	या	बतिया	बतियाना
झूठ	ला	झुठला	झुठलाना
दुख	आ	दुखा	दुखाना
विलग	आ	विलगा	विलगाना

कई नाम ही सीधे धातु के समान प्रयुक्त होते हैं—

रंग	रँगना	गुज़र	गुज़रना
गाँठ	गाँठना	दुहरा	दुहराना
दाग	दागना	खरीद	खरीदना
खर्च	खर्चना	बदल	बदलना

अनुकरणवाचक शब्दों से भी नामधातु बनते हैं उन्हें अनुकरणधातु भी कहते हैं। जैसे—

छनछन	छनछनाना	टर्र	टर्राना
भिनभिन	भिनभिनाना	खटखट	खटखटाना
बड़बड़	बड़बड़ाना	थरथर	थरथराना

३—संयुक्त क्रियाएँ

इनका विवेचन क्रिया के रूपान्तर के बाद किया जायगा। क्योंकि क्रिया का रूपान्तर जानने के बाद इनकी बनावट समझना आसान होगा।

सातवाँ अध्याय

क्रियाओं के रूपान्तर

जिस तरह संज्ञा में लिंग वचन और कारकों के कारण विकार (रूपान्तर) होता है उसी तरह क्रिया में भी काल, प्रकार, वाच्य लिंग, वचन तथा पुरुष के कारण विकार होता है—

कालकृत विकार—मैंने खाया, मै खाता हूँ, मैं खाऊँगा।

प्रकारकृत विकार—मोहन ध्यान लगाकर पढ़ता है। मोहन तुम्हें ध्यान लगा कर पढ़ना चाहिये। मोहन तू ध्यान लगा कर पढ़।

वाच्यकृत विकार—मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है।

लिंगकृत विकार—शेर चलता है, शेरनी चलती है।

वचनकृत विकार—वह देखता है, वे देखते हैं।

पुरुषकृत विकार—मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, वे जाते हैं।

काल (Tense)

क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का समय पाया जाता है उसे काल कहते हैं। काल के तीन भेद हैं—भूत, वर्तमान, और भविष्यत्।

जिन क्रियाओं का व्यापार अब से पहले समाप्त हो चुका है वे भूत काल की क्रियाएँ कहाती हैं, जिन क्रियाओं का व्यापार

अब भी चल रहा है वे वर्तमान काल की क्रियाएँ कहाती है और जिन क्रियाओं का व्यापार अभी शुरु होना है वे भविष्यत् काल की क्रियाएँ कहाती हैं।

भूतकाल (Past Tense)

भूतकाल के छः भेद हैं; (१) सामान्यभूत, (२) आसन्नभूत; (३) पूर्णभूत, (४) अपूर्णभूत, (५) संदिग्धभूत, (६) हेतुहेतुमद्भूत।

(१) सामान्यभूत—**क्रिया के जिस रूप से भूतकाल के किसी विशेष समय का निश्चय नहीं होता उसे सामान्य-भूत कहते हैं।** जैसे—मोहन ने मेला देखा, मैंने भोजन खाया। इन वाक्यों की क्रियाओं (देखा, खाया) से सामान्य-भूत का ज्ञान होता है—अर्थात् यह ज्ञान नहीं होता कि देखने या खाने का व्यापार अभी अभी समाप्त हुआ है या काफी देर पहले का समाप्त हो चुका है।

सामान्यभूत-कालिक-क्रिया बनाने की रीति—(क) अकारान्त धातुओं के आगे पुँल्लिङ्ग के एक वचन में 'आ' और बहुवचन में 'ए' और स्त्रीलिंग के एक वचन में 'ई' और बहुवचन में 'ईं' लगाते हैं। जैसे:—

	एकवचन	बहुवचन
पुँल्लिग	हँसा	हँसे
स्त्रीलिंग	हँसी	हँसीं

(ख) 'आकारान्त' और ओकारान्त' धातुओं के आगे पुँल्लिङ्ग के एकवचन में 'या' और 'बहुवचन में 'ये' या 'ए' तथा स्त्रीलिङ्ग के एकवचन में 'ई' और बहुवचन में 'ईं' जोड़े जाते हैं।

खा	(पुं०) खाया खाये		रो	रोया रोये	
	(स्त्री०) खाई खाईं			रोई रोईं	

(ग) इकारान्त और एकारान्त धातुओं को पुँल्लिङ्ग में इकारान्त करके उनके आगे एकवचन में 'या' और बहुवचन में 'ये' जोड़ देते हैं। ईकारान्त धातुओं के स्त्रीलिङ्ग के एकवचन में कोई परिवर्तन नहीं होता। बहुवचन में केवल अनुस्वार लग जाता है। एकारान्त धातुओं के रूप स्त्रीलिङ्ग में ईकारान्त धातुओं की तरह ही होते हैं—अर्थात् उनके एकवचन में 'ई' और बहुवचन 'ईं' हो जाता है।

पी	(पुँ०) पिया पिये		दे	(पुँ०) दिया दिये	
	(स्त्री०) पी पीं			(स्त्री०) दी दीं	

एकारान्त धातुओं में 'से' और 'खे' धातु अपवाद हैं। इनके रूप क्रमशः 'सेया' 'सेई' और 'खेया, खेई' बनते हैं।

(घ) ऊकारान्त धातुओं को उकारान्त बनाकर पुँल्लिङ्ग में 'आ' और 'ए' तथा स्त्रीलिङ्ग में 'ई' और 'ईं' जोड़ देते हैं।

छू	(पुँ०)	छुआ	छुए
	(स्त्री०)	छुई	छुईं

'जा,' 'कर' और 'हो' धातुओं के रूप इस प्रकार होते हैं—

जा	(पुँ०) गया गये या गए	कर	(पुँ०) किया किये
	(स्त्री०) गई गईं		(स्त्री०) की कीं

हो	(पुँ०)	हुआ	हुए
	(स्त्री०)	हुई	हुईं

(२) आसन्नभूत—क्रिया के जिस रूप से क्रिया के व्यापार का समय आसन्न (निकट) में ही समाप्त हुआ समझा जाय उसे आसन्नभूत कहते हैं। जैसे—वह गया है, वह सोया है।

ऐतिहासिक घटना के कहने में बहुत बार पूर्णभूत के बदले आसन्नभूत का प्रयोग होता है। जैसे—अमरीका कोलम्बस ने खोजी है; ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया है। कई वैयाकरण 'पूर्ण वर्तमान' के नाम से इसे वर्तमान काल का भेद मानते हैं।

आसन्नभूत-कालिक-क्रिया बनाने की रीति—सामान्यभूत की क्रियाओं के रूपों के आगे क्रम से नीचे लिखे चिह्न लगाने से आसन्नभूत-कालिक-क्रिया के रूप बनते हैं।

पुँल्लिंग तथा स्त्रीलिंग (दोनों में)

	एकवचन	बहुवचन
उ० पु०	हूँ	हैं
म० पु०	है	हो
अ० पु०	है	हैं

	पुँल्लिंग एकवचन	पुँल्लिंग बहुवचन	स्त्रीलिंग एकवचन	स्त्रीलिंग बहुवचन
उ० पुरुष	बैठा हूँ	बैठे हैं	बैठी हूँ	बैठी हैं
म० ,,	बैठा है	बैठे हो	बैठी है	बैठी हो
अ० ,,	बैठा है	बैठे हैं	बैठी है	बैठी हैं

(३) पूर्णभूत—क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके व्यापार को समाप्त हुए बहुत समय गुज़र चुका है वह पूर्णभूत कहलाता है। जैसे—पिया था, चला था।

पूर्णभूत-कालिक-क्रिया बनाने की रीति—सामान्यभूत के आगे नीचे लिखे चिह्न लगाने से पूर्णभूत के रूप बनते हैं।

	पुँल्लिङ्ग		स्त्रीलिङ्ग	
तीनों पुरुषों में	था	थे	थी	थीं
	जागा था	जागे थे	जागी थी	जागी थीं

(४) अपूर्णभूत—क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी पर उसकी समाप्ति का पता न लगे वह अपूर्णभूत कहलाता है। जैसे—

वह पढ़ रहा था। तू सो रहा था।
वह पढ़ता था। तू सोता था।

अपूर्णभूत-कालिक-क्रिया बनाने की रीति—धातु के आगे नीचे चिह्न लगाने से अपूर्णभूत के रूप बन जाते हैं।

	पुँल्लिङ्ग		स्त्रीलिङ्ग	
	एकव०	बहुव०	एक०	बहुव०
तीनों पुरुषों में	ता था	ते थे	ती थी	ती थीं
,, ,, ,,	रहा था	रहे थे	रही थी	रही थीं
,, ,, ,,	देखता था	देखते थे	देखती थी	देखती थीं
,, ,, ,,	देख रहा था	देख रहे थे	देख रही थी	देख रही थीं

(५) सन्दिग्धभूत--क्रिया के जिस रूप से भूतकाल तो पाया जाय किन्तु उसके होने में कुछ संदेह हो उसे संदिग्धभूत कहते हैं। जैसे—खाया होगा, पिया होगा।

सन्दिग्धभूत-कालिक-क्रिया बनाने की रीति—सामान्य भूत के रूपों के आगे क्रमशः नीचे लिखे चिह्न लगाने से सन्दिग्ध भूत के रूप बन जाते हैं।

	पुँल्लिङ्ग		स्त्रीलिङ्ग	
	एकवचन	बहु०	एकव०	बहु०
उ० पु०	हूँगा	होंगे	हूँगी	होंगी
म० पु०	होगा	होगे	होगी	होगी
अ० पु०	होगा	होंगे	होगी	होंगी
उ० पु०	उठा हूँगा	उठे होंगे	उठी हूँगी	उठी होंगी
म० पु०	उठा होगा	उठे होगे	उठी होगी	उठी होगी
अ० पु०	उठा होगा	उठे होंगे	उठी होगी	उठी होंगी

मध्यम पुरुष में तुम के साथ 'होगे' लगेगा पर आपके साथ 'होंगे'। हूँगी की जगह प्रायः 'होऊँगी' बोला जाता है।

(६) हेतुहेतुमद्भूत—क्रिया के जिस रूप से यह पाया जाय कि कार्य का भूतकाल में होना सम्भव था किन्तु किसी कारण से न हो सका उसको हेतुहेतुमद्भूत कहते हैं। जैसे--यदि आप आ जाते तो काम अवश्य हो जाता-- अर्थात् आप के न आने के कारण काम नहीं हुआ।

हेतुहेतुमद्भूत-कालिक-क्रिया बनाने की रीति--धातु के आगे नीचे लिखे चिह्न लगाने से हेतुहेतुमद्भूत क्रिया बनती है।

	पुँल्लिङ्ग		स्त्रीलिङ्ग	
तीनों पुरुष में—	ता	ते	ती	तीं
	खाता	खाते	खाती	खातीं

वर्तमान काल (Present tense)

वर्तमान काल के तीन भेद हैं—१. सामान्य वर्तमान, २. सन्दिग्ध वर्तमान, ३. अपूर्ण वर्तमान।

(१) सामान्य वर्तमान—**क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाय, सामान्य वर्तमान कहाता है।** जैसे—यह आता है, वह देखता है।

सामान्य वर्तमान का प्रयोग स्वभाव प्रकट करने और ऐतिहासिक घटनाओं को साधारण रूप से वर्णन करने में भी होता है। पहले प्रकार के वर्तमान को 'स्वभावबोधक वर्तमान' कहते हैं, और दूसरे प्रकार के वर्तमान को 'ऐतिहासिक वर्तमान'। 'स्वभावबोधक वर्तमान' जैसे—पृथ्वी घूमती है; पानी नीचे की ओर बहता है। (ऐतिहासिक वर्तमान) जैसे—राजा जनक को निराश देख कर रामचन्द्र जी उठते हैं, धीरे धीरे धनुष के पास जाते हैं और उसे उठा कर बिना किसी कष्ट के उस पर चिल्ला चढ़ा देते हैं।

सामान्य-वर्तमान-कालिक क्रिया बनाने की रीति—हेतुहेतुमद्भूत के आगे क्रम से नीचे लिखे चिह्न लगाने से सामान्य वर्तमान के रूप बन जाते हैं।

	एकवचन	बहुवचन
उ० पु०	हूँ	हैं

म० पु०	है	हो
अ० पु०	है	हैं

	पुल्लिङ्ग		स्त्रीलिंग	
	एकव०	बहुवचन	एक०	बहु०
उ० पु०	हँसता हूँ	हँसते हैं	हँसती हूँ	हँसती हैं
म० पु०	हँसता है	हँसते हो	हँसती है	हँसती हो
अ० पु०	हँसता है	हँसते हैं	हँसती है	हँसती हैं

(२) सन्दिग्ध वर्तमान—**क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान काल की क्रिया के होने में संदेह पाया जाय संदिग्ध वर्तमान कहाता है।** जैसे वह खाता होगा, वह जाता होगा।

सन्दिग्ध-वर्तमान-कालिक क्रिया बनाने की रीति—हेतुहेतुमद्भूत के रूपों के आगे सन्दिग्धभूत के चिह्न लगाने से सन्दिग्ध वर्तमान के रूप बन जाते हैं।

	पुँल्लिंग		स्त्रीलिंग	
	एकवचन	बहु०	एकवचन	बहु०
उ० पु०	खाता हूँगा	खाते होंगे	खाती हूँगी	खाती होंगी
म० पु०	खाता होगा	खाते होगे	खाती होगी	खाती होगी
अ० पु०	खाता होगा	खाते होंगे	खाती होगी	खाती होंगी

(३) अपूर्ण वर्तमान—**क्रिया का वह रूप जिससे यह मालूम हो कि क्रिया का व्यापार अभी जारी है, अपूर्ण वर्तमान कहाता है।** जैसे—वह जा रहा है। मैं खा रहा हूँ।

अपूर्ण-वर्तमान-कालिक-क्रिया बनाने की रीति—धातु के

आगे नीचे लिखे प्रत्यय जोड़ने से अपूर्ण वर्तमान के रूप बन जाते हैं।

	पुँलिंग		स्त्रीलिंग	
	एकव०	बहु०	एकव०	बहु०
उ० पु०	रहा हूँ	रहे हैं	रही हूँ	रही हैं
म० पु०	रहा है	रहे हो	रही है	रही हो
अ० पु०	रहा है	रहे हैं	रही है	रही हैं

भविष्यत् काल (Future tense)

भविष्यत्काल के दो भेद हैं—१. सामान्य भविष्यत्, २. संभाव्य भविष्यत्।

(१) सामान्य भविष्यत्—क्रिया का वह रूप जिससे सामान्य रीति पर क्रिया के आगे होने की सूचना मिले सामान्य भविष्यत् कहाता है। जैसे—वह पढ़ेगा। वह खेलेगा।

बनाने की रीति—धातु के आगे नीचे लिखे प्रत्यय लगाने पर सामान्य भविष्यत् काल के रूप बनते हैं।

	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
उ० पु०	ऊँगा	एँगे	ऊँगी	एँगी
म० पु०	एगा	ओगे	एगी	ओगी
अ० पु०	एगा	एँगे	एगी	एँगी

'आ' 'ई' 'ऊ' या 'ओ' जिन धातुओं के अन्त में हों उन के आगे 'ए' और 'एँ' के बदले विकल्प से 'वे' और 'वें' भी लगाये जाते हैं। जैसे—खाएगा, खावेगा; जीएँगे, जीवेंगे; छूएगा,

छूवेगा, खोएगा, खोवेगा; पीएगा, पीवेगा। आकारान्त धातुओं के आगे 'ए' और 'एँ' के बदले 'य' और 'यँ' भी लगाये जाते हैं। जैसे—खाएगा, खायगा, खावेगा। जाएँगे, जायँगे, जावेंगे।

ईकारान्त तथा ऊकारान्त धातुओं के परे जब भविष्यत् काल के 'ऊँ' 'ए' 'एँ' तथा 'ओं' आते हैं, तब धातुओं का अन्तिम स्वर ह्रस्व हो जाता है तथा 'इ' के बाद 'ऊँ' 'ए' तथा 'ओ' को 'यूँ' 'ये' तथा 'यो' और 'उ' के बाद 'वू' 'वे' 'वें' तथा 'वो' विकल्प से हो जाते हैं। पीएगा, पियेगा, पीऊँगा, पियूँगा, पियोगे।

एकारान्त धातुओं के आगे 'ए' और 'एँ' के बदले 'वे' और 'वें' जोड़े जाते हैं। जैसे—देवेगा, देवेंगे, देओगे।

(२) संभाव्य-भविष्यत्—**क्रिया के जिस रूप से भविष्यत् की संभावना पाई जाय वह संभाव्य भविष्यत् कहाता है।** जैसे—शायद वह आज लाहौर जावे।

बनाने की रीति—सामान्य-भविष्यत् रूप से 'गा' 'गे' 'गी' आदि के पृथक् कर देनेसे संभाव्य-भविष्यत् के रूप बन जाते हैं।

वर्तमान और भविष्यत् कालों में भी हेतुहेतुमद्भूत की भाँति कार्य कारण का भाव होता है। जैसे—सोता है सो खोता है (वर्तमान), जायगा सो पायगा (भविष्यत्)। इन्हें हेतुहेतु-मद् वर्तमान और हेतुहेतुमद् भविष्यत् कह सकते हैं।

२. प्रकार (Mood)

क्रिया के कई एक रूपों से केवल काल का ही नहीं अपितु उस के विधान की रीति का भी ज्ञान होता है। कोई कार्य निश्चत तौर से हो रहा है (राम पढ़ रहा है), किसी के होने में सन्देह है (कदा-

चित् राम पढ़ रहा हो), किसी को करने की आज्ञा दी जाती है (राम जा तू पढ़)—इन सब अर्थों को प्रकट करने के लिए कई रीतियों से क्रिया का विधान किया जाता है। इन्हीं विधान की रीतियों के जतलाने वाले क्रिया के रूप क्रिया के 'अर्थ'—या 'प्रकार'—कहलाते हैं।

हिन्दी में क्रियाओं के मुख्य तीन 'अर्थ' या 'प्रकार' होते हैं। १. निश्चयार्थ, २. संभावनार्थ, ३. प्रवर्त्तनार्थ या विध्यर्थ।

निश्चयार्थ—क्रिया के जिस रूप से किसी विधान का निश्चय सूचित होता है उसे निश्चयार्थ कहते हैं। इसे 'साधारण प्रकार' भी कहा जाता है।

सामान्य वर्तमान, अपूर्णवर्तमान, सामान्यभूत, आसन्न-भूत, पूर्णभूत, अपूर्णभूत, तथा सामान्य भविष्यत् की क्रियाएं इसी प्रकार की होती हैं। जैसे—राम पढ़ता है, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ता था, राम पढ़ रहा था, राम पढ़ेगा।

संभावनार्थ—वह रूप जिससे संभावना (अर्थात् अनुमान, इच्छा कर्तव्य या सन्देह) पाई जाय सम्भावनार्थ कहलाता है। संदिग्ध भूत संदिग्धवर्तमान तथा सम्भाव्य भविष्यत् के रूप इसी प्रकार के होते हैं। हेतुहेतुमद् भूत की क्रियायें भी इसी रूप के अन्तर्गत हैं। जैसे—(अनुमान) राम अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा, कदाचित् वह रास्ते में ही बात करने लग गया हो! (इच्छा) राम, तुम अपनी श्रेणी में प्रथम रहो। (कर्त्तव्य) मोहन, तुम्हें अपने माता-पिता की सेवा करनी चाहिये। (संदेह) न जाने, वह

अपने घर पर होगा या नहीं ? (हेतुहेतुमद्भूत) यदि वे स्वयं एक बार यहाँ आ गये होते तो सब फैसला हो जाता ।

प्रवर्त्तनार्थ या विध्यर्थ—**क्रिया के जिस रूप से प्रवर्त्तना (किसी काम में प्रवृत्त करना या लगाना पाया जाय) उसे प्रवर्त्तनार्थ या विध्यर्थ कहते हैं ।** आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति, प्रश्न, उपदेश आदि ये सब इसी के अन्तर्गत हैं । (प्रार्थना) परमात्मन् ! दुष्कर्मों से बचाइये । (प्रश्न) मैं लाहौर चला जाऊँ ? (अनुमति) हाँ जाओ । (उपदेश) माता-पिता का कहना मानो ।

विधि क्रिया के दो भेद हैं—सामान्य विधि और परोक्ष विधि ।

जिस क्रिया से आज्ञा, प्रार्थना आदि का सामान्य रूप से बोध हो उसे सामान्य विधि क्रिया कहते हैं । जैसे—घर जाओ । महात्मन् ! विराजिये ।

जिस क्रिया से आज्ञा आदि का पालन आगे को (परोक्ष में) हो उसे परोक्ष विधि क्रिया कहते हैं; जैसे—बड़े आनन्द से रहना, अपने कुशल का समाचार भेजते रहियेगा । तुम्हें पढ़ने में मन लगाना चाहिए । परोक्ष विधि की क्रिया भविष्यत् काल की होती है ।

विधि क्रिया बनाने के नियम—

(क) सामान्य विधि क्रिया मध्यम पुरुष एकवचन 'तू' के आगे धातु जोड़ने से बनती है जैसे—तू चल; तू खा ।

(ख) 'तुम' मध्यम पुरुष बहुवचन के आगे धातु के अन्त में 'ओ' जोड़ा जाता है । जैसे—तुम चलो । तुम मत डरो ।

(ग) मध्यम पुरुष 'आप' के सामने धातु के आगे 'इये' प्रत्यय लगाया जाता है—आप सुनिये। आप ठहरिये।

(घ) प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष विधि के वे ही रूप होते हैं जो सम्भाव्य-भविष्यत् के—अर्थात् सामान्य भविष्यत् के रूपों के आगे से 'गा' 'गे' 'गी' हटा देने पर विधि के रूप बन जाते हैं। जैसे—वह करे, वह जावे, मैं जाऊँ।

परोक्ष विधि में धातु के आगे—इयो, ते रहियो, ते रहना अथवा रहियेगा लगते हैं। जसे—सेवा करियो। सेवा करते रहियो, छुट्टियों में स्कूल का काम करते रहना। आप ज़रा मेरे पीछे घर की देखभाल करते रहियेगा।

क्रियाओं के कुछ फुटकर रूप

काल तथा प्रकारकृत उपरिलिखित रूपों के अतिरिक्त क्रिया के कुछ और फुटकर रूप होते हैं; जैसे—

(१) पूर्वकालिक—जब कर्त्ता एक क्रिया समाप्त कर तत्क्षण ही दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है और पहली क्रिया पर वाक्य समाप्त नहीं होता तो उसे पूर्वकलिक क्रिया कहते हैं। यह धातु के अन्त में 'कर' 'के' अथवा 'करके' लगाने से बनती है। यह अविकारी क्रिया है। हाथ में पुस्तक **लेकर** यहाँ आओ। हाथ-मुँह **धोके** खाना खालो। कपड़े **पहन करके** तुम्हारे साथ चलूँगा।

(२) तात्कालिक क्रिया—यह क्रिया भी मुख्य क्रिया के अधीन होती है। इससे मुख्य क्रिया के साथ होनेवाले वाक्य की समाप्ति का बोध होता है। धातु के साथ 'ते' प्रत्यय मिलाकर उसके आगे 'ही' जोड़ने से क्रिया बनती है।

यहाँ से जाते ही मैं उससे मिला। खाना खाते ही स्कूल को चल पड़ा।

(३) अपूर्णक्रियाद्योतक—इससे मुख्य क्रिया के साथ होने वाले व्यापार की अपूर्णता सूचित होती है। इसका रूप भी तात्कालिक क्रिया के समान दीखता है पर साथ में 'ही' नहीं जुड़ता। मैंने उसे यहाँ आते देखा था। तुम्हें झूठ बोलते शर्म नहीं आती।

(४) पूर्ण क्रियाद्योतक—इससे मुख्य क्रिया के साथ होने-वाले व्यापार की पूर्णता सूचित होती है। इसमें प्रायः धातु के सामान्यभूत रूप के अन्तिम 'आ' को 'ए' हो जाता है।

भूख के मारे जान निकली जाती है। इस धार्मिक-संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने को हम कमर कसे बैठे हैं।

३. वाच्य

वाच्य क्रिया के उस रूपान्तर को कहते हैं जिससे यह जाना जाय कि वाक्य में क्रिया द्वारा किये गये विधान (कही गई बात) का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या केवल भाव (धातु का अर्थ) है।

वाच्य तीन होते हैं—१. कर्तृवाच्य (Active Voice) २. कर्मवाच्य (Passive Voice) ३. भाववाच्य (Impersonal Voice)।

कर्तृवाच्य में क्रिया द्वारा किये गये विधान (कही गई बात) का मुख्य विषय कर्त्ता होता है, कर्मवाच्य में क्रिया के विधान का मुख्य उद्देश्य कर्म तथा भाववाच्य

में धातु का अर्थ ही मुख्य होता है। जैसे—'राम चिट्ठी लिखता है' इस वाक्य में 'लिखता है' क्रिया का उद्देश्य 'राम' (कर्ता) है; राम लिखता है यही मुख्य वाक्य है; 'चिट्ठी' (कर्म) का वर्णन गौण है। 'राम से चिट्ठी लिखी जाती है' इसमें 'लिखी जाती है' क्रिया के विधान का विषय चिट्ठी कर्म है, 'चिट्ठी लिखी जाती है' यह मुख्य अंश है, 'राम से' (कर्ता) गौण है। 'मुझसे लिखा नहीं जाता' इसमें न लिखनेवाले का और न लिखी जानेवाली (चिट्ठी आदि) का विधान मुख्य है केवल 'लिखा नहीं जाता' ही मुख्य है। अतः पहले वाक्य में 'लिखता है' क्रिया कर्तृवाच्य, दूसरे में 'लिखी जाती है' क्रिया कर्मवाच्य और तीसरे में 'लिखा नहीं जाता' क्रिया भाववाच्य है।

कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। क्रिया का सीधा सम्बन्ध कर्ता से होता है अतएव क्रिया के लिङ्ग और वचन मुख्यतया कर्ता के अनुसार होते हैं।

कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह की क्रियाओं का प्रयोग होता है और कर्ता बिना विभक्ति के होता है अर्थात् उसके साथ 'ने' चिन्ह नहीं लगता। जैसे—गोविन्द दूध पीता है; लड़के गेंद खेलते हैं; स्त्रियाँ पानी भरती हैं। अपूर्णभूत और हेतुहेतुमद्भूत को छोड़कर शेष भूतकाल की सकर्मक क्रियाओं में जहाँ कर्म बिना विभक्ति के आता है, क्रिया के लिङ्ग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं और जहाँ कर्म विभक्ति सहित होता है वहाँ क्रिया सदा एकवचन पुँल्लिङ्ग और अन्यपुरुष में रहती है तथा कर्ता के साथ 'ने' विभक्ति लगती है। जैसे—

मोहन ने आम तोड़े। मोहन ने नासपातियाँ तोड़ीं। मोहन ने राम को हराया। कर्ता के साथ क्रिया के लिङ्ग और वचन के न मिलने पर भी यदि वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो तो कर्तृवाच्य ही होगा।

कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का संबन्ध कर्म से होता है। अतएव उसके लिङ्ग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं और कर्म निर्विभक्तिक कर्ता कारक के रूप में आता है तथा 'कर्ता' करणकारक में रक्खा जाता है या कर्ता के साथ 'द्वारा' शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे—बच्चे से दूध पिया जाता है, स्त्रियों द्वारा कपड़े सिये जाते हैं। परन्तु जब कर्म के साथ 'को' विभक्ति हो तो क्रिया पुँल्लिग एकवचन और अन्यपुरुष में रहती है। जैसे—हमको आजकल में बुलाया जाएगा। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं में होता है अर्थात् इसमें कर्म का होना आवश्यक है।

जानना, भूलना, खोना आदि कुछ सकर्मक क्रियाएँ बहुधा कर्मवाच्य में नहीं आती।

द्विकर्मक क्रियाओं के कर्मवाच्य में प्रधान कर्म ही क्रिया के विधान का मुख्य विषय बनता है, गौण कर्म ज्यों का त्यों रहता है। जैसे—'मैंने तुम्हें उपहार दिया' का कर्मवाच्य होगा 'तुम्हें मुझसे उपहार दिया गया'।

भाववाच्य में भाव (धातु का अर्थ) की प्रधानता होती है, कर्ता या कर्म की नहीं। यह अकर्मक क्रियाओं से ही बनती है और क्रिया सदा पुँल्लिङ्ग एकवचन और अन्यपुरुष में रहती

है। उसका प्रयोग अधिकतर निषेधार्थक वाक्यों में होता है। जैसे—सोया नहीं जाता, बैठा नहीं जाता।

कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाने की रीति—

कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्यभूत के रूप में लाकर उस के साथ 'काल' 'पुरुष' 'वचन' और 'लिंग' के अनुसार 'जाना' क्रिया के रूप जोड़ने से सकर्मक कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और अकर्मक कर्तृवाच्य से भाववाच्य क्रिया बन जाती है।

सकर्मक कर्तृवाच्य	कर्मवाच्य
चौकीदार ने चोर पकड़ा है।	चौकीदार से चोर पकड़ा गया है।
हरि ग्रन्थ पढ़ेगा।	हरि से ग्रन्थ पढ़ा जायगा।

अकर्मक कर्तृवाच्य	भाववाच्य
मैं नहीं उठता।	मुझ से उठा नहीं जाता।
गाय नहीं चलती।	गाय से चला नहीं जाता।

हिन्दी में कर्मवाच्य क्रिया का प्रयोग सर्वत्र नहीं होता; उसका प्रयोग बहुधा नीचे लिखे स्थानों में ही होता है—

(१) जब क्रिया का कर्त्ता अज्ञात हो अथवा उसके व्यक्त करने की आवश्यकता न हो; जैसे—"चोर पकड़ा गया है"; "आज हुक्म सुनाया जायगा।"

(२) कानूनी भाषा और सरकारी कागज़-पत्रों में प्रभुता जनाने के लिए, जैसे—आम जनता को सूचित किया जाता है। नियम-भंग करनेवालों को कड़ा दण्ड दिया जायगा।

(३) अशक्यता के अर्थ में, जैसे—'रोगी से अन्न नहीं खाया जाता।' 'हमसे तुम्हारी दुर्दशा न देखी जायगी।'

कर्मवाच्य के बदले हिन्दी में बहुधा नीचे लिखी रचनाएँ आती हैं।

(१) कभी कभी सामान्य वर्तमान काल की अन्यपुरुष बहुवचन क्रिया का उपयोग कर कर्त्ता का अध्याहार करते हैं; जैसे—ऐसा कहते हैं (ऐसा कहा जाता है)। ऐसा सुनते हैं (ऐसा सुना जाता है)

(२) कभी कभी कर्मवाच्य की समानार्थिनी अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, जैसे घर बनता है (बनाया जाता है)। वह लड़ाई में मरा (मारा गया)। क्यारी सिंच रही है (सींची जा रही है)।

(३) कुछ सकर्मक क्रियार्थक संज्ञाओं के अधिकरण कारक के साथ 'आना' क्रिया के विवक्षित काल का उपयोग किया जाता है; जैसे—सुनने में आया है। (सुना गया है)। देखने में आता है (देखा जाता है)।

क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष

संज्ञा के समान क्रिया के भी पुँल्लिग और स्त्रीलिंग ये दो लिंग, तथा एकवचन और बहुवचन ये दो वचन होते हैं और सर्वनाम की तरह इसके उत्तम, मध्यम तथा अन्य (या प्रथम) ये तीन पुरुष होते हैं। क्रिया के पुरुष लिंग और वचन कहीं तो कर्त्ता के अनुसार होते हैं, कहीं कर्म के अनुसार और कहीं इन दोनों में से किसी के अनुसार भी नहीं होते। इस प्रकार क्रियाओं का तीन प्रकार से प्रयोग होता है।

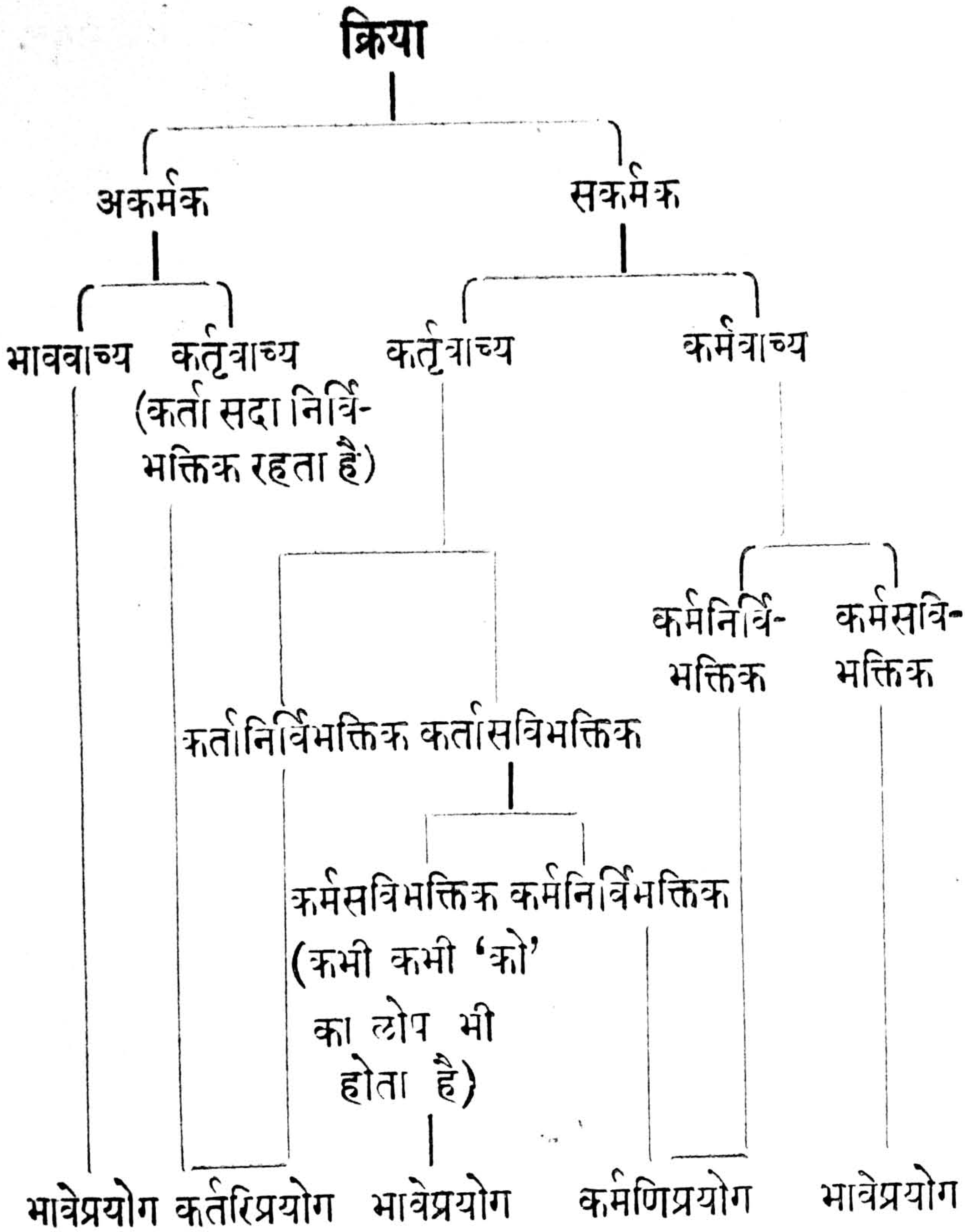
कर्तरिप्रयोग—जिस में क्रिया के पुरुष, लिंग और

वचन कर्ता के अनुसार होते हैं उसे कर्तरि प्रयोग कहते हैं। समस्त कर्तृवाच्य क्रियाओं में कर्तरि प्रयोग नहीं होता। अकर्मक क्रियाओं के सम्पूर्ण कालों में तथा सकर्मक क्रियाओं के अपूर्णभूत और हेतुहेतुमद्‌भूत—भूत काल के इन दो भेदों—और वर्तमान तथा भविष्यत् काल के सब रूपों में कर्तृवाच्य में कर्तरि प्रयोग ही होता है। इनमें कर्ता निर्विभक्तिक रहता है। जैसे—राम हँसा। सीता हँसी। लड़का बैठा है, लड़के बैठे हैं, लड़कियाँ पढ़ रही थीं। वह सोया होगा। यदि वह आ जाता तो काम अवश्य हो जाता। लड़के प्रार्थना करते हैं, लड़कियाँ पाठ पढ़ती हैं। मैं पाठ पढ़ूँगा, तुम पाठ पढ़ोगे, वह पाठ पढ़ेगा।

२. कर्मणिप्रयोग—**जिस में क्रिया के लिंग वचन तथा पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं।** कर्मणि प्रयोग दो प्रकार के होते हैं। (क) कर्तृवाच्य कर्मणि प्रयोग और (ख) कर्मवाच्य कर्मणि प्रयोग। साधारणतः कर्तृवाच्य की अपूर्णभूत और हेतुहेतुमद्‌-भूत को छोड़ शेष समस्त भूतकालिक क्रियाएँ तथा कर्मवाच्य की सारी क्रियायें कर्मणिप्रयोग में आती हैं। कर्मणिप्रयोग में कर्म निर्विभक्तिक होता है, परन्तु कर्तृवाच्य कर्मणिप्रयोग में कर्ता के साथ 'ने' विभक्ति, जुड़ती है तथा कर्मवाच्य कर्मणिप्रयोग में कर्ता तो करण में होता है पर उसके साथ 'द्वारा' शब्द जुड़ता है। जैसे—(कर्तृवाच्य) राम ने

भोजन खाया। मोहन ने पुस्तकें पढ़ीं। ताजमहल शाहजहाँ ने बनाया है। ये कमरे आपने बनवाये हैं। लड़कों ने पुस्तकें पढ़ीं होंगी। (कर्मवाच्य) यह पत्र राम द्वारा लिखा गया है। ये चिट्ठियाँ राम द्वारा भेजी गई थीं।

३. भावे-प्रयोग—**जिस क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं होते, अर्थात् जो सदा अन्य पुरुष पुँल्लिङ्ग तथा एक वचन में रहती है उसे भावे-प्रयोग कहते हैं।** भावे-प्रयोग तीन तरह का होता है—१. कर्तृवाच्य भावे-प्रयोग २. कर्मवाच्य भावे-प्रयोग ३. भाववाच्य भावे-प्रयोग। कर्तृवाच्य भावे-प्रयोग के सकर्मक धातुओं में कर्ता और कर्म दोनों सविभक्तिक होते हैं, तथा अकर्मक क्रियाओं में केवल कर्ता ही सविभक्तिक होता है। कर्मवाच्य भाव-प्रयोग में कर्म सविभक्तिक होता है। और कर्ता प्रायः लुप्त रहता है। भाववाच्य की समस्त क्रियाएँ भावे-प्रयोग में आती हैं। यदि कर्ता की आवश्यकता हो तो उसे करण कारक में रखते हैं। (कर्तृवाच्य) राम ने रावण को मारा, राम ने राक्षसों को मारा। इन वृक्षों को दुष्यन्त ने बोया है। इन वृक्षों को बालकों ने बोया है। (कर्मवाच्य) आँखें दिखलाने के लिए राम को लाहौर भेजा जायगा। (भाववाच्य) यहाँ बैठा नहीं जाता। वाच्य और उनके प्रयोगों को स्पष्ट करने के लिये नीचे नक्शा दिया जाता है—



केवल आसन्नभूत, सामान्यभूत, पूर्णभूत, और संदिग्धभूत में कर्ता सविभक्तिक होता है, शेष में निर्विभक्तिक होता है।

बोलना, बकना, समझना, जनना, पुकारना ये सकर्मक क्रियाएँ और सजातीय सकर्मक क्रियाएँ अपूर्णभूत और हेतुहेतुमद्भूत को छोड़ भूतकाल के अन्यभेदों में विकल्प से कर्मणिप्रयोग में आती

हैं। लाना, लेजाना, भूलना और नित्यता बोधक सकर्मक संयुक्त क्रियाएँ कर्तरिप्रयोग में ही आती हैं।

नहाना, छींकना, क्रियाएँ विकल्प से भावेप्रयोग में आती हैं।

बोलना—मैं कुछ न बोली

मैंने झूठ नहीं बोला

नाचना—वह नाच नाची

उसने नाच नाचा

लाना—वर्षा अपूर्व शोभा लाई

नित्यता बोधक—'सब ग्वाल नित्य कान्हकी बंसी सुना किये'

नहाना—हम खूब नहाए

हमने खूब नहाया

क्रियाओं की रूपावली (Conjugation)

दिग्दर्शन के लिए एक अकर्मक और एक सकर्मक धातु की रूपावली नीचे दी जाती है। इसी के अनुसार दूसरे धातुओं की रूपावली भी समझनी चाहिए।

अकर्मक 'उठ' धातु कर्तृवाच्य

सामान्यभूत

	पुँल्लिङ्ग		स्त्रीलिङ्ग	
	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
उ०	मैं उठा	हम उठे	मैं उठी	हम उठीं
म०	तू उठा	तुम उठे	तू उठी	तुम उठीं
अ०	वह उठा	वे उठे	वह उठी	वे उठीं

आसन्नभूत

	पुँल्लिग		स्त्रीलिंग	
उ०	मैं उठा हूँ	हम उठे हैं	मैं उठी हूँ	हम उठी हैं
म०	तू उठा है	तुम उठे हो	तू उठी है	तुम उठी हो
अ०	वह उठा है	वे उठे हैं	वह उठी है	वे उठी हैं

पूर्णभूत

उ०	मैं उठा था	हम उठे थे	मैं उठी थी	हम उठी थीं
म०	तू उठा था	तुम उठे थे	तू उठी थी	तुम उठी थीं
अ०	वह उठा था	वे उठे थे	वह उठी थी	वे उठी थीं

अपूर्णभूत

उ०	मैं उठता था	हम उठते थे	मैं उठती थी	हम उठती थीं
म०	तू उठता था	तुम उठते थे	तू उठती थी	तुम उठती थीं
अ०	वह उठता था	वे उठते थे	वह उठती थी	वे उठती थीं

('उठ रहा था' 'उठ रहे थे' भी इसी प्रकार होते हैं)

सन्दिग्धभूत

उ०	मैं उठा हूँगा	हम उठे होंगे	मैं उठी हूँगी	हम उठी होंगी
म०	तू उठा होगा	तुम उठे होगे	तू उठी होगी	तुम उठी होगी
अ०	वह उठा होगा	वे उठे होंगे	वह उठी होगी	वे उठी होंगी

हेतुहेतुमद्भूत

उ०	मैं उठता	हम उठते	मैं उठती	हम उठतीं
म०	तू उठता	तुम उठते	तू उठती	तुम उठतीं
अ०	वह उठता	वे उठते	वह उठती	वे उठतीं

सामान्य वर्तमान

	पुँल्लिग		स्त्रीलिंग	
उ०	मैं उठता हूँ	हम उठते हैं	मैं उठती हूँ	हम उठती हैं
म०	तू उठता है	तुम उठते हो	तू उठती है	तुम उठती हो
अ०	वह उठता है	वे उठते हैं	वह उठती है	वे उठती हैं

सन्दिग्ध वर्त्तमान

उ०	मैं उठता हूँगा	हम उठते होंगे	मैं उठती हूँगी	हम उठती होंगी
म०	तू उठता होगा	तुम उठते होगे	तू उठती होगी	तुम उठती होगी
अ०	वह उठता होगा	वे उठते होंगे	वह उठती होगी	वे उठती होंगी

अपूर्ण वर्त्तमान

उ०	मैं उठ रहा हूँ	हम उठ रहे हैं	मैं उठ रही हूँ	हम उठ रही हैं
म०	तू उठ रहा है	तुम उठ रहे हो	तू उठ रही है	तुम उठ रही हो
अ०	वह उठ रहा है	वे उठ रहे हैं	वह उठ रही है	वे उठ रहे हैं

सामान्य भविष्यत्

उ०	मैं उठूँगा	हम उठेंगे	मैं उठूँगी	हम उठेंगी
म०	तू उठेगा	तुम उठोगे	तू उठेगी	तुम उठोगी
अ०	वह उठेगा	वे उठेंगे	वह उठेगी	वे उठेंगी

संभाव्य भविष्यत्

उ०	मैं उठूँ	हम उठें	मैं उठूँ	हम उठें
म०	तू उठे	तुम उठो	तू उठे	तुम उठो
अ०	वह उठे	वे उठें	वह उठे	वे उठें

विधि

उ० मैं उठूँ हम उठें आदर-सूचक—आप उठिये

म० तू उठ तुम उठो परोक्षविधि—तू, तुम उठियो
अं० वह उठे वे उठे

अकर्मक 'उठ' धातु

भाववाच्य

सामान्यभूत

मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, उठा गया

आसन्नभूत

मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, उठा गया है

पूर्णभूत

मुझसे, तुझसे, उनसे, हमसे, तुमसे, उनसे, उठा गया था

अपूर्णभूत

मुझसे, तुझसे, उनसे, हमसे, तुमसे, उनसे, उठा जाता था

संदिग्धभूत

मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, उठा गया होगा

हेतुहेतुमद्भूत

मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, उठा जाता

सामान्य वर्त्तमान

मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, उठा जाता है

संदिग्ध वर्तमान

मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, उठा जाता होगा

अपूर्ण वर्तमान

मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, उठा जा रहा है

सम्भाव्य भविष्यत्

मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, उठा जावे

सामान्य भविष्यत्

मुझसे, तुझसे, उससे, हमसे, तुमसे, उनसे, उठा जावेगा।

विधि

तुझसे, तुमसे, उससे, उनसे, उठा जाय।

सकर्मक 'खा' धातु कर्तृवाच्य

पहले बताया जा चुका है कि कर्तृवाच्य में भी सामान्य-भूत, आसन्नभूत पूर्णभूत और संदिग्धभूत की क्रियाओं के पुरुष, लिंग, वचन, कर्म के पुरुष, लिंग, वचन के अनुसार बदलते हैं। अतः इन चार कालों में 'कर्म पुँल्लिग' और 'कर्म-स्त्रीलिंग' लिख कर रूप दिये गये हैं।

सामान्यभूत

कर्म पुँल्लिङ्ग (जैसे—रसगुल्ला)

एकवचन	मैंने*	हमने,	तूने	तुमने,	उसने,	इन्होंने,	खाया।
बहुवचन	,,	,,	,,	,,	,,	,,	खाए।

*अकर्मक क्रियाओं के कर्त्ता में 'ने' नहीं आता, सकर्मक क्रियाओं के अपूर्णभूत और हेतुहेतुमद्भूत को छोड़कर शेष भूत कालों में 'ने' लगता है।

अपवाद—'लाना', 'भूलना', 'बोलना', से बनी हुई क्रियाओं के और 'जाना', 'चुकना', 'सुनना', के रूपों से मिलकर बनी क्रियाओं के कर्त्ता में 'ने' नहीं लगता है, जैसे—राम पुस्तक पढ़ने लगा है।

कर्म स्त्रीलिङ्ग (जैसे—जलेबी)

एकवचन	मैंने,	हमने,	तूने,	तुमने,	उसने,	उन्होंने,	खाई।
बहुवचन	,,	,,	,,	,,	,,	,,	खाईं !

आसन्नभूत

कर्म पुँल्लिङ्ग

एकवचन	मैंने,	हमने,	तूने,	तुमने,	उसने,	उन्होंने,	खाया है।
बहुवचन	,,	,,	,,	,,	,,	,,	खाए हैं।

कर्म स्त्रीलिङ्ग

एकवचन	मैंने,	हमने,	तूने,	तुमने,	उसने,	उन्होंने,	खाई है।
बहुवचन	,,	,,	,,	,,	,,	,,	खाईं हैं।

(३) पूर्णभूत

कर्म पुँ०

एकवचन	मैंने	हमने	तूने	तुमने	उसने	उन्होंने	खाया था।
बहुवचन	,,	,,	,,	,,	,,	,,	खाये थे।

कर्म स्त्रीलिङ्ग

एकवचन	मैंने	हमने,	तूने,	तुमने,	उसने,	उन्होंने,	खाई थी।
बहुवचन	,;	,,	,,	,,	,,	,,	खाईं थीं।

(४) अपूर्णभूत

कर्ता पुँल्लिङ्ग

पुरुष	एकवचन		बहुवचन	
उ०	मैं खाता था	(खा रहा था)	हम खाते थे	(खा रहे थे)
म०	तू खाता था	,,	तुम खाते थे	,,
अ०	वह खाता था	,,	वे खाते थे	,,

कर्ता स्त्रीलिंग

पुरुष	एकवचन		बहुवचन	
उ०	मैं खाती थी	(खा रही थी)	हम खाती थीं	(खा रही थीं)
म०	तू खाती थी	,,	तुम खाती थीं	,,
अ०	वह खाती थी	,,	वे खाती थीं	,,

संदिग्धभूत

कर्म पुँल्लिंग

एकवचन मैंने, हमने, तूने, तुमने, उसने, उन्होंने, खाया होगा।
बहुवचन ,, ,, ,, ,, ,, ,, खाए होंगे।

कर्म स्त्रीलिंग

एकवचन मैंने, हमने, तूने, तुमने, उसने, उन्होंने, खाई होगी।
बहुवचन ,, ,, ,, ,, ,, ,, खाई होंगी।

हेतुहेतुमद्भूत

	कर्ता पुँल्लिंग		कर्ता स्त्रीलिंग	
उ०	मैं खाता	हम खाते	मैं खाती	हम खातीं।
म०	तू खाता	तुम खातीं	तू खाती	तुम खातीं।
अ०	वह खाता	वे खाते	वह खाती	वे खातीं।

सामान्यवर्तमान

उ०	मैं खाता हूँ	हम खाते हैं	मैं खाती हूँ	हम खाती हैं।
म०	तू खाता है	तुम खाते हो	तू खाती है	तुम खाती हो।
अ०	वह खाता है	वे खाते हैं	वह खाती है	वे खाती हैं।

संदिग्ध वर्तमान

पुरुष	कर्ता पुँल्लिग एक०	कर्ता पुँल्लिग बहु०	कर्ता स्त्रीलिंग एक०	कर्ता स्त्रीलिंग बहु०
उ०	मैं खाता हूँगा	हम खाते होंगे	मैं खाती हूँगी	हम खाती होंगी
म०	तू खाता होगा	तुम खाते होंगे	तू खाती होगी	तुम खाती होगी
अ०	वह खाता होगा	वे खाते होंगे	वह खाती होगी	वे खाती होंगी

अपूर्ण वर्त्तमान

उ०	मैं खा रहा हूँ	हम खा रहे हैं	मैं खा रही हूँ	हम खा रहीं हैं
म०	तू खा रहा है	तुम खा रहे हो	तू खा रही है	तुम खा रही हो
अ०	वह खा रहा है	वे खा रहे हैं	वह खा रही है	वे खा रही हैं

सामान्य भविष्यत्

उ०	मैं खाऊँगा	हम खाएँगे	मैं खाऊँगी	हम खाएँगी
म०	तू खायगा	तुम खाओगे	तू खायगी	तुम खाओगी
अ०	वह खायगा	वे खाएँगे	वह खाएगी	वे खाएँगी

सम्भाव्य भविष्यत्

(दोनो लिंगों में)

उ०	मैं खाऊँ	हम खायँ
म०	तू खाय	तुम खाओ
अ०	वह खाय	वे खायँ

साधारण विधि

उ०	मैं खाऊँ	हम खाएँ	आदर विधि—आप खाइये
म०	तू खा	तुम खाओ	या खाइयेगा
अ०	वह खाए	वे खाएँ	परोक्षविधि—तू, तुम खाइयो

कर्मवाच्य 'खा' धातु

सामान्य भूत

	कर्म पुँल्लिङ्ग		कर्म स्त्रीलिङ्ग	
	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
उ०	मैं खाया गया	हम खाये गये	मैं खाई गई	हम खाई गईं
म०	तू खाया गया	तुम खाये गये	तू खाई गई	तुम खाई गईं
अ०	वह खाया गया	वे खाये गये	वह खाई गई	वे खाई गईं

आसन्न भूत

मैं खाया गया हूँ	हम खाये गये हैं	मैं खाई गई हूँ	हम खाई गई हैं
तू खाया गया है	तुम खाये गये हो	तू खाई गई है	तुम खाई गई हो
वह खाया गया है	वे खाये गये हैं	वह खाई गई है	वे खाई गई हैं

पूर्ण भूत

कर्म पुँल्लिङ्ग

	एक वचन	बहुबचन
उ०	मैं खाया गया था	हम खाये गये थे
म०	तू खाया गया था	तुम खाये गये थे
अ०	वह खाया गया था	वे खाये गये थे

कर्म स्त्रीलिङ्ग

म०	मैं खाई गई थी	हम खाई गई थीं
म०	तू खाई गई थी	तुम खाई गई थीं
अ०	वह खाई गई थी	वे खाई गई थीं

अपूर्णभूत

कर्म पुँल्लिङ्ग

एकवचन	बहुवचन
उ० मैं खाया जाता था	हम खाये जाते थे
म० तू खाया जाता था	तुम खाये जाते थे
अ० वह खाया जाता था	वे खाये जाते थे

कर्म स्त्रीलिंग

एकवचन	बहुवचन
उ० मैं खाई जाती थी	हम खाई जाती थीं
म० तू खाई जाती थी	तुम खाई जाती थीं
अ० वह खाई जाती थी	वे खाई जाती थीं

सन्दिग्ध भूत

कर्म पुँल्लिङ्ग

एकवचन	बहुवचन
उ० मैं खाया गया हूँगा	हम खाये गये होंगे
म० तू खाया गया होगा	तुम खाये गये होंगे
अ० वह खाया गया होगा	वे खाये गये होंगे

कर्म स्त्रीलिंग

एकवचन	बहुवचन
उ० मैं खाई गई हूँगी	हम खाई गई होंगी
म० तू खाई गई होगी	तुम खाई गई होगी
अ० वह खाई गई होगी	वे खाई गई होंगी

हेतुहेतुमद्भूत

कर्म पुँल्लिङ्ग

एकवचन	बहुवचन
उ० मैं खाया जाता	हम खाये जाते
म० तू खाया जाता	तुम खाये जाते
अ० वह खाया जाता	वे खाये जाते

कर्म स्त्रीलिङ्ग

एकवचन	बहुवचन
उ० मैं खाई जाती	हम खाई जातीं
म० तू खाई जाती	तुम खाई जातीं
अ० वह खाई जाती	वे खाई जातीं

हेतुहेतुमद्‍भूत (पूर्ण)

कर्म पुँल्लिंग

उ० मैं खाया गया होता	हम खाये गये होते
म० तू खाया गया होता	तुम खाये गये होते
अ० वह खाया गया होता	वे खाये गये होते

कर्म स्त्रीलिङ्ग

उ० मैं खाई गई होती	हम खाई गई होतीं
म० तू खाई गई होती	तुम खाई गई होतीं
अ० वह खाई गई होती	वे खाई गई होतीं

सामान्यवर्तमान

कर्म पुँल्लिङ्ग

उ० मैं खाया जाता हूँ	हम खाये जाते हैं
म० तू खाया जाता है	तुम खाये जाते हो
अ० वह खाया जाता है	वे खाई जाती हैं

कर्म स्त्रीलिङ्ग

उ० मैं खाई जाती हूँ	हम खाई जाती हैं
म० तू खाई जाती है	तुम खाई जाती हो
अ० वह खाई जाती है	वे खाई जाते हैं

संदिग्ध वर्तमान

कर्म पुँल्लिङ्ग

उ० मैं खाया जाता हूँगा	हम खाये जाते होंगे
म० तू खाया जाता होगा	तुम खाये जाते होगे
अ० वह खाया जाता होगा	वे खाये जाते होंगे

कर्म स्त्रीलिङ्ग

एकवचन	बहुवचन
उ० मैं खाई जाती हूँगी	हम खाई जाती होंगी
म० तू खाई जाती होगी	तुम खाई जाती होगी
अ० वह खाई जाती होगी	वे खाई जाती होंगी

अपूर्ण वर्तमान

कर्म पुँल्लिङ्ग

उ० मैं खाया जा रहा हूँ	हम खाये जा रहे हैं
म० तू खाया जा रहा है	तुम खाये जा रहे हो
अ० वह खाया जा रहा है	वे खाये जा रहे हैं

कर्म स्त्रीलिंग

उ० मैं खाई जा रही हूँ	हम खाई जा रही हैं
म० तू खाई जा रही है	तुम खाई जा रही हो
अ० वह खाई जा रही है	वे खाई जा रही हैं

सामान्य भविष्यत्

कर्म पुँल्लिग

उ० मैं खाया जाऊँगा	हम खाये जायँगे
म० तू खाया जायगा	तुम खाये जाओगे
अ० वह खाया जायगा	वे खाये जायँगे

कर्म स्त्रीलिंग

उ० मैं खाई जाऊँगी	हम खाई जायँगी
म० तू खाई जायगी	तुम खाई जाओगी
अ० वह खाई जायगी	वे खाई जायँगी

सम्भाव्य भविष्यत्

कर्म पुँल्लिंग

एकवचन	बहुवचन
उ० मैं खाया जाऊँ	हम खाये जायँ
म० तू खाया जाय	तुम खाये जाओ
अ० वह खाया जाय	वे खाये जायँ

कर्म स्त्रीलिंग

उ० मैं खाई जाऊँ	हम खाई जायँ
म० तू खाई जाय	तुम खाई जाओ
अ० वह खाई जाय	वे खाई जायँ

संयुक्त क्रियायें

दो (कभी कभी तीन) मूल धातुओं के मेल से जब कोई क्रिया बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। "मैं भोजन कर चुका" "हाॅकी खेल सकता हूँ" इत्यादि वाक्यों में 'कर चुका' और 'खेल सकता हूँ' संयुक्तक्रियाएँ हैं, जो नीचे दिए हुए क्रिया के सामान्य रूपों से बनी हैं। कर चुका=(करना+चुकना), खेल सकता हूँ=(खेलना+सकना)।

संयुक्त क्रियाओं में पहली क्रिया प्रायः मुख्य होती है और दूसरी उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देती है। 'मैं हाकी खेलता हूँ' से पता लगता है कि मैं खेलने का कार्य

करता हूँ। 'मैं हाकी खेल सकता हूँ'—यह प्रकट करता है कि मुझमें हाकी खेलने का सामर्थ्य है—मुझे खेलना आता है। इस प्रकार 'सकना' क्रिया ने 'खेलना' क्रिया के अर्थ में विशेषता पैदा कर दी है।

भिन्न-भिन्न अर्थों में आनेवाली कुछ संयुक्त क्रियाएँ तथा उनके बनाने की रीति नीचे दी जाती है।

(क) आरम्भबोधक और अवकाशबोधक—क्रिया के सामान्य रूप के 'ना' को 'ने' करके आगे 'लगना' और 'देना' या 'पाना' क्रिया लगाने से क्रमशः आरम्भबोधक और अवकाशबोधक क्रियाएँ बन जाती हैं। (आरम्भबोधक) जैसे—मेंह बरसने लगा। मैं सोने लगा हूँ। (अवकाशबोधक) जैसे—मुझे जाने दो। नहीं तुम जाने न पाओगे।

(ख) समाप्तिबोधक और शक्तिबोधक—धातु के आगे 'चुकना' और 'सकना' क्रिया जोड़ने से क्रमशः समाप्तिबोधक और शक्तिबोधक संयुक्त क्रियाएँ बनती हैं। (समाप्तिबोधक) जैसे—भोजन कर चुका। (शक्तिबोधक) जैसे—चल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ।

(ग) विवशताबोधक—क्रिया के सामान्य रूप के आगे 'पड़ना' या 'होना' क्रिया जोड़ने से विवशता प्रकट होती है। जैसे—उसके बचाव के लिए झूठ बोलना होगा या बोलना पड़ेगा; कर्मों का फल भोगना पड़ता है।

(घ) नित्यताबोधक—सामान्यभूतकालिक क्रिया के आगे 'करना' जोड़ने से नित्यता प्रकट होती। जैसे—कल से मैं आया करूँगा, वे घूमने जाया करते हैं।

(ङ) इच्छाबोधक—क्रिया के साधारण रूप या सामान्य-भूत के आगे 'चाहना' क्रिया जोड़ने से इच्छाबोधक संयुक्त क्रिया बनती है। जैसे—मैं आज ही यह काम करना चाहता हूँ या किया चाहता हूँ। क्रिया के सामान्यभूत रूप के आगे 'चाहना' जोड़ने से व्यापार का तत्काल होना भी प्रकट होता है। जैसे—गाड़ी आया चाहती है। मकान गिरा चाहता है। बादल बरसा चाहते हैं।

(च) तत्कालबोधक और अनुमतिबोधक—सामान्यभूतकालिक क्रिया के अन्तिम स्वर को 'ए' में बदलकर आगे 'देना' या 'डालना' क्रिया लगाने से 'तत्काल बोधक' संयुक्त क्रिया बनती है। जैसे—अभी लिखे देता हूँ या लिखे डालता हूँ। 'देना' क्रिया के जोड़ने से अनुमतिबोधक क्रिया भी बनती है—मुझे जाने दीजिये।

धातु के साथ 'डालना' जोड़ने से धातु का अर्थ ज़ोरदार हो जाता है। जैसे—खा डालना, तोड़ डालना, मार डालना।

(छ) सातत्य (लगातार रहना) बोधक—हेतुहेतुमद्भूतकालिक क्रिया के आगे, और सामान्यभूतकालिक क्रिया के अन्तिम स्वर को 'ए' में बदल कर उसके आगे 'चलना' 'जाना' और 'रहना' लगाने से सातत्यबोधक संयुक्त क्रियाएँ बनती है। जैसे—आगे बढ़ते (बढ़े) चलो। काम करते (किये) जाओ। मैं उससे डरता रहता हूँ। बकते रहो मुझे कुछ परवाह नहीं।

(ज) जब दो समान अर्थवाली या समान ध्वनिवाली क्रियाओं का संयोग होता है, तब उन्हें पुनरुक्त संयुक्त क्रियाएँ कहते हैं; जैसे—पढ़ना-लिखना, करना-धरना, समझना-बूझना।

जो क्रिया केवल यमक (ध्वनि) मिलाने के लिए आती है, वह निरर्थक होती है; जैसे—पूछना-ताछना, होना-हवाना।

पुनरुक्त क्रियाओं में दोनों क्रियाओं का रूपान्तर होता है परन्तु सहायक क्रिया केवल पिछली क्रिया के साथ आती है; जैसे—अपना काम देखो-भालो। यह वहाँ जाया-आया करता है। मिल-जुलकर।

(झ) संयुक्त-क्रियाओं में कभी कभी सहकारी क्रिया के कृदन्त के आगे दूसरी सहकारी क्रिया आती है, जिससे तीन अथवा चार शब्दों की भी संयुक्त क्रिया बन जाती है; जैसे—"इसकी तत्काल सफ़ाई कर लेनी चाहिये।" "उन्हें वह काम करना पड़ रहा है।" "हम यह पुस्तक उठा ले जा सकते हैं।"

क्रिया का पद-परिचय

क्रिया के पद परिचय में नीचे लिखी बातें होनी चाहिएँ—भेद (सकर्मक अथवा अकर्मक), वाच्य, काल, प्रकार, लिङ्ग वचन, पुरुष, वाक्य में उसका सम्बन्धी शब्द।

उदाहरण—(१) खाना खाते ही मैंने पत्र लिख भेजा।

(२) उससे वृत्त सुनकर उसे जेल भेजा जावेगा।

(३) यदि वे आएँ तो उन्हें कहना।

(४) वर्षा होती तो कीचड़ हो गया होता।

खाते ही—क्रिया, सकर्मक, कर्तृवाच्य, तात्कालिक, खाना इसका कर्म है।

लिख भेजा—संयुक्तक्रिया, सकर्मक, कर्तृवाच्य, सामान्यभूतकाल, पुँल्लिङ्ग, एकवचन, अन्यपुरुष (कर्मणिप्रयोग) 'पत्र' कर्म है।

सुनकर—पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक, कर्तृवाच्य, 'वृत्त' इस का कर्म है

भेजा जावेगा—क्रिया, सकर्मक, कर्मवाच्य, सामान्य भविष्यत्, पुँल्लिङ्ग, अन्यपुरुष, एकवचन (भावप्रयोग)।

आएँ—क्रिया, अकर्मक, कर्तृवाच्य, संभाव्य भविष्यत्, अन्यपुरुष, एकवचन, 'वह' कर्ता है।

कहना—क्रिया, सकर्मक, कर्तृवाच्य, प्रवर्तना (विधि) परोक्ष, मध्यमपुरुष, एकवचन।

होती—क्रिया, अकर्मक, कर्तृवाच्य, हेतुहेतुमद्भूत, स्त्रीलिंग, एकवचन, अन्यपुरुष, 'वर्षा' इसका कर्ता है।

हो गया होता—संयुक्तक्रिया, अकर्मक, कर्तृवाच्य, हेतुहेतुमद्भूत, पुँल्लिङ्ग, एकवचन, अन्यपुरुष, 'कीचड़' इसका कर्ता है।

अभ्यास

१. क्रिया किसे कहते हैं? धातु, क्रिया और क्रिया के सामान्य रूप में क्या सम्बन्ध है।

२. क्रिया कब सकर्मक और कब अकर्मक कहलाती है, पूरक किसे कहते हैं?

३. निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया सकर्मक है वा अकर्मक? यदि कोई पूरक हो तो वह भी बताओ—

(क) मैं बैठता हूँ (ख) प्रश्न ठीक बैठा (ग) मैं वहाँ बिठाऊँगा (घ) मैं भूला (ङ) वह मेरी बात भूल जायगी। (च) मैं भंगी से छू गया (छ) उसने मेरा वस्त्र छुआ (ज) दान तो वह देता है (झ) भोल बनते हो (ञ) उसे बहुत समझाया पर मैंने उसे दुष्ट पाया।

४. कर्म कितनी प्रकार का होता है उदाहरण सहित बताओ ?

५. नीचे लिखी क्रियाओं में कौन सी मूल, कौन सी संयुक्त और कौन सी नामधातु है ? प्रत्येक के विशेष अर्थ लिख कर उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त करके दिखाओ—

देखना, देखते रहना, देखा जाना, देखा करना, देखा चाहना, देख बैठना, देख जाना, देख डालना, देख सकना, देख चुकना, देख भाल करना, दुहराना, बदलना, बदलते रहना, बदल डालना, कर चुकना, टर्राना, हथियाना, खा सकना, खाना, खाजाना, खाया जाना, खाते जाना, खा बैठना।

६. प्रेरणार्थक क्रियाएँ किन्हें कहते हैं ? क्योंकर बनाई जाती हैं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं का प्रेरणार्थक रूप बनाओ—

(क) मैं तुम्हें बहुत कुछ दूँगा (ख) तू सोया है (ग) वह जगी है (घ) मेरी लड़की ने तुमसे कह दिया (ङ) वेद मन्त्र पढ़ो। (च) कपड़े सिये जाते हैं।

७. नीचे लिखी धातुओं के सकर्मक रूप लिखो—

मर(ना), फट(ना), खुल(ना), रह(ना), दिख(ना), कर(ना)।

८. वाच्य किसे कहते हैं ? वाच्य कितने हैं, प्रयोग क्या होते हैं ?

९. काल और प्रकार किसे कहते हैं ? इनके भेद और भेदान्तर लिखो ? हर एक का लक्षण और दो दो उदाहरण भी दो।

१०. छोड़(ना), दे(ना) और सो(ना) धातुओं की रूपावली प्रत्येक वाच्य, काल और प्रकार में लिखो।

११. नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया का पद-परिचय दो—

मेरे लिये कुछ देते तुमको बुरा लगता है। मुझसे चुप नहीं रहा जाता। अगर मैं चाहता तो उसे भेज दिया होता।

आठवाँ अध्याय

क्रियाविशेषण (Adverb)

अब तक शब्दों के जिन भेदों का वर्णन हुआ है वे विकारी हैं, उनके रूप लिङ्ग, वचन, पुरुष और वाच्य के कारण बदलते रहते हैं। आगे जिन शब्द-भेदों का वर्णन होगा वे अविकारी या अव्यय कहलाते हैं। अर्थात् इन शब्दों का सब लिङ्गों, सब विभक्तियों और सब वचनों में एक ही रूप रहता है। इनमें पहला क्रियाविशेषण है। **जिस अव्यय से क्रिया की कोई विशेषता जानी जाय उसे क्रियाविशेषण कहते हैं।** जैसे—'जल्दी चलो' 'अभी आओ' 'भलीभाँति पहुँच गया' 'थोड़ा खाया' इन वाक्यों में 'जल्दी' 'अभी' 'भली भाँति' 'थोड़ा' ये चारों अपने अपने साथ की क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं अतः ये क्रियाविशेषण हैं।

क्रियाविशेषणों की विशेषता प्रगट करनेवाले शब्द भी क्रियाविशेषण कहलाते हैं। क्योंकि क्रियाविशेषण की विशेषता प्रकट करते हुए परम्परा सम्बन्ध से वे क्रिया की ही विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे 'बहुत थोड़ा खाया' में 'बहुत' और 'थोड़ा' दोनों क्रियाविशेषण हैं।

अर्थ को लक्ष्य में रखकर क्रियाविशेषण के चार भेद किये जा सकते हैं—

कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक।

(क) कालवाचक–जिस क्रिया विशेषण से समय, अवधि तथा किसी क्रिया के बार बार होने का ज्ञान हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे—आज, कल, परसों तरसों, अब, जब, कब, तब, अभी, कभी, जभी, फिर, तुरन्त, पहले, पीछे, प्रथम, निदान, आज-कल, नित्य, सदा, सतत, निरन्तर, अब तक, कभी कभी, अब भी, दिन भर, कब का, बार-बार, बहुधा, प्रतिदिन आदि।

(ख) स्थान वाचक–जो विशेषण क्रिया के स्थान और दिशा आदि का बोध कराये वह स्थानवाचक क्रिया-विशेषण कहाता है। जैसे—यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, आगे, पीछे नीचे, ऊपर, बाहर, भीतर, सर्वत्र, साथ, पास, दूर, सामने, इधर, उधर, जिधर, किधर, चारों ओर, आर-पार आदि।

(ग) परिमाण वाचक–क्रिया के परिमाण बतानेवाले शब्द परिमाण वाचक क्रिया विशेषण कहाते हैं। जैसे–बहुत, अति अत्यन्त, खूब, कुछ, किंचित्, ज़रा, निपट, बिलकुल, सर्वथा, इतना, उतना, थोड़ा-थोड़ा, केवल, पर्याप्त आदि।

(घ) रीति वाचक–जो शब्द क्रिया करने की रीति बताते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहाते हैं। इनकी संख्या बहुत बड़ी है। जिनका समावेश दूसरे वर्गों में नहीं हो सकता उनका इसी में समावेश होता है। रीतिवाचक विशेषण प्रायः नीचे लिखे अर्थों में आते हैं।

प्रकार–धीरे धीरे, अचानक, अनायास, एकाएक, सहसा,

सुखपूर्वक, शान्ति से, हँसता हुआ, मन से, धड़ाधड़, झटपट, आप ही आप, शीघ्रता से, ध्यानपूर्वक।

निश्चय—अवश्य, ठीक, सचमुच, अलबत्ता, वास्तव में, बेशक

अनिश्चय—कदाचित्, शायद, सम्भव है, बहुत करके।

स्वीकृति—हाँ जी, ठीक, सच।

हेतु—इसलिए, अतएव, क्यों, किस लिये, काहे को।

निषेध—नहीं, मत, न।

क्रियाविशेषण की बनावट

दूर, अचानक, फिर, नहीं आदि क्रियाविशेषण मूल क्रियाविशेषण हैं। ये किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय लगाने से नहीं बने। पर बहुत से क्रियाविशेषण ऐसे हैं जो शब्दों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। इन्हें यौगिक क्रियाविशेषण कहा जाता है। ये नीचे लिखे शब्द-भेदों से बनते हैं।

संज्ञा से—सवेरे, मन से, क्रमशः, रात को, प्रेमपूर्वक, दिन भर, महीने तक।

सर्वनाम से—यहाँ, वहाँ, अब, कब, तब, जब, इधर, उधर, जिधर, किधर, इतना, उतना, जितना, अभी, तभी, ज्यों, त्यों आदि

विशेषण से—धीरे, चुपके, पहले, ऐसे आदि।

क्रिया से—आते-जाते, करते हुए, बैठे हुए, चाहे, सर्दी के मारे इत्यादि।

अव्ययों के मेल से—यहाँ तक, झट से, ऊपर को।

शब्दों की द्विरुक्ति से—दिन-दिन, हाथों-हाथ, साफ़-साफ़, एकाएक, धीरे-धीरे, जहाँ-जहाँ आदि।

भिन्न शब्दों के मेल से—देश-विदेश, रात-दिन, जब तब, कल-परसों, जब-कभी।

अनुकरणवाचक शब्दों की द्विरुक्ति से—सरासर, धड़ाधड़, तड़ातड़, कड़ाकड़।

संस्कृत के कुछ एक अव्ययीभाव समास, तृतीया विभक्त्यन्त और तः प्रत्ययान्त पद भी क्रिया विशेषण होते हैं। जैसे—**प्रतिदिन** आया करो, **कृपया** पत्र भेजिये। **वस्तुतः** तुम सच्चे हो।

कभी कभी संज्ञा, सर्वनाम विशेषण आदि भी बिना किसी विकार के क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। (संज्ञा) **सिर** पढ़ेगा, **खाक** बतावेगा। (सर्वनाम) **क्या** हुआ, मैंने तब **यह** किया। (विशेषण) लड़की **अच्छा** पकाती है। सब लोग **सोये** पड़े थे। (पूर्वकालिक क्रिया) **सुनकर** चला आया, **उठकर** भागा।

क्रियाविशेषण के आगे निश्चयार्थ में 'ई' या 'ही' लगाया जाता है; जैसे—मैंने यों ही कहा, यही पढ़ो।

कुछ क्रियाविशेषणों के साथ, को, से, के, की और पर विभक्तियाँ भी लगती हैं। आज **किधर को** मुँह मोड़ा है। '**कब को** टेरत दीन है।' **आगे को** ऐसा मत करना। **कहाँ से** आ रहे हैं? **यहाँ** से कब चलेंगे। **कब से** आपकी बाट जोह रहा हूँ। **यहाँ का** जलवायु अच्छा है। **कहाँ की** बात करता है। **वहाँ पर** बड़ी भीड़ है।

मत, न, नहीं का प्रयोग

'मत' का प्रयोग विध्यर्थक (प्रवर्त्तक) में ही होता है। जैसे—वहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो। 'न' का प्रयोग निषेधमात्र में होता होता है। जैसे—मैं वहाँ न जाऊँगा। इसके अतिरिक्त 'न' का प्रयोग निश्चय के अर्थ में प्रश्नार्थक भी होता है। जसे—तुम तो वहाँ आओगे न? कभी कभी प्रवर्त्तना में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे—ज़रा देर बैठिये न। तुम चलो न।

दो क्रियाविशेषणों के मध्य में 'न' जोड़ने से अनिश्चय का बोध होता हैं; जसे—कहीं न कहीं आदि।

निषेध में, निश्चय प्रकट करने के लिये और सामान्य तथा सातत्य बोधक वर्त्तमान, आसन्नभूत और किसी प्रश्न के उत्तर में नहीं का प्रयोग होता है। जैसे—वह खाना नहीं खाता। उसने खाना नहीं खाया।

क्रिया विशेषण का पद-परिचय

क्रियाविशेषण के पद-परिचय में उसका भेद और जिस क्रिया अथवा अन्य क्रियाविशेषण की वह विशेषता प्रकट करता हो उसे बतलाना होता है; जैसे—

मैं **परसों धीरे धीरे यहाँ** चल रहा था कि **इतने में** एक बड़ा साँप **फुफकारता** हुआ अपने बिल से निकला, उसे देखते ही मैं **बहुत** डर गया।

परसों—क्रियाविशेषण, कालवाचक, 'चल रहा था' क्रिया का विशेषण।

धीरे धीरे—क्रियाविशेषण, प्रकारवाचक, 'चल रहा था' क्रिया का विशेषण।

यहाँ—क्रियाविशेषण, स्थानवाचक, 'चल रहा था' क्रिया का विशेषण।

इतने में—क्रियाविशेषण, कालवाचक, 'निकला' क्रिया का विशेषण।

फुफकारता हुआ—क्रियाविशेषण, प्रकारवाचक, 'निकला' क्रिया का विशेषण।

बहुत—क्रियाविशेषण, परिणामवाचक, 'डर गया' क्रिया का विशेषण।

अभ्यास

१. क्रियाविशेषण किसे कहते हैं? इस के कितने भेद हैं? हर एक के चार चार उदाहरण लिखो।

२. नीचे लिखे वाक्यों में क्रियाविशेषणों का पद-परिचय दो—

जल्दी से काम करना ठीक नहीं। जहाँ ऐसा होता है वहाँ काम खराब हो जाता है। आजकल इतना घोर आन्दोलन चला हुवा है कि सच पूछिये तो कुछ सूझता ही नहीं।

३. क्रियाविशेषण कैसे बनते हैं, इसके कुछ नियम उदाहरण सहित लिखो।

नवाँ अध्याय

सम्बोधनबोधक अव्यय (Postpositions)

जो अव्यय संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों से सम्बन्ध सूचित करते हैं उन्हें सम्बन्धबोधक अव्यय कहा जाता है। ये अव्यय प्रायः संज्ञा के बाद आते हैं पर कभी कभी संज्ञा से पूर्व भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे—परिश्रम के **बिना** मनुष्य का कुछ नहीं बनता, **बिना** परिश्रम के कुछ नहीं मिलता, **मारे** दुख के वह व्याकुल था, बाज़ार से स्टेशन **तक** दो मील है—इन वाक्यों में 'बिना' 'मारे' और 'तक' सम्बन्धबोधक अव्यय हैं।

सम्बन्धबोधक अव्ययों के तीन भेद किए जा सकते हैं—

(क) जिनका प्रयोग नित्य विभक्तियों के साथ होता है—भीतर, समीप, पास, नज़दीक, बराबर, पीछे, पहले, आगे, परे आदि। जैसे— घर के भीतर, घर की ओर, घर के निकट, घर के बिना, घर के बराबर, घर से आगे, घर से परे।

इन अव्ययों से पहले प्रायः सम्बन्धकारक की विभक्तियाँ (का—के—की, रा—रे—री) आती हैं। कुछ अव्यय ऐसे भी हैं जिनके पहले नित्य ही अपादान की विभक्ति आती है और कुछ ऐसे हैं जिनमें सम्बन्ध कारक तथा अपादान दोनों का प्रयोग होता है। जैसे—मैं इन **से** पहले आया हूँ, उनका घर तुम्हारे मकान **से** परे है। घर **से** बाहर, घर **के** बाहर, घर **से** पीछे, मकान **के** पीछे। मुझ **से** पहले, उस **के** पहले।

(ख) कुछ अव्यय ऐसे हैं जिनके पहले विभक्तिरहित संज्ञा ही आती हैं। जैसे—पर्यन्त, सहित, समेत, तक, पर, रहित, हीन, सा, मात्र, भर, सरीखा—वर्ष पर्यन्त मैं यहीं रहूँगा। भरत सरीखा भाई बड़ी कठिनता से मिलता है। दिन भर कुछ नहीं खाया। घर तक जाना कठिन हो गया है।

(ग) कुछ अव्यय ऐसे हैं जिनके पहले विभक्ति सहित तथा विभक्ति रहित दोनों तरह की संज्ञाएँ आती हैं। जैसे—द्वारा, बिना, योग्य, तले, अनुसार—गोपाल द्वारा (गोपाल के द्वारा) मुझे यह कार्य मिला। सीता बिना (सीता के बिना) राम और लक्ष्मण का जंगल में रहना कठिन था।

मुख्य मुख्य सम्बन्ध-सूचक शब्दों की सूची और उनका प्रयोग नीचे दिया जाता है—

ओर	राम की ओर	**आगे**	सोहन के आगे
नाईं	पण्डित की नाईं	**पीछे**	तुम्हारे पीछे
सामने	राजा के सामने	**पहले**	वर्षा के पहले
रहे	दो घड़ी दिन रहे	**द्वारा**	हरि के द्वारा
ऊपर	छत के ऊपर	**समान**	उसके समान
नीचे	पेड़ के नीचे	**तुल्य**	ऋषि के तुल्य
तले	दीवार के तले	**सदृश**	तुम्हारे सदृश
भीतर	घर के भीतर	**प्रतिकूल**	मेरे प्रतिकूल
पास	रानी के पास	**विरुद्ध**	मेरे विरुद्ध
निकट	उसके निकट	**मध्य**	दोनों के मध्य
समीप	उसके समीप	**विषय**	उसके विषय में

तक	दो दिन तक	बाहर	घर के बाहर
निमित्त	उसके निमित्त	परे	शक्ति से परे
कारण	मेरे कारण	समेत	पुस्तक समेत

साधारणत: सम्बन्ध-सूचक शब्दों के पीछे विभक्ति नहीं आती पर कहीं कहीं विभक्ति लग भी जाती है। जैसे—मेरे सामने की बात है, दिवाली के आस पास की खबर है।

कई कालवाचक और स्थानवाचक अव्यय सम्बन्धबोधक और क्रियाविशेषण दोनों होते हैं। जब उनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब वे सम्बन्धबोधक अव्यय होते हैं और जब क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब क्रियाविशेषण होते हैं। जैसे—यह काम पहले करो (क्रियाविशेषण)। यह काम नहाने से पहले करो (सम्बन्धबोधक)। मोहन यहाँ आया था (क्रियाविशेषण) मैंने उसे तुम्हारे यहाँ भेज दिया है (सम्बन्धबोधक)।

सम्बन्धबोधक अव्यय का पद-परिचय

इसमें केवल सम्बन्धबोधक अव्यय लिखकर वह शब्द बताना होता है जिससे उसका सम्बन्ध हो; जैसे—घर के पीछे; पीछे—सम्बन्धबोधक अव्यय, घर सम्बन्धी पद।

अभ्यास

१. सम्बन्धबोधक अव्यय किसे कहते हैं? चार ऐसे सम्बन्ध-बोधक अव्ययों का वाक्य में प्रयोग करो जो विभक्ति-सहित शब्द के साथ आये हों और चार ऐसे जो विभक्ति-रहित शब्द के साथ आये हों तथा चार ऐसे जिनका दोनों प्रकार से प्रयोग हो।

नीचे लिखे वाक्यों के खाली स्थानों में उपयुक्त सम्बन्धबोधक अव्यय लिखो—

आज मेरे—आपकी दावत है। रामचन्द्र जी के—लक्ष्मणजी चौदहवर्ष—वन में रहे।

वे घर के—निकले ही थे कि पेड़ के—से एक साँप उनकी—आता दिखाई दिया।

दसवाँ अध्याय

योजक (समुच्चय बोधक) (Conjuctions)

दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलानेवाले अव्यय योजक कहलाते हैं। जैसे—राम और लक्ष्मण दोनों बन को चले। हरिद्वार जाऊँ या लाहौर। तुम हरिद्वार चले ही हो फिर मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा। उपरिलिखित वाक्यों में 'और' 'या' तथा 'फिर' क्रमश: दो शब्दों, दो वाक्यांशों तथा दो वाक्यों को मिलाते हैं अत: ये योजक अव्यय हैं।

योजक अव्ययों के तीन मुख्य भेद हैं—१. संयोजक २. विकल्पबोधक ३. भेदबोधक।

१. संयोजक—अनेक अर्थों का संयोग (मेल संग्रह, या समुच्चय) प्रकट करनेवाले अव्यय को संयोजक कहते हैं। इनके द्वारा दो शब्दों या वाक्यांशों का मेल प्रकट होता है। मुख्य संयोजक अव्यय हैं—और, तथा एवं, भी। जैसे—मैं तथा राम दोनों कल दिल्ली जावेंगे और वहाँ से तुम्हारे लिए एक जोड़ा धोती एवं तुम्हारी भाभी के लिए एक जोड़ा साड़ी लेते आवेंगे।

२. विकल्पबोधक—अनेक अर्थों में विकल्प प्रकट करनेवाले अव्यय को विकल्प बोधक कहते हैं। वा, या,

चाहे, अथवा, किंवा, कि, या—या, चाहे—चाहे, क्या—क्या, न—न, नकि, नहीं तो, आदि विकल्प बोधक अव्यय हैं। जैसे—किसी गाँव वा शहर या देश का वर्णन करते समय वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों अथवा जनता के रहन सहन किंवा वहाँ की विशेषताओं का वर्णन करना आवश्यक है—नहीं तो वह वर्णन चाहे कितनी ही सुललित भाषा में हो अधूरा ही कहा जायगा। अतएव या तो वह वर्णन तुम स्वयं लिखो या अपने भाई से सहायता लो, और एक ऐसा लेख लिखो जिसमें स्याम देश के क्या प्राकृतिक दृश्य और क्या वहाँ की सभ्यता सबका पूरा वर्णन हो। तुम यह बताओ, तुम यह कर सकोगे कि मैं और किसी को दूँ। न यह स्वयं पढ़ता है और न किसी और को पढ़ने देता है।

३. भेदबोधक—एक बात का दूसरी बात से भेद बतलानेवाले अव्यय को भेद-बोधक कहते हैं। ये कई तरह के होते हैं।

(क) विरोधदर्शक—ये अव्यय दो वाक्यों में से पहले का निषेध या परिमिति सूचित करते हैं। पर, परन्तु, किन्तु, मगर, वरन्, बल्कि इस श्रेणी के हैं। राममोहन दरिद्र है पर है नेक। मैं वहाँ जाने को तैयार था परन्तु तुम्हारे समय पर न पहुँचने के कारण मुझे भी अपना विचार छोड़ना पड़ा। मैं केवल सँपेरा नहीं हूँ किन्तु भाषा का कवि भी हूँ। वे तो मान जाँयगे, मगर तुम भी मानो तो। वह केवल नेक ही नहीं है, वरन् उसका आचरण भी जनतामात्र के लिए

आदर्श है। वह केवल दिल लगाकर ही काम नहीं करता बल्कि काम जानता भी है।

(ख) परिणाम-दर्शक, कारणवाचक और उद्देश्य-सूचक— इसलिए, सो, अतः, अतएव, क्योंकि, जोकि, इसीलिए, कि, ताकि, आदि इस श्रेणी के अव्यय हैं। वर्षा हुई है **अतः** (इसलिए) आज कीचड़ होगा। वे मेरा कहना न मानेंगे, **अतएव** (इसलिए) तुमही उनके पास जाओ। **क्योंकि** वह कल वहाँ समय पर नही आया! **इसलिए** आज मुख्याध्यापक ने उसे निकाल दिया। उसने स्वयं ही त्यागपत्र दे दिया **ताकि** झगड़ा न बढ़े। हम तुम्हें ही इस काम पर भेजना चाहते हैं **ताकि** काम पूरी तरह होजाय। तुम दूसरों को समय पर आने के लिए कह रहे थे **सो** पहले तुम्हें स्वयं ही समय पर पहुँचना चाहिए।

(ग) संकेतबोधक—यदि—तो, जो—तो, यद्यपि—तथापि, चाहे—परन्तु आदि एक साथ आनेवाले अव्यय इस श्रेणी के अव्यय कहे जाते हैं।

यदि वह आ गया **तो** काम बन जावेगा। **जो** तुम अमृतसर जाना चाहते हो **तो** झटपट तैयार हो जाओ। **यद्यपि** वह बहुत सी सिफारशें लेकर आया है **तथापि** उसका काम बनता नहीं दीखता।

(घ) स्वरूपवाचक—इन अव्ययों द्वारा पहली बात का और अधिक स्पष्टीकरण होता है। अर्थात्, याने, मानों, यहाँ तक कि, इसी श्रेणी के हैं।

आहा, वह कितनी सुन्दर थी मानों स्वर्ग से उतरी हुई

कोई परी हो। उनमें से कोई भी समय पर नहीं पहुँचा, यहाँ तक कि स्वयं मन्त्री महोदय भी १० बजे तक न आए।

पद-परिचय

योजक के पद-परिचय में केवल उनके प्रकार का वर्णन कर उन शब्दों, वाक्यांशों या वाक्य-खण्डों का निर्देश करना होता है जिनको वे मिलाते हैं।

१. यदि वह आगया तो काम बन जावेगा।

२. आज वर्षा हुई है अतः कीचड़ होगा।

३. मैं और राम कल दिल्ली जायँगे।

यदि—तो—योजक संकेतबोधक, 'वह आ गया' और 'काम बन जावेगा' को मिलाते हैं।

अत:—योजक, कारण-सूचक, 'वर्षा हुई है' और 'कीचड़ होगा' को मिलता है।

और—योजक, संयोजक,'मैं' तथा 'राम' को मिलाता है।

अभ्यास

१. योजक किसे कहते हैं ? इसके कितने भेद हैं ? दो दो उदाहरणों से उनको समझाओ।

२. निम्नलिखित योजकों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो—

या, ताकि, इसलिए, क्योंकि, अर्थात्।

ग्यारहवाँ अध्याय

द्योतक (विस्मयादिबोधक Interjecton)

जिन शब्दों से वक्ता के विस्मय, हर्ष, शोक, लज्जा, ग्लानि आदि मनोभाव प्रकट होते हैं उन्हें द्योतक या विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं।

भिन्न भिन्न मनोविकारों को सूचित करने के लिए भिन्न भिन्न अव्यय प्रयोग में लाये जाते हैं; जैसे—

हर्षबोधक—अहा! वाहवा! धन्य धन्य! शाबाश! इत्यादि।

शोकादिबोधक—आह! वाह! ऊह! हा हा! बापरे! राम! हा ईश्वर! त्राहि! त्राहि!

आश्चर्यबोधक—अहो! हैं। एं! ओहो! क्या! आदि।

स्वीकारबोधक—ठीक! अच्छा! हाँ!

तिरस्कारबोधक—छिः! हट! अरे। दुर! धिक्! चुप!

संबोधनबोधक—अरे रे! अरी री! अजी! ओ! क्यों!

आशीर्वादबोधक—जीते रहो! बढ़ते रहो!

कई एक संज्ञाएँ, क्रियाएँ, विशेषण और क्रियाविशेषण भी विस्मयादिबोधक हो जाते हैं। जैसे—भगवान्, अच्छा, लो, हट, चुप, क्यों।

कभी कभी बाक्यांश या वाक्य भी द्योतक हो जाते हैं।

क्यों न हो! बहुत अच्छा! सर्वनाश हो गया!!

अभ्यास

१, निम्नलिखित वाक्यों के प्रत्येक शब्द का परिचय दो।

भीतर से निकल कर सड़क पर जाते हुए मनुष्य को चोर समझा और उसे पकड़ने के लिए दौड़े। ज्योंही उसको ये आदमी दीखे वह बोल उठा—हाय! बुरे फँसे? अब परमात्मा ही हमें इस भीषण संकट से बचावे।

२. साथ, यह, हाँ, कुछ, क्या, जो, आगे, भीतर, इनका भिन्न भिन्न शब्द-भेदों के रूप में वाक्यों में प्रयोग करो।

३. तीन ऐसे वाक्य बनाओ जिनसे हर्ष, घृणा और आश्चर्य के भाव प्रकट हों।

४. हाय, धिक्, ओहो, धन्य! इन अव्ययों का वाक्यों में प्रयोग करो।

बारहवाँ अध्याय

शब्दों की व्युत्पत्ति

पिछले अध्यायों में शब्दों के भेदों तथा उनके रूपान्तरों आदि का वर्णन किया गया है, अब आगे यह बतलाया जायगा कि संज्ञा आदि शब्दों के पारस्परिक मेल से अथवा उनके साथ अन्य प्रत्ययों का मेल होने से किस तरह नये शब्द बनते हैं।

शब्दों के वर्गीकरण में बताया जा चुका है कि यौगिक तथा योगरूढ़िक शब्द किसी शब्द और शब्दांश के योग से अथवा दो शब्दों के योग से बनते हैं। इस तरह इन शब्दों की उत्पत्ति तीन तरह से कही जा सकती है — १. शब्द के पूर्व शब्दांश के लगाने से, २. शब्द के पीछे शब्दांश के लगाने से, ३. दो शब्दों के मेल से। शब्द के पूर्व जो शब्दांश लगते हैं वे **उपसर्ग** कहाते हैं, शब्द के पीछे जो शब्दांश लगते हैं वे **प्रत्यय** कहाते हैं तथा जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक स्वतन्त्र शब्द बनाते हैं तो इस मेल को '**समास**' कहा जाता है। सारांश यह है कि नये शब्द उपसर्ग या प्रत्यय के लगाने से अथवा समास द्वारा बनते हैं।

१- उपसर्ग

उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आदि में आकर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या

उसके अर्थ को सर्वथा बदल देते हैं। जैसे—जय शब्द का अर्थ है 'जीत' पर यदि उसके आदि में 'परा' जोड़ दिया जाय तो 'पराजय' का अर्थ हो जाता है 'हार', जो मूल शब्द के अर्थ से सर्वथा विपरीत है। इसी तरह 'बल' शब्द से पहले 'प्र' उपसर्ग लगा दें तो 'प्रबल' शब्द का अर्थ हो जाता है अधिक बलवाला, पर यदि 'प्र' की जगह 'निर्' उपसर्ग लगा दिया जाय तो 'निर्बल' शब्द का अर्थ हो जाता है बलरहित (कमजोर)।

हिन्दी में जो उपसर्गयुक्त शब्द मिलते हैं वे प्रायः संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। शेष में भी जो उपसर्ग लगे हैं वे प्रायः संस्कृत उपसर्गों के अपभ्रंश ही हैं। ख़ालिस हिन्दी का तो एक-आधा ही उपसर्ग है अतः पहले संस्कृत के उपसर्ग, उनके अर्थ तथा उदाहरण लिखे जाते हैं।

संस्कृत के उपसर्ग

अति = अधिक, ऊपर—अतिदीन, अतिरिक्त।

अधि=ऊपर, श्रेष्ठ—अधिकार, अध्यक्ष, अधिपति।

अनु=पीछे, समान—अनुज, अनुचर, अनुरूप।

अप=बुरा, विरुद्ध—अपमान, अपकर्ष, अपशब्द।

अभि=ओर,सामने,इच्छा—अभिमुख,अभ्यागत, अभिप्राय

अव = नीचे, हीन—अवगुण, अवतार, अवनति।

आ = तक, समेत, उलटा—आजीवन, आकर्षण, आगमन

उत् = ऊपर, श्रेष्ठ—उत्पत्ति, उत्कर्ष, उत्तम।

उप = समीप, गौण—उपकूल, उपवन, उपनाम।

दुर-दुस् = बुरा, कठिन—दुराचार, दुर्गम।

नि = नीचे, बाहर—निपात, निरोध, निधान।

परा = पीछे, उलटा—पराजय, पराभव।

परि=आस-पास, सब तरफ, पूर्ण—परिजन, परिक्रमा, परितोष।

प्र = अधिक, ऊपर—प्रचार, प्रबल, प्रभाव।

प्रति=विरुद्ध, सामने, हरएक—प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रतिदिन।

वि = भिन्न, विशेष—विदेश, विख्यात, विज्ञान।

सम = अच्छा, साथ, पूर्ण—संस्कार, संगम, सन्तोष।

सु = अच्छा, सहज—सुपुत्र, सुकर्म, सुगम।

कभी कभी एक ही शब्द के साथ दो-तीन उपसर्ग भी आते हैं; जैसे,—निराकरण (निर्+आ+करण), समालोचना (सम्+आ+लोचना), प्रत्युपकार (प्रति+उप+कार)।

इनके अतिरिक्त कुछ संस्कृत के विशेषण और अव्यय भी उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होते हैं; जैसे—

अ=अभाव, निषेध—अधर्म, अज्ञान, अनीति (स्वरादि शब्द से पहले 'अ' को 'अन्' हो जाता है; जैसे—अनेक, अनन्त)।

अधस्=नीचे—अधःपतन, अधोगति।

अन्तर्=भीतर—अन्तःपुर, अन्तःकरण, अन्तर्नाद।

कु (का)=बुरा—कुकर्म, कुपुत्र, कापुरुष।

न=अभाव—नास्तिक, नक्षत्र, नपुँसक।

पुरः=सामने—पुरोहित, पुरस्कार, पुरश्चरण।

पुरा=पहले—पुरातन, पुरातत्व, पुरावृत्त।

पुनर्=फिर—पुनर्जन्म, पुनरुक्त, पुनर्विवाह।

बहिर्=बाहर—बहिष्कार, बहिर्द्वार, बहिरागमन।

स=सहित—सजीव, सफल, सगोत्र।

सत्=अच्छा—सज्जन, सङ्गम, सत्पात्र।

सह=साथ, सहचर, सहोदर।

हिन्दी उपसर्ग

अ, अन=अभाव—अजान, अचेत, अबेर।

(हिंदी में 'अन' व्यञ्जन के पूर्व भी आता है; अनमोल, अनगिनत)

अध (अर्ध)=आधा—अधकचरा, अधपका, अधसुना।

औ (सं० अव)=हीन, नीचे—औगुण, औतार, औघट।

नि (सं० निर्)=रहित—निकम्मा, निडर।

भर=पूर्णता—भरपेट, भरपूर, भरसक।

सु, स=अच्छा—सुडौल, सपूत सुजान।

कु, क=बुरा—कपूत, कुचाली, कुठौर।

वि=जुदा—बिछुड़ना।

उर्दू उपसर्ग

ना,बे,ला=अभाव—नापसन्द, बेचैन, लाचार।

बा=अनुसार, सहित—बाज़ाप्त, बातमीज़, बाकायदा।

दर=में—दरअसल।

हर=प्रति—हरएक, हररोज़, हरघड़ी।

इसी तरह खुश, बद, गैर, व आदि उपसर्ग भी हैं।

२. प्रत्यय

प्रत्यय शब्दों के अन्त में जोड़े जाते हैं। कारक प्रत्यय, क्रिया

प्रत्यय और स्त्री-प्रत्यय आदि कुछ प्रत्ययों का वर्णन पिछले अध्यायों में आ चुका है; उनके अतिरिक्त दो प्रकार के प्रत्यय और हैं—कृत् प्रत्यय और तद्धितप्रत्यय।

धातुओं के अन्त में जिन प्रत्ययों के लगाने से क्रिया को छोड़ अन्य शब्द बनें उन्हें कृत्प्रत्यय कहते हैं। वे शब्द जो कृत्प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं, कृदन्त कहलाते हैं। जैसे—करना+वाला=करनेवाला।

धातुओं को छोड़ शेष शब्दों के अन्त में जिन प्रत्ययों के लगाने से अन्य शब्द बनते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे—लकड़-हारा। जो शब्द इस प्रकार बनते हैं उन्हें तद्धितान्त कहते हैं।

इस अध्याय में इन्हीं दो प्रत्ययों का वर्णन होगा।

कृत् प्रत्यय

कृत् प्रत्यय पाँच प्रकार के हैं। १. कर्तृवाचक २. कर्म-वाचक ३. करणवाचक ४. भाववाचक ५. क्रियाद्योतक।

(१) कर्तृवाचक—कर्तृवाचक कृत्प्रत्यय वे हैं जिनसे क्रिया (व्यापार) के करनेवाले का बोध होता है। जैसे—वाला, हारा, सार, आका, इत्यादि।

कर्तृवाचक कृदन्त बनाने की रीति—

(क) क्रिया के सामान्य रूप के 'ना' को 'ने' करके आगे 'वाला' प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे—बोलनेवाला, पढ़नेवाला।

(ख) क्रिया के सामान्य रूप के 'ना' को 'न' करके आगे 'हार' या 'सार' प्रत्यय लगाये जाते हैं। जैसे—राखनहार; सिरजनहार; मिलनसार।

(ग) धातु के सामान्यरूप के आगे नीचे लिखे प्रत्यय लगाने पर भी कर्तृवाचक कृदन्त बनते हैं। आऊ, आका, आक, आड़ी, आलू, ऊ, ऐरा, ऐत, ऐया, ओड़ा, क, कड़, वैया। जैसे— टिकाऊ। लड़ाका। तैराक। खिलाड़ी। झगड़ालू। कमाऊ। लुटेरा। लड़ैत। रखैया। भगोड़ा। घालक। कुदक्कड़। गवैया।

'वाला' प्रत्यय हर एक धातु के साथ लग सकता है; पर अन्य प्रत्यय हर एक धातु के साथ नहीं लगते। ख़ास-ख़ास प्रत्यय ख़ास-ख़ास धातुओं के साथ ही लगते हैं। धातु के आदि का दीर्घ स्वर प्रत्यय लगने पर प्रायः ह्रस्व हो जाता है। जैसे—खिलाड़ी।

(क) कर्मवाचक प्रत्यय वे हैं जिनसे लगकर बनी हुई संज्ञा से कर्म का बोध होता है जैसे—

औना—बिछौना	ना—ओढ़ना
	नी—सूँघनी

(३) करणवाचक प्रत्यय वे हैं जिनसे लग कर बनी हुई संज्ञाओं से क्रिया के साधन का बोध होता है।

आ—झूला, ठेला।	ई—फाँसी
न, ना—बेलन, बेलना।	ऊ—झाड़ू।
आनी—मथानी।	नी—कतरनी, धौंकनी।

(४) भाववाचक प्रत्यय वे हैं जिनसे लग कर बनी हुई संज्ञाओं से भाव (क्रिया के व्यापार) का बोध हो।

अ—बूझ, लूट, मेल।	आ—फेरा, जोड़ा।
आई—लड़ाई, लिखाई।	आन—उड़ान, मिलान।
आप—मिलाप।	आव—लगाव।

आवट—थकावट। हट—घबराहट।
ई—हँसी, बोली। एरा—बसेरा।
औती—मनौती।

(५) क्रियाद्योतक—क्रियाद्योतक प्रत्यय वे हैं जिनसे क्रियाओं के समान ही भूत या वर्तमान काल के वाचक, विशेषण या अव्यय बनते हैं।

हेतुहेतुमद्भूत क्रिया के प्रथमपुरुष एकवचन के बाद 'हुआ' लगाने से वर्तमान काल का विशेषण और सामान्यभूत क्रिया के प्रथम पुरुष एकवचन के आगे 'हुआ' लगाने से भूतकाल का विशेषण बनता है। कभी कभी हुआ नहीं भी लगता। जैसे—(वर्तमानकाल) आता हुआ घोड़ा, सोता हुआ मनुष्य, बेतहाशा दौड़ता आदमी रास्ते में औंधे मुँह गिर पड़ा। (भूतकाल) गया हुआ वक्त या गया वक्त। मरा हुआ मनुष्य या मरा मनुष्य।

इन्हीं अर्थों में संस्कृत के शब्दों में 'त' (क्त) और 'मान' प्रत्यय लगते हैं कहीं कहीं 'त' का 'न' भी हो जाता है:—संगत, युक्त, मुक्त, चलायमान, कम्पायमान, लग्न, भग्न, मग्न, रुग्ण। योग्यता के अर्थ में संस्कृत के 'तव्य' 'आनीय' आदि प्रत्यय भी हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे—विचारणीय, गन्तव्य, ध्येय।

अव्यय बनाने के लिए ऊपर के कृदन्तों के अन्त्य 'आ' को 'ए' कर दिया जाता है। भूख के मारे जान निकली जाती है। पूर्वकालिक, तात्कालिक, अपूर्ण-क्रियाद्योतक तथा पूर्ण-क्रियाद्योतक क्रियाओं में यही कृदन्त अव्यय प्रयुक्त होते हैं।

कर्तृवाचक प्रत्ययों से संज्ञा और विशेषण दोनों बनते हैं। पर कर्मवाचक करणवाचक तथा भाववाचक प्रत्ययों से केवल संज्ञाएं बनती हैं। क्रियाद्योतक प्रत्ययों से विशेषण तथा अव्यय दोनों बनते हैं।

तद्धित

तद्धित प्रत्यय अनन्त हैं। शब्दों के साथ इन प्रत्ययों का मेल होने पर शब्दों में भी प्रायः विकार हो जाता है। जैसे--सोना+आर=सुनार, लोटा+इया=लुटिया, वर्ष+इक=वार्षिक, गुण+अ=गौण, सूर्य+अ=सौर। तद्धित प्रत्ययों से मुख्यतया तीन प्रकार के शब्द बनते हैं—

१. संज्ञाओं, सर्वनामों तथा अव्ययों में प्रत्यय लगाने से विशेषण; जैसे—भूख+आ=भूखा। पंजाब+ई=पंजाबी, मास+इक=मासिक, ग्राम+ईन=ग्रामीण।

२. विशेषणों में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएँ तथा संज्ञाओं में प्रत्यय लगाकर नयी संज्ञाएँ; जैसे—मीठा+आस=मिठास, गर्म+ई=गर्मी, सोना+आर=सुनार।

३. संज्ञाओं, सर्वनामों और विशेषणों में प्रत्यय लगाकर अव्यय; जैसे--सामना+ए=सामने, आप+स=आपस, कोस+ओं=कोसों।

आगे कुछ मुख्य मुख्य तद्धित प्रत्यय अर्थ तथा उदाहरण सहित दिये जाते हैं।

(१) कर्तृवाचक (करनेवाले, बनानेवाले, या घड़ने वाले, अर्थ में) प्रत्यय--

आर, इया, ई, उआ, एरा, वाला, हारा आदि।

जैसे--सुनार,लोहार। आढ़तिया। भण्डारी,तेली। मछुआ सँपेरा, कसेरा। घरवाला, टोपीवाला। लकड़हारा, पनिहारा।

(२) भाववाचक प्रत्यय ये हैं--वा, आई, आपा, आस, आयत, इख, ई, औती, ड़ा, त, नी, पन, हट, क इत्यादि।

बुलावा। बुराई, भलाई। बुढ़ापा, सुघड़ापा। मिठास। बहुतायत। कालिख। गर्मी, सर्दी। बपौती। दुखड़ा। रंगत, संगत। चाँदनी। लड़कपन, बचपन। चिकनाहट। ठंढक।

अ, इमा (इमन्), ता, त्व, य आदि भाववाचक संस्कृत प्रत्यय युक्त शब्द भी हिन्दी में पर्याप्त प्रयुक्त होते हैं; जैसे—शैशव, लाघव, गौरव। लालिमा, महिमा। गुरुता, प्रभुता। गुरुत्व, प्रभुत्व। आलस्य, माधुर्य्य।

(३) सम्बन्धवाचक प्रत्यय ये हैं--आल, जा, एरा। जैसे—ससुराल,ननिहाल। भतीजा, भानजा। ममेरा, फुफेरा।

संस्कृत के अपत्यवाचक शब्द जिनसे सन्तान का भाव पाया जाता है इसी श्रेणी के अन्दर समझे जा सकते हैं। इसमें आदि स्वर को वृद्धि हो जाती है और शब्द के अन्तिम 'इ' को 'य' तथा 'उ' को 'व' हो जाता है। जैसे--कौन्तेय, वैष्णव, दानव, यादव।

(४) ऊन (लघुता) वाचक प्रत्यय ये हैं—आ, इया, री, टी, ड़ी आदि। जैसे—बबुआ। लुटिया, खटिया। कोठरी। लँगोटी। पगड़ी, पहाड़ी।

(५) पूर्णवाचक प्रत्यय--ला, रा, था, ठा, वाँ।

पहला। दूसरा, तीसरा। चौथा। छठा। पाँचवाँ, सातवाँ इत्यादि।

(६) सादृश्यवाचक प्रत्यय ये हैं—सा, हरा। जैसे—कालासा, रूपहरा, सुनहरा।

(७) गुणवाचक विशेषण आ, इत, ईय, ई, ईला, ऊ, ऐला, लु, मान्, वन्त, वान्, इक, आदि प्रत्यय लगाने से बनते हैं। जैसे—भूखा। आनन्दित। अनुकरणीय। धनी, देशी। रँगीला, सजीला। घरू, बाजारू। बिषेला। दयालु। श्रीमान्, मतिमान्। कुलवन्त। रूपवान्। सामाजिक, ऐतिहासिक।

(८) स्थानवाचक विशेषण ई, इया, वाला, वाल इत्यादि प्रत्यय लगाने से बनते हैं। जैसे—पंजाबी, मद्रासी। अमृतसरिया। बम्बईवाला। गयावाल।

इनके अतिरिक्त उर्दू के निम्नलिखित प्रत्ययों से बने शब्द भी हिन्दी में बहुत बोले जाते हैं—

गर, गार, ची, दार, नाक, मंद, वर, वार, सार, गी।

कलईगर, कारीगर। मददगार। ख़ज़ानची, मसालची। ज़मीदार, ताल्लुकदार। दर्दनाक, खतरनाक। अक्लमंद, फ़ायदेमंद। ताक़तवर, ज़ोरावर। पैदावार, उम्मीदवार। मिलनसार, ख़ाकसार। सादगी, मर्दानगी, ज़िन्दगी।

अभ्यास

१. उपसर्ग और प्रत्यय में क्या भेद है?

२. उदाहरण देकर स्पष्ट करो कि उपसर्ग के लगने से शब्दों के अर्थ में अन्तर पड़ जाता है।

३. कृत्प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में क्या अन्तर है?

४. कृत्प्रत्यय कितनी तरह के होते हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दो।

५. तद्धित प्रत्यय मुख्यतया कितनी तरह के हैं ?

६. आगे लिखे शब्दों में किस अर्थ में कौन कौन सा प्रत्यय है—खिलाड़ी, हँसी, तेली, लम्बाई, कड़वाहट, लड़कपन, लुटिया, खटिया, दूसरा, गवैया, झगड़ालू, झाड़ू।

७. आगे लिखे शब्दों में कौन कौन से उपसर्ग हैं—पराभव, सपूत, प्रणाम, उद्गम, खुशबू, कुठौर।

८. निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्ति लिखो—सुशिक्षित, भूखा, रँगीला, अनुकरण, अव्यय, निर्मल, तैराक, गवैया, मारपीट, सुनार, लुहार, दैनिक, सौन्दर्य।

तेरहवाँ अध्याय

समास

परस्पर सम्बन्ध रखनेवाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब कोई स्वतन्त्र शब्द बनाते हैं तो इस मेल को समास कहा जाता है और इस प्रकार मिले हुए शब्दों को समस्त अथवा सामासिक शब्द। समस्त शब्दों के बीच के विभक्ति-प्रत्ययों का और सम्बन्ध बतलानेवाले शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे—धन का मद = धनमद। घोड़े का सवार = घुड़सवार। काठ की पुतली = कठपुतली। चन्द्र सा मुख = चन्द्रमुख।

समास होने पर कई शब्दों में कुछ विकार भी हो जाता है। जैसे—घुड़सवार में 'घोड़े' का 'घुड़' और कठपुतली में 'काठ' का 'कठ' हो गया है।

उपसर्ग और प्रत्ययों के योग से जो नये शब्द बनते हैं उन में शब्द और शब्दांश का मेल होता है, परन्तु समास में दो शब्दों के परस्पर मेल से नये शब्द बनते हैं। समस्त शब्द जिन शब्दों के मेल से बनता है वे शब्द उसके खण्ड कहाते हैं। समस्त शब्दों के खण्डों को अलग अलग अपनी अपनी विभक्तियों के रूप में रखकर उनके आपस के सम्बन्ध को स्पष्ट करने की रीति को विग्रह कहते हैं। जैसे—'रात-दिन' समस्त शब्द का विग्रह है रात और दिन।

समास में जब शब्द जुड़ते हैं तो उनमें सन्धि के नियमों का प्रयोग होता है। जैसे--पत्र का उत्तर=पत्रोतर। इन नियमों का वर्णन अगले प्रकरण में होगा।

किसी समास में पहला खण्ड प्रधान होता है और किसी में दूसरा, किसी में कोई खण्ड भी प्रधान नहीं होता और किसी में दोनों खण्ड प्रधान होते हैं। इस प्रकार समासों के मुख्य चार भेद हैं। जिस में पहला खण्ड प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव कहते हैं; जिसमें दूसरा खण्ड प्रधान होता है उसे तत्पुरुष कहते हैं; जिस में दोनों ही खण्ड प्रधान होते हैं उसे द्वन्द्व कहते हैं और जिसमें कोई भी खण्ड प्रधान नहीं होता उसे बहुब्रीहि कहते हैं। तत्पुरुष समास का एक और उपभेद कर्मधारय तथा कर्मधारय का उपभेद द्विगु है। कई लोग इन्हें स्वतन्त्र समास कह कर समास के छः भेद करते हैं—अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वन्द्व और बहुब्रीहि।

अव्ययीभाव

जिस समास में पहला खण्ड—जो प्रायः अव्यय होता है—प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास का समस्त शब्द भी अव्यय ही होता है और वाक्य में क्रिया की विशेषता का प्रतिपादन करता है। जैसे—यथाशक्ति (शक्ति के अनुसार), प्रकट, आजन्म, भरपेट इत्यादि।

अव्ययीभाव का अर्थ है अव्यय हो जाना। यही कारण है कि हिन्दी-वैयाकरणों ने हाथोंहाथ, रोजरोज इत्यादि शब्दों

में भी अव्ययीभाव समास माना है यद्यपि इनमें संज्ञाओं की ही द्विरुक्ति हुई है। द्विरुक्ति में 'मात्राओं' और 'ही' का आगम भी कभी कभी होता है। जैसे--मन ही मन।

तत्पुरुष

जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के दो भेद हैं--(१) व्यधिकरण तत्पुरुष अर्थात् जिसमें समस्त पदों के विग्रह करने पर पहले खण्ड और दूसरे खण्ड में भिन्न भिन्न विभक्तियाँ लगाई जावें। जैसे--'राजसभा' = राजा की सभा। इसमें पहले खण्ड में सम्बन्ध कारक की विभक्ति है और दूसरे में कर्ता कारक की विभक्ति है। (२) सामनाधिकरण तत्पुरुष अर्थात् जिसमें समस्त पद के विग्रह करने पर दोनों खण्डों में एक कर्त्ता कारक की ही विभक्ति रहे। जैसे—चन्द्रमुख (चन्द्र सा मुख) इन दोनों पदों में एक ही विभक्ति है।

व्यधिकरण तत्पुरुष को ही साधारणतया तत्पुरुष तथा समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मधारय समास कहा जाता है।

व्यधिकरण तत्पुरुष

इस समास के पूर्व पद में जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है उसी कारक के अनुसार इस समास का नाम होता है; जैसे—

कर्म तत्पुरुष=स्वर्गप्राप्त (स्वर्ग को पहुँचा हुआ), शरणागत (शरण को आया हुआ)।

करण तत्पुरुष=तुलसीकृत (तुलसी द्वारा बनाई हुई), मनमाना (मन से माना हुआ)।

सम्प्रदान तत्पुरुष=हवनसामग्री (हवन के लिये सामग्री), राहखर्च (राह के लिये खर्च)।

अपदान तत्पुरुष=धर्मभ्रष्ट (धर्म से गिरा हुआ), जन्मान्ध (जन्म से अन्धा)।

सम्बन्ध तत्पुरुष=देशोद्धार (देश का उद्धार), घुड़दौड़ (घोड़ों की दौड़)।

अधिकरण तत्पुरुष=वनवास (वन में वास), आपबीती (अपने आप पर बीती)।

कभी कभी तत्पुरुष समास में पहले शब्द की विभक्ति का लोप नहीं होता तब उस समास को **अलुक् (तत्पुरुष) समास** कहते हैं। जैसे—युधिष्ठिर (युधि+स्थिर) युद्ध में स्थिर रहनेवाला; मनसिज (मनसि+ज) मन में पैदा होनेवाला, खेचर (खे+चर) आकाश में विचरनेवाला।

अभाव या निषेध के अर्थ में 'अ' या 'अन्' लगाने से होने वाले तत्पुरुष को **नञ् तत्पुरुष** कहते हैं। जैसे--अनपढ़ (न पढ़ा हुआ), अछूता (न छुआ हुआ)।

तत्पुरुष समास का जब दूसरा पद ऐसा कृदन्त होता है जिसका स्वतन्त्र उपयोग नहीं हो सकता तब उस समास को **उपपद समास** कहते हैं। जैसे—कृतज्ञ (किये को जाननेवाला)।

समानाधिकरण तत्पुरुष या कर्मधारय

जिसमें विशेष्य, विशेषण या उपमान तथा उपमेय का मेल हो और विग्रह करने पर दोनों पदों में एक कर्ता कारक की विभक्ति ही रहे उसे कर्मधारय समास कहते हैं; जैसे—नीलकमल = नीला कमल; यहाँ नीला विशेषण और कमल विशेष्य है तथा उत्तर पद कमल प्रधान है। घनश्याम = घन (बादल) जैसा श्याम (काला)। भवसागर = भवरूपी-सागर। विद्याधन = विद्यारूपी धन। क्रोधाग्नि = क्रोधरूपी अग्नि। आशानदी = आशारूपी नदी। हिन्दी में कर्मधारय समास के बहुत कम उदाहरण मिलते हैं।

जिस 'कर्मधारय' समास में पहले शब्द का दूसरे शब्द से सम्बन्ध बतानेवाले बीच के बिशेषण का लोप हो जाता है। उसे **'मध्यमपद लोपी'** समास कहते हैं। जैसे—घृतान्न (घृत मिश्रित अन्न) दहीबड़ा (दही में डूबा हुआ बड़ा)।

द्विगु

जिस कर्मधारय समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और जिससे किसी समुदाय का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसके पूर्व पद में संख्यावाचक विशेषण होने के कारण इसे संख्यावाचक कर्मधारय भी कहा जाता है। जैसे—त्रिभुवन (तीन भुवनों का समूह) चौमासा (चार मासों का समूह)। सतसई, दोपहर, पंसेरी आदि में भी द्विगु समास है।

द्वन्द्व

जिस समास में सब खण्ड प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर जिसमें 'और' या 'अथवा' लगता है उसे द्वन्द्व समास कहते हैं। जैसे—'धर्माधर्म' = धर्म और अधर्म। पापपुण्य = पाप अथवा पुण्य। इस समास में अल्पस्वरवाले शब्द और स्त्रीलिङ्ग शब्द प्रायः पहले आते हैं। जैसे—राम-लक्ष्मण, सीताराम।

द्वन्द्वसमास से बने समस्त शब्दों का लिङ्ग साधारणतया अन्तिम खण्ड के अनुसार होता है पर यदि पूर्वखण्ड प्रधान या श्रेष्ठ का वाचक हो तो उसी के अनुसार लिङ्ग हो जाता है; जैसे—दालरोटी खाई; राजारानी आए।

द्वन्द्वसमास में एक से अधिक शब्द जुड़ते हैं अतः वचन बहुवचन होना चाहिए पर हिन्दी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा एकवचन में ही प्रयुक्त होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बहुवचन में जैसे—(एकवचन) दाल-रोटी खाई। (बहुवचन) माता पिता यहाँ आये, राम लक्ष्मण कहते थे। परन्तु विभक्ति परे होने पर बहुवचन का चिह्न 'ओं' नहीं लगता है। जैसे—रामलक्ष्मण (राम लक्ष्मणों नहीं) ने बन की ओर प्रस्थान किया। परन्तु जब समस्त होनेवाले शब्द बहुत व्यक्तियों या पदार्थों के लिए आते हों तब विभक्ति परे होने पर भी बहुवचन के चिह्न 'ओं' 'ए' आदि आते हैं। जैसे—धनी-मानियों ने, सेठ-साहूकारों से। कभी कभी तो बहुवचन सूचक विकार प्रत्येक खण्ड के साथ पाया जाता है। जैसे—आपके लड़के-लड़कियाँ कितने हैं।

बहुब्रीहि

जिस समास में कोई पद भी प्रधान नहीं होता बल्कि समस्त शब्द अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे—दशकन्धर = दश हैं कन्धर (गरदन, सिर) जिसके, यह रावण का विशेषण है। अनन्त = नहीं है अन्त जिसका, ईश्वर का विशेषण है। हिन्दी में इस समास के विग्रह में 'वाला' का प्रयोग होता है; जैसे—दोरंगा = दो रंगोंवाला। अलोना = नहीं है लोन जिसमें, न लोनवाला।

कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में यह अन्तर है कि कर्मधारय में समस्तपद का पहला खण्ड दूसरे खण्ड का विशेषण होता है पर बहुब्रीहि समास में सारा समस्त पद अपने पदों से भिन्न किसी पद का विशेषण होता है।

कई समस्त शब्द अर्थ भेद से अनेक समासों से सम्बन्ध रखते हैं। जैसे—

अध्यापक के **रक्त नयन** (लाल आँखें) देख कर विद्यार्थी सहम गये इस वाक्य में 'रक्त नयन' में कर्मधारय समास है, और "रक्त नयन' (लाल आँखों वाले) मनुष्य को देख कर......" में 'रक्त नयन' में बहुब्रीहि समास है।

अभ्यास

१. समास किसे कहते हैं और विग्रह किसे?

२. हिन्दी में समास के कितने भेद हैं? प्रत्येक का लक्षण और तीन तीन उदाहरण लिखो।

३. तत्पुरुष और कर्मधारय में, कर्मधारय और द्विगु में क्या भेद है इस को उदाहरण से समझाओ।

४. नीचे लिखे समस्त शब्दों का विग्रह करो—राजपुरुष, दण्ड-भय, व्यवहारकुशल, दशानन, कनफटा, सचझूठ, भलामानस, सुकेशी, पवित्रकीर्ति, गर्मागर्म, मार्गव्यय, महारानी, अपुत्र, बारहसिंगा, चतुर्भुज बड़बोला, प्राप्तधन, पतझड़, सेठसाहूकार, त्रिलोकी, नरनारी, दालभात, अठन्नी, चारदिन, गोबरगणेश, मुखचन्द्र, चन्द्रमुख, वाचस्पति, मनसिज, चिड़ीमार, ग्रन्थकार, कठफोड़ा, गङ्गाजल, अमृतधारा, रसोईघर, ईश्वरदत्त, कपड़छान, कृष्णार्पण, पदच्युत, कामचोर, पुरुषोत्तम। उक्त शब्दों में जो समास हुए हैं उनके नाम भी लिखो।

चौदहवाँ अध्याय

सन्धि

दो अक्षरों के पास पास होने के कारण मिल जाने से उनमें जो विकार होता है उसे 'सन्धि' कहते हैं। जैसे— राम+अवतार = रामावतार। इस में राम का अन्त्य 'अ' और अवतार का पहला 'अ' मिलकर (दीर्घ) 'आ' हो गए हैं। इस परिवर्तन को सन्धि कहते हैं।

संयोग और सन्धि में यह अन्तर है कि संयोग होने पर अक्षर बदलते नहीं पर सन्धि में उच्चारण के नियमानुसार एक या दोनों अक्षरों में परिवर्तन हो जाता है। कभी उनकी जगह उन से भिन्न कोई तीसरा अक्षर भी आजाता है। इसके अतिरिक्त संयोग केवल व्यञ्जनों में ही होता है पर सन्धि स्वरों और व्यञ्जनों दोनों में होती है।

[सन्धि का विषय संस्कृत से सम्बन्ध रखता है। संस्कृत में सन्धियों के बहुत से नियम हैं। यहाँ केवल वे ही नियम दिये जायँगे जो हिन्दी में विशेष रूप से प्रयुक्त होने वाले संस्कृत शब्दों की बनावट समझने के लिए आवश्यक हैं]।

सन्धि तीन प्रकार की है—(१) स्वर सन्धि (२) व्यंजन सन्धि (३) विसर्ग सन्धि।

१. स्वरसन्धि

दो स्वरों के पास पास आ जाने से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर-संधि के नियम नीचे दिए जाते हैं—

(क) यदि दो सवर्ण (सजातीय) स्वर पास पास आवें तो दोनों के बदले सवर्ण दीर्घ स्वर हो जाता है अर्थात् ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ से परे यदि ह्रस्व वा दीर्घ अ, इ, उ हों तो दोनों के स्थान में वही दीर्घ स्वर हो जाता है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं; जैसे—

अ या आ + अ वा आ = आ—परम + अर्थ = परमार्थ रत्न+आकर = रत्नाकार, विद्या+अभ्यास = विद्याभ्यास, विद्या+आलय = विद्यालय।

इ या ई+इ या ई = ई—कवि + इन्द्र = कवीन्द्र, कवि+ईश्वर=कवीश्वर, मही+इन्द्र=महीन्द्र, लक्ष्मी+ईश = लक्ष्मीश।

उ या ऊ+उ या ऊ=ऊ—गुरु+उपदेश=गुरूपदेश, सिन्धु+ऊर्मि = सिन्धूर्मि, वधू+उत्सव = वधूत्सव।

(ख) यदि अ या आ के आगे इ या ई हो तो दोनों को मिल कर ए, उ या ऊ हो तो दोनों को मिलकर ओ, और ऋ हो तो दोनों को मिलकर अर् हो जाता है। इस विकार को गुण संधि कहते हैं; जैसे—देव+इन्द्र = देवेन्द्र, सुर+ईश = सुरेश महा+इन्द्र = महेन्द्र, रमा+ईश = रमेश, चन्द्र+उदय=चन्द्रोदय, महा + उत्सव=महोत्सव, सप्त+ऋषि = सप्तर्षि, महा+ऋषि = महर्षि।

(ग) अ या आ के आगे ए या ऐ हो तो दोनों को मिलकर ऐ; और ओ या औ हो तो दोनों को मिलकर औ हो जाते हैं। इस विकार को वृद्धि संधि कहते हैं; जैसे—मत+ऐक्य = मतैक्य, एक+एक = एकैक, सदा+एव = सदैव, महा+ऐश्वर्य, = महैश्वर्य, वन+ओषधि = वनौषधि, महा+औषध = महौषध।

(घ) इ, ई, उ, ऊ या ऋ के आगे कोई असवर्ण स्वर आवे तो तो इ, ई के स्थान में य्; उ, ऊ के स्थान में व्; और ऋ के स्थान र् होता है, इसे यण् संधि कहते हैं; जैसे—यदि+अपि = यद्यपि, इति+आदि = इत्यादि, अभि+उदय = अभ्युदय, नि+ऊन = न्यून, प्रति+एक = प्रत्येक, नदी+अर्पण = नद्यर्पण, उपरि+उक्त = उपर्युक्त, सु+आगत = स्वागत, अनु+एषण = अन्वेषण।

(ङ) ए, ओ, ऐ, औ से परे यदि कोई स्वर हो तो ए को अय्, ओ को अव्, ऐ को आय् तथा औ को आव् हो जाता है, इसे अयादि सन्धि कहते हैं; जैसे—ने+अन = नयन, भो+अन = भवन, गै+अक = गायक, भौ+उक = भावुक।

२. व्यञ्जन सन्धि

व्यञ्जन से परे स्वर या व्यञ्जन आने से व्यञ्जन में जो विकार होता है उसे व्यञ्जन सन्धि कहते हैं। व्यञ्जन सन्धि के मुख्य मुख्य नियम नीचे दिये जाते हैं।

(क) क्, च्, ट् और प् के आगे कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर अथवा य्, र, ल्, व् में से कोई वर्ण

हो तो क् को ग्, च् को ज्, ट् को ड् और प् को ब् हो जाता है; जैसे—वाक् + ईश = वागीश, वाक् + दान = वाग्दान, षट् + दर्शन = षड्दर्शन, अप् + ज = अब्ज ।

(ख) किसी वर्ग के पहले या तीसरे वर्ण से परे यदि किसी वर्ग का पाँचवाँ अक्षर हो तो वर्ग के पहले और तीसरे अक्षर के स्थान में उसी वर्ग का पाँचवाँ अक्षर हो जाता है; जैसे—वाक्+मय=वाङ्मय, षट्+मास=षण्मास, जगत्+नाथ=जगन्नाथ ।

(ग) त् के आगे कोई स्वर, ग्, घ्, द्, ध्, ब्, भ्, अथवा य्, र्, व् में से कोई अक्षर हो तो त् को द् हो जाता है; जैसे—सत् + आनन्द = सदानन्द, जगत् + ईश = जगदीश, भगवत् + भक्ति=भगवद्भक्ति, तत् + रूप = तद्रूप ।

(घ) त् वा द् को च् या छ् पर होने पर च्, ज् या झ् परे होने पर ज्, ट् या ठ् परे होने पर ट्, ड् या ढ् पर होने पर ड् और ल् परे होने पर ल् हो जाता है; जैसे—उत् चारण = उच्चारण, उत् +छेद = उच्छेद, सत् +जन = सज्जन, विपद् + जाल = विपज्जाल, वृहत् +टीका = वृहट्टीका, उत् +डयन = उड्डयन, तत् + लीन = तल्लीन ।

(ङ) त् या द् के बाद श् हो तो त् या द् को च् और श् को छ् हो जाता है और अगर ह् परे हो तो त् को द् और ह् को ध् हो जाता है; जैसे—सत् +शास्त्र = सच्छास्त्र, उत् + हार = उद्धार ।

(च) छ के पूर्व स्वर हो तो छ् के पूर्व च् का आगम होता है; जैसे—वि+छेद = विच्छेद ।

(छ) म् के बाद यदि क् से म् तक का कोई व्यंजन हो तो म् को अनुस्वार अथवा बाद के वर्ण के वर्ग का पाँचवाँ वर्ण हो जाता है और यदि कोई अन्य व्यंजन हो तो अनुस्वार हो जाता है; जैसे--सम्+कल्प=संकल्प या सङ्कल्प, किम्+चित्=किंचित् या किञ्चित्, सम्+तोष=संतोष या सन्तोष, सम्+पूर्ण=संपूर्ण या सम्पूर्ण, सम्+वत=संवत्, सम्+शय=संशय पर सम्+राट्=सम्राट् ही बनता है।

(ज) ऋ, र् या ष् के बाद यदि न् हो उसे ण् हो जाता है चाहे इनके बीच में कोई स्वर;कवर्ग या पवर्ग का कोई वर्ण अथवा य् व् में से कोई वर्ण भी हो। जसे--भूष्+अन=भूषण, प्र+मान=प्रमाण, ऋ+न=ऋण, राम+अयन=रामायण।

(झ) यदि किसी शब्द के आद्य स् के पूर्व अ, आ को छोड़ कर कोई और स्वर आवे तो स् को ष् हो जाता है; जैसे—अभि+सेक=अभिषेक, वि+सम=विषम।

(ञ) यौगिक शब्दों में यदि पहला शब्द नकारान्त हो तो उस के न् का लोप हो जाता है; जैसे—राजन्+आज्ञा=राजाज्ञा।

(ट) ह्रस्व के बाद र् से परे यदि र हो तो पहले र् का लोप हो जाता है, और उससे पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है; जैसे—निर्+रोग=नीरोग, निर्+रस=नीरस।

३. विसर्ग सन्धि

विसर्ग के बाद स्वर या व्यञ्जन के आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग सन्धि कहते हैं। विसर्ग सन्धि के मुख्य मुख्य नियम नीचे दिये जाते हैं।

(क) विसर्ग के आगे च् या छ् हो तो विसर्ग को श्, ट् या ठ् हो तो ष् और त्, थ् हो तो स् हो जाता है। जैसे—निः+चल= निश्चल, दुः+तर = दुस्तर, धनुः+टंकार = धनुष्टंकार।

निः दुः और बहिः के विसर्ग को क्, प् या फ् पर होने पर ष हो जाता है, जैसे —बहिः+कार=बहिष्कार, निः+कलङ्क= निष्कलङ्क, निः+पाप=निष्पाप, निः+फल=निष्फल, दुः+कर= दुष्कर।

(ख) विसर्ग के परे श्, ष् या स् हो तो विकल्प से विसर्ग को परे का वर्ण होता है; जैसे—दुः+शासन=दुश्शासन या दुःशासन, निः+सन्देह=निःसन्देह या निस्सन्देह।

(ग) यदि विसर्ग के पहले अ और पीछे अ या वर्ग का तीसरा, चौथा या पाँचवाँ अक्षर अथवा य् र् ल् व् ह् में से कोई अक्षर हो तो पहले 'अ' और विसर्ग के स्थान में 'ओ' हो जाता है और पिछले 'अ' का लोप हो जाता है। जैसे— मनः+अभिराम=मनोभिराम, अधः+गति=अधोगति, तेजः+ राशि=तेजोराशि, मनः+हर=मनोहर।

(घ) यदि विसर्ग के पहले 'अ' और 'आ' को छोड़ और कोई स्वर हो और पीछे कोई स्वर, वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवाँ अक्षर अथवा य्, व्, र, ल्, ह् में से कोई अक्षर हो तो विसर्ग को र् हो जाता है; जैसे—निः+आशा=निराशा, दुः+उपयोग= दुरुपयोग, निः+गुण=निर्गुण, बहिः+मुख=बहिर्मुख।

(ङ) यदि अकार के आगे विसर्ग हो और उसके आगे 'अ'

को छोड़कर कोई और स्वर हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे—अतः+एव=अतएव।

कुछ अनियमित सन्धियाँ—नमः+कार=नमस्कार, तेजः+पुँज=तेजोपुंज, पुरः+कार=पुरस्कार।

अभ्यास

१. सन्धि किसे कहते हैं, और कितने प्रकार की होती है?

२. निम्नलिखित शब्दों में सन्धिच्छेद करो—

अन्वित, दुष्प्राय, उज्ज्वल, दिगम्बर, सच्चिदानन्द, यशोभिलाषी संचय, सद्धर्म, शरच्चन्द्र, विद्यालय, निर्बल, नीरव, उदयाचल, निश्चिन्त रवीन्द्र, राजर्षि, विद्यार्थी, उन्मत्त, परमात्मा, भारतेन्दु, स्वेच्छा, अत्यावश्यक, तृष्णा; वयोवृद्ध।

३. निम्नलिखित में सन्धि करो—

शिव+आलय, पितृ+अनुमति, सत्+गति, अतः+एव सत्+चरित्र, उत्+लास, बहिः+मुख, यशः+दा, मनु+अन्तर, दिक्+विजय, उत्+शिष्ठ, मनः+हर, तत्+हित, तत्+मय, सु+सुप्ति, स्व+छन्द, महा+ईश्वर, हरि+इच्छा, रीति+अनुसार, वधू+आगमन, सत+शास्त्र।

पन्द्रहवाँ अध्याय

तत्सम और तद्भव शब्द

हिन्दी भाषा में जैसा पहले लिखा जा चुका है तीन प्रकार के शब्द हैं। (१) तत्सम—जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों हिन्दी में प्रयुक्त होते, हैं जैसे—लक्ष्मी, रूप, सुन्दर; (२) तद्भव जो संस्कृत शब्दों के बिगड़े हुए रूप हैं, जैसे—अनाड़ी (अनार्य) ऊँट (उष्ट्र), खार (क्षार); (३) विदेशी शब्द अर्थात् अरबी फारसी आदि भाषाओं के शब्द, जैसे—स्कूल, स्टेशन। यहाँ कुछ तद्भव शब्दों की सूची दी जाती है।

अपभ्रंश	शुद्ध संस्कृत	अपभ्रंश	शुद्ध संस्कृत
अजान	अज्ञ	आज	अद्य
अंधा	अंध	आधा	अर्ध
अपजस	अपयश	आस	आशा
अच्छत	अक्षत	आसरा	आश्रय
आग	अग्नि	आम	आम्र
आँसू	अश्रु	तिय, तिरिया	स्त्री
उल्लू	उलूक		
उछाह	उत्साह	थल	स्थल
आठ	अष्ट	थन	स्तन

अपभ्रंश	शुद्ध संस्कृत	अपभ्रंश	शुद्ध संस्कृत
किवाड़	कपाट	दही	दधि
कुल्हाड़ी	कुठार	दीया	दीपक
कुआँ	कूप	धुआँ	धूम्र
काठ	काष्ठ	नून	लवण
कहन	कथन	पत्ता, पात	पत्र
दूध	दुग्ध	पाती	पत्री
गदहा	गर्दभ	पत्थर	प्रस्तर
गाभिन या ग्यावन	गर्भिणी	पूरा	पूर्ण
		पूत	पुत्र
घर	गृह	पिय, पिया	प्रिय
घी	घृत	बहू	वधू
चाँद	चन्द्र	बहिन	भगिनी
चून, चूरन	चूर्ण	ब्याह	विवाह
छोह	क्षोभ	भाई	भ्राता
जस	यश	माथा	मस्तक
जीभ	जिह्वा	मूरत	मूर्ति
जेठा	ज्येष्ठ	रूखा	रूक्ष
तुरन्त	त्वरित	रिस	रोष
साँवला	श्यामल	सौ	शत
सेत	सित, श्वेत	सौत	सपत्नी
सेज	शय्या	सीख	शिक्षा
सुहाग	सौभाग्य	सहालग	शुभलग्न

अपभ्रंश	शुद्ध संस्कृत	अपभ्रंश	शुद्ध संस्कृत
साईं	स्वामी	हाथ	हस्त
सच	सत्य	हिय	हृदय
सपना	स्वप्न		

तुलसीकृत रामायण में निम्न शब्द मिलते हैं जो प्रायः आधुनिक हिन्दी में प्रयुक्त नहीं होते:—

भुअन (भुवन), भेउ (भेद), नाऊँ (नाम), समउ (समय), जोति (ज्योति), लोयन (लोचन), सींव (सीमा), सुतंत्र (स्वतंत्र) दह (दस), अपछरा (अप्सरा), सचिउ (सचिव), पसु (पशु), षेम (क्षेम), धरम (धर्म), जनम (जन्म), नाह (नाथ), जूहा (यूथ), दोह (द्रोह), सामुहें (सम्मुख), नेह, (स्नेह) थिर (स्थिर) ।

तीसरा खण्ड

वाक्य-विचार

(Syntax)

पहला अध्याय

क्रम और मेल

वाक्य में शब्द किसी न किसी क्रम से प्रयुक्त होते हैं। वाक्य को बनानेवाले शब्दों का एक दूसरे से लिङ्ग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के कारण सम्बन्ध रहता है तथा कोई शब्द किसी विभक्ति में और कोई किसी विभक्ति में प्रयुक्त होता है; अतः वाक्यविचार में शब्दों के क्रम (order), शब्दों के मेल (concord) तथा वाक्य-विग्रह (analysis) आदि का वर्णन होगा।

क्रम

वाक्य में शब्द अपने अर्थ और सम्बन्ध के अनुसार यथास्थान रखे जाने पर विवक्षित वाक्यार्थ को ठीक ठीक बताते हैं। इस प्रकार वाक्य में शब्दों के यथास्थान रखने को क्रम कहते हैं।

क्रम के कुछ नियम आगे दिये जाते हैं।

(क) साधारणतः वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म या पूरक और अन्त में क्रिया रखी जाती है। जैसे—मेरा भाई खाना खाता है; वह दूत है। जहाँ दो कर्म हों वहाँ गौण कर्म पहले और प्रधान कर्म पीछे रखा जाता है; जैसे—उसने मोहन को वह बात सुझा दी।

इनके अतिरिक्त विशेषण तथा दूसरे कारकों में आनेवाले शब्द उन शब्दों से जिनके साथ उनका सम्बन्ध होता है पहले रखे जाते हैं; जैसे—वीर पुरुष अपने देश की सेवा को अपना कर्तव्य समझते हैं। क्रियाविशेषण क्रिया से बहुधा पूर्व आते हैं; जैसे—वह वहाँ भाग गया।

(ख) करण, सम्प्रदान, अपादान, और अधिकरण ये चार कारक प्रायः कर्ता और कर्म के बीच में आते हैं। इनमें भी पहले अधिकरण, फिर अपादान तत्पश्चात् संप्रदान और अन्त में करण कारक आता है। यदि अधिकरण एक से अधिक हों, तो पहले कालवाची अधिकरण रखा जाता है; जैसे—वह दिन में घर (घर में) रहता है।

(ग) सम्बोधन प्रायः वाक्य के आदि में आता है। जैसे—भाई! क्या कर रहे हो?

(घ) विधेय विशेषण, उपाधि (degree) आदि सूचक विशेषण तथा समानाधिकरण शब्द विशेष्य के बाद आते हैं परन्तु पदवी (title) सूचक शब्द विशेष्य के पहले ही आते हैं और विभक्ति पीछे आनेवाले शब्द के साथ लगती है। आपकी कलम उत्तम है। शिवदत्तजी **शास्त्री** प्रकाण्ड पण्डित हैं। **सर** आशुतोष।

(ङ) प्रश्नवाचक शब्द उसी के पहले रक्खा जाता है जिसके विषय में मुख्यतया प्रश्न किया जाय। प्रश्नवाचक शब्द के इधर-उधर होने से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। जैसे—"मनोहर क्या पढ़ रहा है ?" (अर्थात् कौनसी पुस्तक पढ़ रहा है) और "क्या मनोहर पढ़ रहा है" ? (पढ़ रहा है या नहीं) इन दोनों वाक्यों का अर्थ "क्या" के स्थान-परिवर्त्तन के कारण भिन्न भिन्न हो गया है।

(च) भी, ही, तो, भर, तक इत्यादि शब्द उन्हीं के पीछे और केवल, सिर्फ आदि शब्द उन्हीं के पहले आते हैं जिनके बारे में ये निश्चय प्रकट करते हैं या जिनकी विशेषता दिखाते हैं। इनके इधर-उधर होने से भी वाक्य के अर्थ में अन्तर पड़ जाता है। जैसे—मैं भी पढ़ रहा हूँ (कोई और पढ़ रहा है साथ में भी पढ़ रहा हूँ),मैं पढ़ भी रहा हूँ (साथ-साथ और काम भी कर रहा हूँ)। आज मैं ही बाजा बजाऊँगा (और कोई नहीं), आज मैं बाजा ही बजाऊँगा (और कुछ नहीं बजाऊँगा), आज ही मैं बाजा बजाऊँगा (फिर कभी नहीं)। आज केवल मैं स्कूल गया था (और कोई नहीं) आज मैं केवल स्कूल गया था (और कहीं नहीं)।

(छ) जब, तब, जहाँ, तहाँ आदि सम्बन्धवाचक क्रिया-विशेषण बहुधा वाक्य के आरम्भ में आते हैं जैसे--जब मैं गया तब वे कुछ लिख रहे थे।

(ज) पूर्वकालिक क्रिया अपने कर्मादि सहित मुख्य क्रिया के पहले आती है; जैसे--मैं डाक देखकर यहाँ से चलूँगा।

(झ) सम्बन्ध बोधक अव्यय जिस संज्ञा या सर्वनाम से

सम्बन्ध रखते हैं उसके बाद आते हैं। योजक अव्यय जिनको जोड़ते हैं उनके बीच में आते हैं, द्योतक अव्यय प्रायः वाक्य के आदि में आते हैं। जैसे--आय के अनुसार व्यय करो। तुम और हम मित्र हैं। हा ! यह हो क्या गया !

ऊपर क्रम के कुछ एक नियम लिखे गये हैं। परन्तु अवधारण के लिये अथवा किसी शब्द की प्रधानता जतलाने के लिए इन नियमों का व्यतिक्रम हो जाता है। जैसे—पिटना था मुझ पर पिट गया वह (कर्ता के पहले क्रिया), विद्वानों की संगति में रहकर मूर्ख भी विद्वान् हो जाते हैं (कर्ता से पहले पूर्वकालिक); गीत तो मैंने सुना ही नहीं; परसों वह गया; चतुर तो वह है ही, दृढ़ होना चाहिये तुम्हें अपने धर्म में; इत्यादि।

कविता में आवश्यकतानुसार प्रायः सभी पदों का स्थान परिवर्तन किया जाता है। जैसे—'आज करते हैं विजय की कामना सब वीरवर'।

अन्वय या मेल

वाक्य के पदों का दूसरे से लिङ्ग, वचन, पुरुष, काल आदि के अनुसार जो सम्बन्ध रहता है उसे 'अन्वय' या 'मेल' कहते हैं। वाक्य में कर्त्ता या कर्म के साथ क्रिया का, संज्ञा के साथ सर्वनाम का, सम्बन्धी के साथ सम्बन्ध का और विशेष्य के साथ विशेषण का मेल रहता है। मेल सम्बन्धी अनेक नियम प्रसङ्गवश लिङ्ग, क्रिया आदि प्रकरणों में कहे जा चुके हैं अब कुछ और नियम यहाँ लिखे जाते हैं—

क्रिया का कर्ता या कर्म से मेल

(क) जहाँ कर्ता विभक्तिरहित हो वहाँ क्रिया का मेल कर्ता के साथ होता है अर्थात् क्रिया के पुरुष, लिङ्ग और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। जहाँ कर्ता विभक्तिसहित और कर्म विभक्ति-रहित हो वहाँ क्रिया के पुरुष, लिङ्ग और वचन कर्म के अनुसार होते हैं और जहाँ कर्ता और कर्म दोनों विभक्तिसहित हों वहाँ क्रिया सदा अन्यपुरुष पुँल्लिङ्ग एकवचन में होती है। जब क्रिया का कर्म न हो सके (जैसे भाव वाच्य में) या कर्म लुप्त हो तो सविभक्तिक कर्त्ता की क्रिया एकवचन, पुँल्लिङ्ग प्रथम पुरुष में आती है। जैसे—मैं **बैठता हूँ**, वे **बैठती हैं**। मैंने अमरूद **खाया**, नाशपातियाँ **खाईं**। राजा ने मन्त्री को **बुलाया**। इतनी रात गये भी मुझसे सोया नहीं जाता था। मैंने देखा था।

(ख) यदि वाक्य में विभक्तिरहित कर्ता हों तो एक वचन में, पर हों एक से अधिक, और वे परस्पर "और" या इसी तरह के किसी अन्य योजक द्वारा जुड़े हुए हों तो क्रिया बहुवचन में होगी। जैसे—राम और श्याम खेलते हैं।

(ग) विभक्तिरहित अनेक कर्ताओं से यदि एक ही वचन का अर्थ निकले तो कई कर्त्ता होने पर भी क्रिया एकवचन में ही आती है। जैसे—आपको देखकर मेरा उत्साह, धैर्य और आनन्द दुगना हो गया।

(घ) आदर प्रकाशित करने के लिए एकवचन कर्ता के साथ भी बहुवचन की क्रिया लगाई जाती है। जैसे—महाराज कहने लगे; डाक्टर साहब आज आनेवाले हैं।

(ङ) यदि विभक्तिरहित बहुवचन कर्ता भिन्न भिन्न लिंगों के हों तो क्रिया होगी तो बहुवचन में पर उसका लिंग अन्तिम कर्ता के अनुसार होगा। जैसे--- प्रतिवर्ष हज़ारों स्त्रियाँ और पुरुष गंगा-स्नान को **जाते हैं** या हज़ारों पुरुष और स्त्रियाँ गंगा स्नान को **जाती हैं**।

(च) पर यदि भिन्न भिन्न लिङ्गों के कर्ता एकवचन में हों तो क्रिया प्रायः पुँल्लिङ्ग और बहुवचन में होती है। जैसे-- जब मैं वहाँ पहुँचा तो राम और शकुन्तला **खेल रहे थे**। इस राज्य में बाघ और बकरी एक घाट **पानी पीते हैं**

(छ) यदि भिन्न भिन्न लिङ्गों के विभक्ति रहित कर्ता भिन्न भिन्न वचनों में हो तो क्रिया बहुवचन में होगी और उसका लिङ्ग अन्तिम कर्ता के अनुसार होगा। जैसे—वहाँ एक बैल दो गौएँ और बहुत से घोड़े चर रहे थे। वहाँ एक बैल दो घोड़े और बहुत-सी गौएँ **चर रही हैं**। ऐसे स्थानों में प्रायः पुँल्लिङ्ग और बहुवचन कर्ता अन्त में रहता है।

यदि पिछला कर्ता एकवचन में हो तो क्रिया एकवचन और बहुवचन दोनों में आसकती है। जैसे—दो गौएँ,तीन घोड़े और एक बैल वहाँ **चर रहा था** (चर रहे थे)।

(ज) यदि वाक्य में विभक्तिरहित अनेक कर्ता हों और उनके बीच में 'या' आदि विभाजक शब्द हों तो क्रिया का लिङ्ग और वचन अन्तिम कर्ता के अनुसार होता है। जैसे—राम की गौएँ या मोहन का घोड़ा **बिकेगा**। मोहन का घोड़ा या राम की गौएँ **बिकेंगी**।

२०/५

(झ) यदि एक ही वाक्य में भिन्न भिन्न पुरुषों के विभक्ति रहित कर्ता हों तो क्रिया ऊँचे पुरुष के अनुसार होती है। उत्तम पुरुष को सब से ऊँचा समझना चाहिए, मध्यम को दूसरे स्थान पर और अन्य पुरुष को तीसरे स्थान पर। जैसे—हम और तुम **पढ़ेंगे** या तुम और हम **पढ़ेंगे**। हम और वे **खेलेंगे**। तुम और वे **खेलोगे**। हम तुम और वे **खेलेंगे** या तुम हम और वे **खेलेंगे**।

(ञ) ऊपर लिखा जा चुका है कि जहाँ कर्ता सविभक्तिक हो और कर्म निर्विभक्तिक वहाँ क्रिया कर्म के अनुसार होगी। या कर्म एक से अधिक हों तो जो कर्म निर्विभक्तिक होगा क्रिया उसी के अनुसार होगी जैसे—मोहन ने गरीब को **पैसा दिया**। मोहन ने गरीब को **पैसे दिये**।

(ट) जिसके लिङ्ग में सन्देह हो ऐसे कर्ता और कर्म के साथ क्रिया पुँल्लिङ्ग में आती हैं। जैसे—आज कौन आया था ? वहाँ कुछ देखा था ?

(ठ) कुछ शब्दों का केवल बहुवचन में ही प्रयोग होता है। अतः उनके साथ क्रिया भी बहुवचन में ही आएगी। जैसे—राम के वियोग में महाराज दशरथ के प्राण निकल गये। पुत्र को देखते ही उसके आँसू निकल पड़े।

संज्ञा और सर्वनाम का मेल

(क) सर्वनाम के लिङ्ग और वचन वही होते हैं जो संज्ञा के, जिस के बदले वह प्रयुक्त होता है। जैसे—जो कन्या चारों विषयों में पास हुई है वह ही जमात में चढ़ाई गई है। सवित्री बोली, मैं तो

कहीं की न रही। सुरेश कह गया है कि आज वह आवेगा। यदि कोई स्त्री अपने परिवार के पुरुषों और स्त्रियों दोनों की प्रतिनिधि होकर बोले तो सर्वनाम पुँल्लिङ्ग में होगा। जैसे—शकुन्तला कहने लगी, आप लोग धनी ही सही पर हम आप के पास भीख माँगने तो नहीं आए जो ऐसी बात सुना रहे हैं।

(ख) एक ही संज्ञा के बदले तू और तुम, मैं और हम, आप और तुम अथवा श्रीमान् और आप का प्रयोग नहीं करना चाहिए किन्तु एक प्रसंङ्ग में जिस शब्द का पहले प्रयोग किया हो उसी का प्रयोग बाद में भी करना चाहिए। जैसे--'तुम नहीं आए तो इस में तेरा ही दोष है' ग़लत है इसके स्थान में 'तुम नहीं आए तो इस में तुम्हारा ही दोष है' होना चाहिए।

सम्बन्ध और सम्बन्धी का मेल

(क) सम्बन्ध कारक के विभक्ति चिह्न में वही लिङ्ग और वचन होते हैं जो सम्बन्धी शब्द के होते हैं। जैसे—सेठ जी **का** घोड़ा, सेठजी **की** बहली, सेठ जी **के** लड़के, सेठजी **की** कन्यायें।

(ख) जब सम्बन्धी पद पुँल्लिङ्ग हो और उसके आगे कोई विभक्ति हो तो उसके एकवचन में होने पर भी सम्बन्ध कारक में 'का' और 'रा' की जगह 'के' और 'रे' चिह्न लगता है। जैसे--सोहन के धन का उपयोग करना अनुचित है। तुम्हारे दान का रुपया सुरक्षित है।

(ग) जब अनेक सम्बन्धी होते हैं तब सम्बन्धी का चिह्न पहले सम्बन्धी के अनुसार होता है। जैसे--उसका धन और स्त्री सभी नष्ट हो गये।

विशेष्य और विशेषण का मेल

(क) विशेषण के लिङ्ग, वचन और कारक विशेष्य के अनुसार होते हैं। लिङ्ग, वचन आदि के कारण विशेषणों में कहाँ रूपान्तर होता है और कहाँ नहीं यह विशेषणों के अध्याय में बताया जा चुका है।

(ख) विभक्ति सहित स्त्रीलिङ्ग कर्मकारक का विधेय विशेषण प्रायः पुँल्लिङ्ग में होता है; जैसे—दीवार को किसने पीला किया है।

(ग) एक विशेषण के कई विशेष्य हों तो विशेषण के, लिङ्ग, वचन उसी विशेष्य के अनुसार होते हैं जो समीप हो। जैसे—नये पलँग और दरियाँ, नई बत्तियाँ और लैंप।

दूसरा अध्याय

प्रयोग—मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ

प्रत्येक भाषा में बहुत बार ऐसा होता है कि कई पद विशेष पदों के साथ प्रयुक्त होते हैं अथवा विलक्षण अर्थ को प्रगट करते हैं, इसे प्रयोग कहते हैं। ये प्रयोग साहित्य को बार-बार पढ़ने से जाने जाते हैं। इस सम्बन्ध में कोई विशेष नियम नहीं लिखे जा सकते; जैसे—मैं तो **एक-दो** को ही जानता हूँ। 'तीन-चार' का इस अर्थ में प्रयोग नहीं होता। 'वह विद्या में बृहस्पति है' इस अर्थ में विद्या में 'इन्द्र' ऐसा प्रयोग नहीं होता। 'चुगली खाना' कहा जाता है 'चुगली पीना' नहीं कहा जाता।

जब कोई वाक्य वा वाक्यांश पदों के साधारण अर्थ को प्रकट न करके किसी विलक्षण अर्थ में प्रयुक्त हो तो उसे वाग्धारा अथवा मुहावरा कहते हैं। जैसे—वह भड़कीली वस्तु देखकर **लट्टू हो गया** अर्थात् रीझ गया; हरिसिंह ने पठानों के **दाँत खट्टे कर दिये** अर्थात् उन्हें पराजित कर दिया। इन मुहावरों के प्रयोग से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। इनकी रचना का कोई विशेष नियम नहीं है, धुरंधर लेखकों के लेख पढ़ने से इनका ज्ञान हो सकता है। कुछ प्रसिद्ध मुहावरे तथा उनके अर्थ आगे दिये जाते हैं—

अंग अंग मुस्कराना—बहुत ही प्रसन्न होना।

अंगार उगलना—गुस्से में कठोर वचन कह डालना।

अँगूठा दिखाना—किसी चीज़ के देने से तिरस्कार के साथ इनकार करना।

अंधे की लकड़ी—एक मात्र आधार।

अँधेरे घर का उजाला—इकलौता बेटा।

अक्ल के घोड़े दौड़ाना—युक्तियाँ सोचना।

अक्ल के पीछे लट्ठ लिये फिरना—समझाने पर भी उलटा काम करना।

अक्ल चरने जाना
अक्ल पर पत्थर पड़ना } समझ न आना।

अपना उल्लू सीधा करना—स्वार्थ सिद्ध करना।

अपना-सा मुँह लेकर रह जाना—असफलता से लज्जित होना।

अपनी खिचड़ी अलग पकाना—सब से अलग रहना।

अपने पाओं पर आप कुल्हाड़ा मारना—स्वयं अपना नुकसान करना।

अपने मुँह मियाँमिट्ठू बनना—अपनी प्रशंसा आप करना।

आँख उठाना—बुरी नीयत से देखना।

आँख खुलना—होश आना।

आँखें चार होना—आँख से आँख मिलाना।

आँखें दिखाना—क्रोध से घूरना।

आँखें नीली पीली करना—नाराज़ होना।

आँखें फेर लेना—प्रतिकूल होजाना।

आँखों में धूल झोंकना—धोखा देना।

आँच न आने देना—कष्ट न होने देना।

आँसू पोछना—दिलासा देना ।

आकाश-पाताल का अन्तर—बहुत अधिक भेद ।

आकाश से बातें करना—बहुत ऊँचा होना ।

आग में घी डालना—क्रोध को बढ़ाना ।

आटा गीला होना—कठिनाई में पड़ना ।

आटे-दाल का भाव मालूम होना—कष्ट का अनुभव होना ।

आड़े हाथों लेना—खरी-खोटी सुनाना ।

आपे से बाहर होना—क्रोध के आवेश में सुध खो बैठना ।

आसमान पर चढ़ाना—अत्यधिक प्रशंसा करना ।

आसमान सिर पर उठाना—अधिक कोलाहल करना ।

इने गिने—थोड़े से ।

ईंट से ईंट बजाना—विध्वंस करना ।

ईद का चाँद होना—चिरकाल पीछे दर्शन देना ।

उँगली पर नचाना—वश में रखना ।

उधार खाए बैठना—ताक में रहना ।

उधेड़ बुन—सोच-विचार ।

उलटी गंगा बहाना—विपरीत बात करना ।

कमर टूटना—निराश हो जाना ।

कलेजे पर साँप लोटना—ईर्ष्या से या दुख से दिल जलना ।

कलेजा मुँह को आना—जी घबराना ।

काग़ज़ी घोड़े दौड़ाना—बातें ही बनाना काम न करना ।

कान कतरना—बढ़कर काम करना ।

कान खुलना—होश आना ।

कान देना—ध्यान देकर सुनना।

कान पकड़ना—किसी बुरे काम को फिर न करने या व्रत लेना।

कान भरना—चुग़ली करना।

कान पर जूँ न रेंगना—बराबर कहने पर भी ध्यान न देना।

काम आना—युद्ध में मारा जाना।

काला नाग—अत्यन्त कुटिल या खोटा आदमी।

किताब का कीड़ा होना—अधिक पढ़ते रहना।

किस मर्ज़ की दवा—किस काम के लिए।

किस मुह से—किस बल पर।

क़िस्सा ख़तम होना—झगड़ा निपट जाना।

कुँआ खोदना—हानि पहुँचाने का यत्न करना।

कुत्ते की मौत मरना—बहुत बुरी तरह से मरना।

कोई दम का मेहमान—मरने के करीब होना।

कोरा जवाब—साफ़ इनकार।

कोल्हू का बैल—दिन रात काम करनेवाला, अत्यन्त परिश्रमी।

खटाई में पड़ना—झमेले में डालना, कुछ निश्चित न करना।

ख़ाक छानना—भटकना।

खालाजी का खर—आसान काम।

खिचड़ी पकाना—गुप्त रूप से कोई षड्यन्त्र करना।

ख्याली पुलाव पकाना—मनमानी कल्पनाएँ करना।

गड़े मुर्दे उखाड़ना—पुरानी बात ले बैठना।

गरदन उठाना—विरोध करना।

गरदन पर सवार होना—पीछा न छोड़ना।

गला घोंटना—ज़बरदस्ती करना ।

गले का हार—अति प्रिय, जो कभी जुदा न किया जा सके ।

गाँठ का पूरा—मालदार ।

गाँठ में बाँधना—अच्छी तरह याद रखना ।

गाल बजाना—डींग मारना ।

गिन-गिनकर—धीरे से या कष्ट से ।

गीदड़ भभकी—खाली धमकी ।

गुड़ गोबर कर देना—काम बिगाड़ देना ।

गुरु घंटाल—बड़ा चालाक ।

घड़ों पानी पड़ जाना—अत्यन्त लज्जित होना ।

घर का रास्ता लेना—चले जाना ।

घर तक पहुँचाना—समाप्ति तक पहुँचाना ।

घर बैठे—बिना परिश्रम किये ।

घर में गंगा—बिना दौड़-धूप के किसी वस्तु की प्राप्ति ।

घाट घाट का पानी पीना—जहाँ-तहाँ से अनुवभ प्राप्त करना ।

घाव पर नमक छिड़कना—दुखी को दुर्वचनों द्वारा और दुख देना ।

घास खोदना—व्यर्थ समय गँवाना ।

घी के दीए जलाना—मौज करना ।

घोड़े बेचकर सोना—निश्चिन्त होकर सोना ।

चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाना—होते हुए काम में विघ्न डालना ।

चाँद पर थूकना—किसी की व्यर्थ निन्दा करना और फलतः स्वयं निन्दित होना ।

चादर से बाहर पैर पसारना—आय से अधिक व्यय करना ।

चार दिन की चाँदनी—थोड़े दिन का सुख।

चार पैसे—कुछ धन।

चिऊँटे को पर लगना—मृत्यु समीप आना।

चिकना घड़ा—वह आदमी जिस पर उपदेश का असर न हो।

चुटकियों में—अतिशीघ्र।

चुल्लू-भर पानी में डूब मरना—लज्जा के मारे मुँह न दिखाना।

चूँ न करना—विरोध में कुछ न कहना।

चूड़ियाँ पहनना—औरत बनना।

चेहरा उतरना—उदास हो जाना।

चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना—भयभीत होना।

चोली दामन का साथ—निरन्तर साथ रहना, अत्यधिक घनिष्ठता।

चौका लगाना—नष्ट कर देना।

छटा हुआ—बदमाश।

छक्के छूटना—हिम्मत हारना।

छटी का दूध याद आना—सब सुख भूल जाना, भारी संकट पड़ना।

छप्पर फाड़कर देना—बिना परिश्रम के देना।

छाती पर मूँग दलना—किसी के सामने दुख देनेवाली बात करना।

छाती पर साँप लोटना—ईर्ष्या का होना।

ज़बान में लगाम न होना—अंड-बंड कह डालना।

ज़मीन पर पैर न पड़ना—बहुत अभिमान होना।

जल भुन कर कोयला होना—क्रोध में पागल हो जाना।

ज़हर का घूँट पीना—किसी अनुचित बात को देखकर अन्दर ही अन्दर क्रोध ज़ब्त कर लेना।

जान के लाले पड़ना—संकट में पड़ना।

जान पर खेलना—खुशी से प्राण देना।

जीती मक्खी निगलना—सरासर बेईमानी करना।

जूत पड़ना—नुकसान होना।

जूती चाटना—चापलूसी करना।

टका-सा जवाब देना—साफ़ इनकार कर देना।

टक्कर का—मुकाबले का।

टट्टी की आड़ में शिकार खेलना—गुप्त रीति से किसी के विरुद्ध काम करना।

टस से मस न होना—ज़रा भी न हिलना।

टाँग अड़ाना—फ़िजूल दखल देना, बाधा डालना।

टाँय टाँय फिस—आयोजना तो बहुत पर फल तुच्छ।

टेढ़ी खीर—कठिन काम।

टोपी उछालना—निरादर करना।

ठन-ठन गोपाल—छूछा, कुछ भी नहीं।

ठोकना बजाना—परीक्षा करना।

ठोकरें खाना—भूल करना।

डंका बजना—शासन होना।

डंडे बजाते फिरना—निकम्मे फिरना।

डूबती नाव को पार लगाना—संकट से छुड़ाना।

डूबते को तिनके का सहारा—निस्सहाय मनुष्य को थोड़ी सी सहायता।

डेढ़ ईंट की जुदा मसजिद बनाना—पृथक मत चलाना।

तिनका सिर पर रखना—विनती करना।

तिल का ताड़ करना—बात बढ़ाना।

तिल धरने की जगह न होना—बहुत अधिक भीड़ होना।

तीन तेरह करना—तितर-बितर करना।

तू-तू मैं-मैं—गाली गलौज, लड़ाई-झगड़ा।

तेवर बदलना—अप्रसन्न हो जाना।

तोते की तरह आँखें फेरना—बहुत बेमुरब्बत होना।

थाली का बैंगन—कभी इस पक्ष में कभी उस पक्ष में।

थूकना भी नहीं—अत्यन्त घृणा करना।

थूक कर चाटना—वचन देकर फिर जाना।

दम भरना—भरोसा करना।

दम मारने की फुरसत न होना—ज़रा भी समय न होना।

दाँत खट्टे करना—पराजित करना।

दाँतों तले उँगली दबाना—आश्चर्य प्रगट करना।

दाँत निकालना—व्यर्थ हँसना।

दाई से पेट छिपाना—जाननेवाले से कोई बात छिपाना।

दाना-पानी—जीविका।

दाल में कुछ काला होना—कुछ खटके या संदेह की बात होना।

दाल न गलना—वश न चलना।

दाहिना हाथ—बड़ा भारी सहायक

दिन दूना रात चौगुना होना—खूब उन्नति होना।

दिन फिरना—विधि का विपरीत होना।

दिल मिलना—एक दूसरे के अनुकूल होना।

दीन-दुनियाँ भूल जाना—बिलकुल बेखबर हो जाना।

दुटूक बात--थोड़े ही में कही साफ़ साफ़ बात।

दुनियाँ की हवा लगना--जगद् व्यवहार का परिचय होना।

दुम दबा कर भागना--डर के मारे भागना।

दूध का दूध और पानी का पानी करना—ठीक-ठीक न्याय करना।

दूध के दाँत न टूटना--ज्ञान और अनुभव न होना।

दो कौड़ी का आदमी--तुच्छ आदमी।

दो नावों पर पैर रखना—दो विरोधी पक्षों का आश्रय लेना।

धज्जियाँ उड़ाना—दोष निकालना।

धता बताना—चलता करना।

धूप में बाल सफ़ेद करना—बिना अनुभव प्राप्त किये आयु बिता देना।

धोखे की टट्टी—भ्रम में डालनेवाली चीज़।

धोती ढीली करना—डर जाना।

न इधर का रहना न उधर का—किसी काम का न रहना।

नज़र लगना--बुरी दृष्टि का प्रभाव होना।

न तीन में न तेरह में—किसी गिनती में नहीं।

नमक-मिरच लगाना—बात को बढ़ा कर कहना।

नाक कटना--बदनामी होना।

नाक चढ़ाना--घृणा करना।

नादिरशाही--सख्त अत्याचार।

नाक पर मक्खी न बैठने देना—किसी का एहसान न उठाना।

नाक में दम करना—बहुत तंग करना।

नाक रख लेना--इज्ज़त बचा लेना।

नाक रगड़ना—दीनता से प्रार्थना करना।

नाकों चने चबाना—खूब तंग करना ।

नाच नचाना—मनचाहा करा लेना ।

नानी याद आना—होश ठिकाने हो जाना ।

नाम को भी नहीं—जरा-सा भी नहीं ।

नाम न लेना—दूर रहना, बचना ।

निन्यानवे के फेर में पड़ना—रुपया जोड़ने की चिन्ता में पड़ना ।

नीचा दिखाना—घमण्ड तोड़ना ।

नीला पीला होना—गुस्से में आना ।

नौ दो ग्यारह होना—एक दम चम्पत हो जाना ।

पगड़ी उछालना—बेइज्ज़ती करना ।

पगड़ी रखना—मान रखना ।

पट्टी पढ़ाना—बुरी सलाह देना ।

पत्थर की लकीर—दृढ़ ।

परदा डालना—छिपाना

पल्ला भारी होना—पक्ष बलवान होना ।

पहाड़ टूट पड़ना—भारी विपत्ति आना ।

पाँचों घी में—खूब लाभ होना ।

पाँव उखड़ जाना—हार कर भाग निकला ।

पाँव धो-धोकर पीना—अत्यन्त आदर करना ।

पाखाना निकलना—डर के मारे बुरा हाल होना ।

पानी का बुलबुला—क्षणभंगुर

पानी की तरह बहाना—उदारता से खर्च करना ।

पानी पानी होना—लज्जा से सिर नीचा होना ।

पानी भरना—अत्यन्त तुच्छ प्रतीत होना ।

पाप कटना—झगड़ा दूर होना ।

पाप मोल लेना—जान-बूझकर बखेड़े में फँसना ।

पापड़ बेलना—अनेक धन्धों में लगना ।

पीठ ठोकना—उत्साह बढ़ाना ।

पीठ दिखाना—हार कर भाग जाना ।

पुल बाँधना—बहुत बढ़ा कर कहना ।

पेट में चूहे नाचना—खूब भूख लगना ।

पैरों तले से ज़मीन निकल जाना—होश उड़ जाना ।

पोल खोलना—गुप्त भेद प्रकट करना ।

पौ बारह होना—खूब लाभ होना ।

प्राण हथेली पर लिये रहना—प्राण देने पर उतारू होना ।

फुस-फुस करना—धीरे-धीरे मन्त्रणा करना ।

फूक-फूक कर क़दम रखना—सोच-समझकर काम करना ।

फूट-फूट कर रोना—बहुत रोना ।

बन्दर घुड़की—ऐसी धमकी जिसका प्रभाव न हो ।

बगला भगत—कपटी, धूर्त्त ।

बगलें झाँकना—निरुत्तर हो जाना ।

बछिया का ताऊ—मूर्ख ।

बरस पड़ना—बहुत क्रुद्ध होकर डाँटने-डपटने लगना ।

बल्लियों उछलना—खूब खुश होना ।

बाँह पकड़ना—सहायता देना ।

बाँए हाथ का खेल—अति सुगम ।

बाग़-बाग़ हो जाना—आनन्दित हो जाना।

बाज़ार ज़ोरों पर होना—काम ज़ोरों पर होना।

बात का बतंगड़ बनना—तुच्छ कारण से बड़ा झगड़ा करना।

बात का धनी—वायदे का पक्का।

बाल की खाल उतारना—व्यर्थ में सूक्ष्म विवेचना करना।

बाल पकना—बूढ़ा हो जाना।

बाल-बाल बचना—हानि पहुँचने में ज़रा-सी कसर रह जाना।

बाल भी बाँका न होना—जरा भी हानि न होना।

बालू की भीत—शीघ्र नष्ट होनेवाला।

बीड़ा उठाना—जिम्मेवारी लेना।

बेगार टालना—दिल लगा कर काम करना।

बे-सिर-पैर की—असम्बद्ध।

बोलबाला होना—प्रसिद्ध होना।

बोली मारना—व्यंग्य के शब्द कहना।

भंडा फूटना—भेद खुलना।

भनक पड़ना—खबर का सुनाई दे जाना।

भाड़ झोंकना—व्यर्थ समय गँवाना।

भाड़े का टट्टू—किराये का आदमी।

भिड़ के छत्ते को छेड़ना—फ़सादी आदमी को छेड़ना।

मक्खी मारना—बेकार फिरना।

मक्खीचूस—बहुत कंजूस

मक्खी पर मक्खी मारना—ज्यों की त्यों नकल उतारना।

मन के लड्डू खाना—मन ही मन में खुश होना।

मग़ज़ चाटना—तंग करना।

माथा ठनकना—आशंका होना।

मारा मारा फिरना—दुर्गति करना।

मिट्टी करना—नष्ट करना।

मिट्टी के माधो—मूर्ख

मिट्टी पलीत करना—खराब करना।

मुँह ताकना—अकर्मण्य होकर दूसरे का आश्रय ढूँढ़ना।

मुँह तोड़ जवाब देना—पूरा पूरा जवाब देना।

मुँह धोना—आशा न करना।

मुँह में कालिख लगाना—अपमानित होना।

मुँह में खून लगना—चस्का पड़ना।

मुँह में पानी भर आना—खाने को ललचाना।

मुँह लगाना—अधिक स्वतन्त्रता दे देना।

मुट्ठी गरम करना—रिश्वत देना।

मुट्ठी में करना—वश में करना।

मोटा शिकार—मालदार आदमी।

मोम होना—दयार्द्र होना।

मौत का सिर पर खेलना—मौत करीब होना।

युग-युग—बहुत दिनों तक।

रंग चढ़ना—प्रभाव होना।

रंग-ढंग—दशा।

रँगा सियार—धोखेबाज़।

रफ़ूचक्कर होना—दौड़ जाना।

रात दिन—हमेशा ।

रास्ता देखना—प्रतीक्षा करना ।

लंकाकांड होना—खूब मारपीट होना ।

लँगोटिया यार—घनिष्ट मित्र

लम्बी चौड़ी हांकना—व्यर्थ बातें करना ।

लट्टू होना—मस्त होना ।

लहू के घूँट पीना—क्रोध रोकना ।

लहू पसीना एक होना—अति कष्ट उठाना ।

लुटिया डुबोना—काम बिलकुल बिगाड़ देना ।

लेने के देने पड़ना—लाभ के स्थान में हानि होना ।

लोहा मानना—अधीनता स्वीकार करना ।

लोहे के चने चबाना—अतिकष्ट ।

विष उगलना—दुर्वचन कहना ।

शैतान के कान कतरना—बहुत चालाक होना ।

श्रीगणेश करना—आरम्भ करना ।

सफेद झूठ—सरासर झूठ ।

सब्ज़ बाग़ दिखाना—बहकाना ।

समझ पर पत्थर पड़ना—बुद्धि भ्रष्ट होना ।

साँप-छछूँदर की दशा—दुविधा ।

सात घाट का पानी पीना—अनेक प्रकार का अनुभव होना ।

सात-पाँच—चालाकी ।

सिक्का बैठाना—प्रभुत्व जमाना ।

सितारा चमकना—भाग्य उदय होना ।

सिर-आँखों पर--सादर स्वीकृति।
सिर चढ़ाना--गुस्ताख बनाना।
सिर धुनना--हाथ मलना।
सिर नीचा होना—अप्रतिष्ठा होना।
सिर पर आजाना—बहुत समीप आजाना।
सिर पर खून सवार होना—मारने से न झिझकना।
सिर पर हाथ धरना—सहायता करना।
सिर पर सवार होना—पीछे लग जाना।
सिर से पैर तक—आरम्भ से अन्त तक।
सिर से कफ़न बाँधना—मरने को तैयार होना।
सीधे मुँह बात न करना--अभिमान करना।
सौ बात की एक बात—निचोड़।
सोने की चिड़िया हाथ से निकल जाना—लाभ का द्वार बन्द हो जाना।
स्वाहा करना—फूँक डालना।
हँसते-हँसते—प्रसन्नता से।
हँसी उड़ाना—व्यंग्य-पूर्ण निन्दा करना।
हजामत करना--लूटना।
हड्डियाँ निकल आना—शरीर दुबला होना।
हथियार डाल देना—हार मान लेना।
हराम का—बेईमानी से प्राप्त।
हवा उड़ना--झूठी खबर फैलना।
हवा से बातें करना—अति वेग से चलना।

हवा हो जाना—भाग जाना ।

हाँ में हाँ मिलाना—खुशामद कर दूसरे का मत मान लेना ।

हाथ उठाना—मारना ।

हाथ कटाना—प्रतिज्ञा आदि से बद्ध हो जाना ।

हाथ की मैल—तुच्छ ।

हाथ पर हाथ धरे बैठना—निकम्मा बैठना ।

हाथ के तोते उड़ जाना—अकस्मात् शोक-समाचार सुन कर डर जाना ।

हाथ खींचना—सहायता बंद कर देना ।

हाथ डालना—आरम्भ करना ।

हाथ तंग होना—खर्चने को धन थोड़ा होना ।

हाथ धोना—खो देना ।

हाथ धोकर पीछे पड़ना—बुरी तरह पीछे लगना ।

हाथ पकड़ना—सहायता देना ।

हाथ पसारना—माँगना ।

हाथ पैर जोड़ना—दीनता दिखाना ।

हाथ पैर-मारना—परिश्रम करना ।

हाथ साफ़ करना—बेईमानी से ठगना ।

हाथों हाथ—जल्दी ।

हुक्का-पानी बंद करना—बहिष्कार करना ।

होश उड़ाना—भय या आशंका से दुखी होना ।

प्रत्येक भाषा में कुछ ऐसे वाक्य भी प्रचलित होते हैं जो अपने विलक्षण अर्थों द्वारा किसी सचाई को प्रकट करते हैं ।

ऐसे वाक्य लोकोक्तियाँ कहलाते हैं। किसी आम सचाई को लोकोक्तियों द्वारा वर्णन करने से भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है। जैसे—कोई किसी काम की योग्यता न रखता हो पर अपनी अयोग्यता स्वीकार करने के स्थान पर कोई और नुक्स निकाले तो साधारणतया 'नाच न जाने आँगन टेढ़ा' इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। कुछ एक लोकोक्तियाँ नीचे दी जाती हैं—

अंधों में काना राजा—मूर्खों में थोड़े पढ़-लिखे का भी मान होता है।

अंत भले का भला—भले कार्य का परिणाम भला ही होता है।

अब पछताये होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत—समय निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है।

आँख के अंधे और गाँठ के पूरे—मूर्ख पर धनवान्।

आप मरे जग परलै—प्राण हैं तो संसार है।

उलटा चोर कोतवाल को डाँटे—अपराध करके किसी को डाँटना।

ऊँची दूकान फीका पकवान—दिखावटी काम होना।

एक पंथ दो काज—एक काम करने से दो काम या लाभ होना।

एक करेला दूसरा नीम चढ़ा—एक तो स्वयं खराब स्वभाववाला होना फिर संगत भी वैसी मिलना।

काला अक्षर भैंस बराबर—बिलकुल निरक्षर भट्टाचार्य।

कुम्हारी अपना ही भाँडा सराहती है—सब अपनी चीज को अच्छा कहते हैं।

कोयलों की दलाली में मुँह काला—बुरी संगति में बुराई ही मिलती है।

खोदा पहाड़ और निकला चूहा—बहुत परिश्रम करने पर साधारण लाभ होना।

घर का भेदी लंका ढाहै—पारस्परिक फूट से घर का नाश होता है।

चिराग़ तले अँधेरा—पास में ही किसी घटना के होने पर भी उसका ज्ञान न होना या किसी ऐसे स्थान पर बुराई का होना जहाँ उसके रोकने का प्रबंध हो।

जब तक साँसा तब तक आशा—मरने तक आशा लगी रहती है।

जागे सो पावे सोवे सो खोवे—सावधानी से रहने में लाभ होता है।

जिसकी लाठी उसकी भैंस—बलवान् पुरुष का दबदबा रहता है।

जैसी करनी वैसी भरनी—कर्मानुसार फल मिलता है।

जैसा मुँह वैसी चपेड़—सामर्थ्य के अनुसार बोझ डालना चाहिये।

जैसा देश वैसा भेष—जिस देश में रहे वैसी ही रीति ग्रहण करनी चाहिये।

तन को कपड़ा न पेट को रोटी—निहायत ग़रीब।

तेली जोड़े पली-पली रहमान लुटावे कुप्पा—कृपण का जोड़ा हुवा धन एकही कार्य मे खर्च होता है।

थोथा चना बाजे घना—काम न करनेवाला व्यक्ति बकवाद बहुत करता है

दाम बनावे काम—पैसे से सब काम हो जाते हैं।

दूर के ढोल सुहावने—दूर की चीज़ अच्छी लगती है।

धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का—जो एक ठिकाने से जम करे काम न करे, कभी एक काम में जाय कभी दूसरे में और किसी में भी सफल न हो उसे कहा आता है।

न रहेगा बाँस न बाजेगी बाँसुरी—जिससे नुक़सान हो उसका नाश ही कर देना अच्छा है।

नाच न जाने आँगन टेढ़ा—काम न करने की योग्यता न होने पर दूसरे को दोष देना।

नीम हकीम जान का खतरा--अधूरा ज्ञान हानिकर होता है।

नौ नगद तेरह उधार—उधार सौदा देना ठीक नहीं।

बेकार से बेगार भला--खाली रहने से बिना वेतन काम करना ही अच्छा है।

भागते चोर की लँगोटी ही सही--सब धन जाता हो तो उसमें से जो बचे वही बहुत है।

मान न मान मैं तेरा मेहमान—ज़बर्दस्ती गले पड़ना।

मियाँ की जूती मियाँ के सिर--किसी व्यक्ति की वस्तु से उसी की हानि करना।

साँप मरे न लाठी टूटे—सीधी तरह से बिना नुकसान के काम निकल जाना।

सौ स्याने एक मत्त—स्यानों अथवा चतुरों की एक सलाह होती है।

हाथ-कंगन को आरसी क्या--प्रत्यक्ष के लिये प्रमाण की आवश्यकता नहीं।

हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और--कहना कुछ और करना कुछ और।

होनहार बिरवान के होत चीकने पात--होनहार के लक्षण पहिले ही से दीख जाते हैं।

लोकोक्तियों तथा मुहावरों के विशेष ज्ञान के लिये श्रीबहादुरचन्द्र शास्त्री एम्. ए., एम-ओ-एल, लिखित तथा हिन्दी-भवन लाहौर द्वारा प्रकाशित "लोकोक्तियाँ और मुहावरे" नामक पुस्तक देखिये।

तीसरा अध्याय
वाक्य के भाग
१. खण्ड वाक्य और वाक्यांश

जिस पद समूह से कहने या लिखनेवाले का पूरा भाव प्रगट हो जाय उसे वाक्य कहते हैं। जैसे—मोहन पुस्तक पढ़ता है। राम पत्र लिखता है।

कई ऐसे पद समूह भी होते हैं जिनमें कर्त्ता और क्रिया के रहने पर भी कहने या लिखनेवाले का पूरा आशय प्रकट नहीं होता; जैसे—देवदत्त ने कहा था; कौन नहीं जानता। ऐसे पद-समूहों को वाक्य नहीं कहा जाता, क्योंकि इनसे कहनेवाले का पूरा भाव प्रकट नहीं होता। सुननेवालों को कुछ और सुनने की इच्छा बनी रहती है। इस प्रकार के पद समूह को जिसमें कर्त्ता-क्रिया के रहने पर भी कुछ सुनने की आकाँक्षा बनी रहे—खण्ड वाक्य कहते हैं।

खण्ड वाक्य दो तरह के होते हैं—एक प्रधान खण्ड वाक्य दूसरे आश्रित खण्ड वाक्य। आश्रित खण्ड वाक्य प्रधान खण्ड वाक्य के अधीन होते हैं। 'देवदत्त ने कहा था मैं कल आऊँगा' इसमें 'देवदत्त ने कहा था' यह प्रधान खण्ड वाक्य है और मैं कल आऊँगा' यह आश्रित खण्ड वाक्य। आश्रित खण्ड वाक्य प्रधान खण्ड वाक्य की क्रिया 'कहा था' का कर्म है। आश्रित खण्ड वाक्य और प्रधान खण्ड वाक्य को संक्षेप में आश्रित वाक्य और प्रधान वाक्य भी कहा जाता है।

परस्पर सम्बन्ध रखनेवाले शब्दों को जिनसे कुछ थोड़ा-सा ही भाव प्रकट होता है वाक्यांश कहते हैं। जैसे—सबेरे उठना, बाग में जाकर।

२. उद्देश्य और विधेय

प्रत्येक वाक्य के मुख्य दो भाग होते हैं—उद्देश्य (कर्ता) और विधेय (क्रिया)। वाक्य में जिसके विषय में कुछ विधान किया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य के विषय में जो कुछ विधान होता है (काम का होना या करना बताया जाता है) उसे विधेय कहते हैं। 'मेरा हाथ कभी खाली नहीं रहता' इस वाक्य में 'मेरा हाथ' उद्देश्य है और 'कभी खाली नहीं रहता, यह विधेय है। फिर 'मेरा हाथ'—इसमें भी 'हाथ' मुख्य है और 'मेरा' कहना उस हाथ का विस्तर करना है: इस लिए 'हाथ' उद्देश्य (कर्ता) और 'मेरा' उद्देश्य का विस्तार कहलावेगा। इसी प्रकार विधेय 'कभी खाली नहीं रहता' में भी क्रिया 'नहीं रहता' मुख्य है शेष उसका विस्तार है। इस प्रकार वाक्य के चार भाग हुए—(क) उद्देश्य (कर्ता) (ख) उद्देश्य का विस्तार, (ग) विधेय (क्रिया) तथा (घ) विधेय का विस्तार।

उद्देश्य (Subject) में चार शब्द भेद हो सकते हैं।

(क) संज्ञा; जैसे—'सत्यवती गई'

(ख) सर्वनाम; जैसे—'तुम पढ़ चुके'

(ग) विशेषण; जैसे—'गुणी ही मान पाते हैं'

(घ) वाक्यांश; जैसे—'सत्य बोलना धर्म है'

उद्देश्य का विस्तार

कभी उद्देश्य अकेला आता है और कभी कुछ शब्द उसके साथ जुड़े रहते हैं जो उसका विस्तार कहलाते हैं। उद्देश्य का विस्तार निम्नलिखित शब्द भेदों से होता है—

(क) विशेषण से, जैसे—**सुन्दर** वचन सब को भाता है।

(ख) सम्बन्ध कारक से, जैसे—**मेरा** हाथ खाली नहीं रहता।

(ग) समानाधिकरण से, जैसे—मैं **हरिदत्त** प्रतिज्ञा करता हूँ।

(घ) वाक्यांश से, जैसे—वह **अपमानित होकर भी** चुप रहा।

विधेय का विस्तार

साधारण विधेय में केवल एक क्रिया रहती है। जैसे—राम **पढ़ता** है, कृष्ण **खेलता** है। पर उद्देश्य की तरह विधेय का भी दूसरे शब्दों के जुड़ने से विस्तार हो जाता है। नीचे लिखे शब्द-भेदों से विधेय का विस्तार हो सकता है।

(क) यदि क्रिया सकर्मक हो तो उसके कर्म से, जैसे—रमेश **पुस्तक** पढ़ता है। (ख) यदि क्रिया अकर्मक हो तो पूरक से, जैसे—सुरेश बड़ा **नटखट** है। (ग) क्रियाविशेषण से, जैसे—हम **धीरे धीरे** चलेंगे। (घ) करण, सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण आदि कारकों से, जैसे—मोहन **चम्मच से** खाना खाता है। मोहन **देवदत्त के लिए** यह पुस्तक दे गया है। वह तुम्हें **हृदय से** चाहता है। **वृक्ष से** फल गिरता है। रुपये **ट्रंक में** पड़े हैं। पूर्वकालिक क्रिया या क्रियाद्योतक कृदन्त से, जैसे—**खाना खाकर** जाऊँगा। **भूख के मारे** मर गया।

चौथा अध्याय
वाक्य के भेद और विग्रह

रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद हैं--१. सरल या साधारण, २. मिश्रित, ३. संयुक्त।

१. सरल वाक्य—जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय रहता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे—'राम खेलता है' इसमें 'राम' यह एक उद्देश्य है और 'खेलता है' यह एक विधेय। 'रमेश की पुस्तक इस कमरे में पड़ी है' यह भी सरल वाक्य है। इसमें भी 'पुस्तक' यह एक उद्देश्य है और 'पड़ी है' यह एक विधेय। 'रमेश की' और 'इस कमरे में' केवल उद्देश्य और विधेय के विस्तार हैं।

२. मिश्रित वाक्य—जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और उसके आश्रित एक या अधिक उपवाक्य हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे--'मैंने सुना है कि वह वहाँ पहुँच गया है' इसमें 'मैंने सुना है' यह प्रधानवाक्य है और 'वह वहाँ पहुँच गया है' यह उसका आश्रित वाक्य है।

आश्रित वाक्य तीन प्रकार के होते हैं--(क) संज्ञावाक्य, (ख) विशेषण वाक्य, (ग) क्रिया विशेषण वाक्य।

(क) संज्ञा वाक्य—जिस आश्रित वाक्य का प्रयोग प्रधान-वाक्य की किसी संज्ञा (कर्ता, कर्म या पूरक आदि) की जगह होता है उसे संज्ञा वाक्य कहते हैं। जैसे--'कौन नहीं जानता

कि **दो और दो चार होते हैं** इस में 'दो और दो चार होते हैं' यह आश्रित वाक्य है और 'जानता' क्रिया का कर्म है। इसलिए इसे संज्ञा वाक्य कहेंगे। **मैंने तुम्हारी शिकायत की** यह बिलकुल झूठ है' इसमें 'मैंने तुम्हारी शिकायत की' यह आश्रित वाक्य 'है', क्रिया के कर्ता की जगह आया है।

संज्ञा वाक्य प्रायः 'कि' योजक से शुरू होता है पर जब प्रधान वाक्य के पूर्व आवे तो 'यह' द्वारा मिलाया जाता है।

(ख) विशेषण वाक्य—जब कोई आश्रित वाक्य प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा के विशेषण का काम देता है तब उसे 'विशेषण वाक्य' कहते हैं। जैसे—वे लोग, **जिन्हें बाप-दादे का कमाया हुआ रुपया मिल जाता है,** रुपयों की कदर नहीं जानते। 'उस पुस्तक को लेकर मैं क्या करूंगा **जिसके आदि-अन्त के पृष्ठ फटे हुए हों।**' 'उसी हाथ से **जो कल छुरी से कट गया था,** मैं आज लिख सकता हूँ।' 'राम का, **जिसने हज़ारों वर्ष पहले रावण को पछाड़ा था,** नाम आज भी आदर से लिया जाता है'। इन वाक्यों में मोटे टाइप में दिये गए आश्रित वाक्य विशेषण के रूप में आए हैं। पहला आश्रित वाक्य 'लोग' (कर्ता) का विशेषण है, दूसरा 'पुस्तक' (कर्म) का, तीसरा 'हाथ' (करण) का और चौथा 'राम' (सम्बन्ध कारक) का।

विशेषण-वाक्य जो, जिसने, जैसा, जिन्हें आदि शब्दों से प्रारम्भ होते हैं। कभी कभी जो आदि शब्द लुप्त भी रहते हैं। जैसे—सच हो सो कह दो।

(ग) क्रियाविशेषण वाक्य—जो आश्रित वाक्य किसी क्रिया के विशेषण का काम देता है उसे 'क्रिया विशेषण वाक्य' कहते हैं। जैसे—**जब तुम आओगे** मैं तुम्हारे साथ चल दूँगा'। '**जहाँ पहले सुन्दर नगर थे** वहाँ अब एक भी मनुष्य नहीं दीखता'। 'बच्चे **जैसा दूसरों को करते देखते हैं** करने लगते हैं'। '**जितना वह खाता है** उतना दो मनुष्य नहीं खा सकते' इनमें मोटे टाइप में दिए गए वाक्य क्रमशः कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रियाविशेषण हैं।

क्रियाविशेषण-वाक्य जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यदि, यद्यपि, आदि शब्दों से आरम्भ होते हैं और प्रधान-वाक्यों में उनके नित्यसम्बन्धी शब्द होते हैं।

३. संयुक्त वाक्य—जिनमें दो या दो से अधिक सरल अथवा मिश्रित वाक्य परस्पर निरपेक्षरूप में (एक दूसरे पर आश्रित न होकर) मिलते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये चार प्रकार के हैं—

(क) संयोजक—इन में एक वाक्य दूसरे के साथ योजक द्वारा जुड़ा रहता है। जैसे—तुम गये और वह आ गया। स्नान से शरीर शुद्ध होता है और सत्य से मन।

(ख) विभाजक—इन में वाक्यों का एक दूसरे से भेद या विरोध का सम्बन्ध रहता है। जैसे—मैंने कहा तो था पर वह माना नहीं; प्रिय बोलना चाहिए पर असत्य नहीं। मैं जीता हूँ न कि श्याम।

(ग) विकल्पसूचक—इनमें दो बातों में से एक का स्वीकार

होना पाया जाता है। जैसे—देशहितैषी बनो या देशद्रोही कहलाओ। या मुझे पूरे पैसे दीजिए या ये भी रख लीजिए।

(घ) परिणाम बोधक अथवा हेतु सूचक—इन में एक वाक्य दूसरे का परिणाम होता है। कल यहाँ संगीत-सम्मेलन है अतः तुम जरूर आना। आज मैं बहुत थका हुआ हूँ इसलिए तुम्हें पढ़ा न सकूँगा।

जब संयुक्तवाक्य के उपवाक्यों का उद्देश्य या विधेय एक ही होता है तो उसे एक ही बार कहा या लिखा जाता है। ऐसे वाक्यों को '**संकुचित संयुक्त वाक्य**' कहते हैं; जैसे—धर्म इस लोक को ही नहीं परलोक को भी सुधारता है। बहुधा वाक्य में ऐसे शब्दों को जो आसानी से समझ में आ सकते है, छोड़ दिया जाता ह। इस प्रकार के वाक्यों को संक्षिप्त वाक्य कहते हैं; जैसे—(   ) सुना है। (   ) कहते हैं। विग्रह करते करते समय इन लुप्त भागों को लिख दिया जाता है।

वक्य के उद्देश्य विधेय तथा दूसरे अंशों को अलग अलग करके दिखाने की रीति को वाक्य-विग्रह कहते हैं। तीनों तरह के वाक्यों के विग्रह की विधि आगे अलग अलग दी जाती है। पहले वाक्य का प्रकार निश्चय कर लेना चाहिए; फिर आगे दी हुई विधि के अनुसार उसका विग्रह करना चाहिए।

१ सरल वाक्य का विग्रह

सरल वाक्य के विग्रह में नीचे लिखी बातें दिखानी चाहिए।

१—उद्देश्य पद (कर्ता)।

२—उद्देश्य पद (कर्ता) का जिन पदों द्वारा विस्तार किया गया हो वे पद।

३—विधेय पद (क्रिया), यदि क्रिया का कोई पूरक हो तो वह भी साथ ही दिखाना चाहिए।

४—विधेय का विस्तार। इसमें पहले यदि कर्म हो तो उस का निर्देश करना चाहिए, कर्म का यदि कोई विस्तार हो तो उसे भी साथ ही दिखा देना चाहिए, और उसके बाद क्रियाविशेषण तथा अन्य जिन पदों से क्रिया का विस्तार हुआ हो उन्हें दिखाना चाहिए।

२. मिश्रित वाक्य का विग्रह

मिश्रित वाक्य के विग्रह में प्रधान खण्ड वाक्य कौन है; और आश्रित वाक्य कौन है यह निर्देश करके यह बताया जाता है कि अश्रित खण्ड वाक्य संज्ञा-वाक्य है, विशेषण-वाक्य है, या क्रियाविशेषण वाक्य है। तत्पश्चात् प्रत्येक खण्ड-का विग्रह अलग अलग सरल वाक्य की तरह किया जाता है।

३. संयुक्तवाक्य का विग्रह

संयुक्तवाक्य के विग्रह में जिन परस्पर निरपेक्ष (प्रधान) वक्यों के मेल से संयुक्तवाक्य बना हो उनको और उनके योजकों को अलग अलग दिखाना चाहिए और अनन्तर प्रत्येक वाक्य का (जो चाहे साधारण हो या मिश्रित) पहले लिखी रीति से विग्रह करना चाहिए।

———

सरल वाक्य का विग्रह

वाक्य	उद्देश्य-विस्तार		विधेय और विधेय का विस्तार				
	कर्ता	कर्ता का विस्तार	क्रिया	क्रिया पूरक	कर्म	कर्म का विस्तार	क्रिया विशेषण आदि
१. अंग्रेजों ने कर्मनासा तक उसका पीछा किया	अंग्रेजों ने	....	किया	....	पीछा	उसका	कर्मनासा तक
२ कल से पानी बरस रहा है।	पानी	....	बरस रहा है	......	....	....	कल से
३ यह आदमी अदालत के उस मुंशी से सरकारी चिट्ठी लिखवाता है।	आदमी	यह	लिखवाता है	....	चिट्ठी	सरकारी	अदालत के उस मुंशी से
४ नारायणदास सा चतुर आदमी भी उस बदमाश को भद्रपुरुषसमझता रहा	आदमी	नारायणदास सा चतुर	समझता रहा	भद्रपुरुष	बदमाश को	उस	भी

मिश्रित वाक्य का विग्रह

वाक्य	वाक्य खण्ड के भेद	योजक	उद्देश्य-विस्तार		विधेय और विधेय का विस्तार				
			कर्त्ता	कर्ता का विस्तार	क्रिया	पूरक	कर्म	कर्म का विस्तार	क्रिया विशेषण आदि
जो धैर्य से कार्य करते हैं	आश्रित खंड वाक्य (कर्ता का विशेषण)		जो		करते हैं		कार्य		धैर्य से
वे अवश्य सफल होते हैं	प्रधान खंड वाक्य		वे		होते हैं	सफल			अवश्य
तब आप पढ़ा करते थे	प्रधान खण्ड वाक्य		आप		पढ़ा करते थे				तब
जब मैं आप के पास नौकर था	आश्रित खंड वाक्य (क्रिया विशेषण)		मैं		था	नौकर			जब आपकेपास
देवदत्त ने कहा	प्रधान खण्ड वाक्य		देवदत्त ने		कहा				
कि मेरे भाई को दो महीने की सजा हो गई है।	आश्रित खंड वाक्य संज्ञा (कर्म)	कि	सजा	दो महीने की	हो गई है				मेरे भाई को

संयुक्त वाक्यों का विग्रह

वाक्य	वाक्य-खण्डों के भेद	योजक	उद्देश्य-विस्तार		विधेय तथा उसका विस्तार				
			कर्त्ता	कर्त्ता का विस्तार	क्रिया	पूरक	कर्म	कर्म का विस्तार	क्रिया विशेषण आदि
मैं नौकरी करूँगा,	सरल	पर	मैं		करूँगा		नौकरी		
पर आधा वेतन पहले लूँगा	सरल				लूँगा		वेतन	आधा	पहले
सिंह में सूँघने की शक्ति तीक्ष्ण नहीं होती।	सरल	इसलिए	शक्ति	सूँघने की	होती है				सिंह में, तीक्ष्ण, नहीं
इसलिए जब कोई शिकार उसकी दृष्टि से बाहर हो जाता है	आश्रित वाक्य (क्रियाविशेषण) मिश्रित		शिकार	कोई	हो जाता है				जब, उसकी दृष्टि से बाहर
तब वह अपनी जगह को लौट जाता है।	प्रधान वाक्य		वह		लौट आता है		जगह को	अपनी	तब
भाप जब ज़मीन के पास इकट्ठी हो जाती है	आश्रित वाक्य (क्रियाविशेषण)		भाप		हो जाती है	इकट्ठी			जब, ज़मीन के पास
तब उसे कुहरा कहते हैं	मिश्रित प्रधान वाक्य		(लोग)		कहते हैं		उसे, कुहरा		तब
और जब वह हवा में कुछ ऊपर इकट्ठी होती है	आश्रित वाक्य (क्रियाविशेषण)	और	वह		होती है	इकट्ठी			जब, हवा में कुछ ऊपर
तब उसे मेघ कहते हैं	मिश्रित प्रधान वाक्य		(लोग)		कहते हैं		उसे, मेघ		तब

पाँचवाँ अध्याय

चिह्न-विचार (Punctuations)

बातचीत करने में हम शब्दों का उच्चारण एक ही प्रवाह में—एक समान गति में नहीं करते। जहाँ-तहाँ थोड़ा-बहुत ठहर जाते हैं, जिससे सुननेवाला हमारा अभिप्राय ठीक तरह जान जाता है। पढ़नेवाला हमारे अभिप्राय को अन्यथा न समझे, इसीलिए लिखने में भी कहाँ-कहाँ हम कितना कितना ठहरे हैं, कहाँ हमारी बात पूर्ण समाप्त हो जाती है, कहाँ-कहाँ हम अपने किन-किन मनोभावों को प्रकट कर रहे हैं, इसके लिए भिन्न-भिन्न चिह्न नियत किये गये हैं। इन चिह्नों को विराम (विश्राम या ठहराव) चिह्न कहा जाता है। मुख्य विराम-चिह्न ये हैं—

अल्पविराम (कामा)	,	अर्धविराम (सेमीकोलन)	;
अपूर्ण विराम (कोलन)	:	पूर्ण विराम (पाई)	।
प्रश्नबोधक	?	विस्मयादिबोधक	!
निर्देशक (डैश)	—	योजक (हाइफन)	-
कोष्ठ (ब्रैकट)	( )	उद्धरण-चिह्न	" "
लाघव चिन्ह	०		

१. अल्पविराम—पढ़ते समय जिस स्थान पर बहुत थोड़ा ठहरना हो, वहाँ अल्पविराम (,) लगाया जाता है। इसका प्रयोग प्रायः निम्नलिखित स्थानों में होता है—

(क) जब एक ही तरह के बहुत से पद, वाक्यांश या वाक्य

इकट्ठे आ जायँ और उनमें कोई योजक पद न हो तो उनके बीच में अल्पविराम लगाया जाता है। जैसे--राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अयोध्यापति के बेटे थे। भारतवर्ष में राजा हरिश्चन्द्र जैसे सत्यवादी, दधीचि जैसे आत्मत्यागी, शिवाजी जैसे गो-प्रति-पालक, गुरु गोविंदसिंह जैसे धर्मवीर राजा हुए हैं। मनुष्य विशेष को ही देवता कहते हैं, जिसका शरीर पुष्ट और नीरोग हो, जिसका मन सत्य और पवित्र हो, जिसकी बुद्धि प्रखर और प्रतिभा-पूर्ण हो, जिसकी आत्मा दृढ़ और निडर हो, जिस की वाणी में सत्य और मिठास हो और जिसके कर्म में प्रेम और कर्त्तव्य-परायणता हो, वही देवता है।

(ख) सम्बोधन के बाद; जैसे—देवदत्त, इधर आओ। जब सम्बोधन वाक्य के बी च में आ जाय तो उसके पहले भी अल्प विराम लगता है। जैसे--सुनो, लड़को, आज तुम्हें बड़ी अच्छी बात बतावेंगे।

(ग) जहाँ परस्पर सम्बन्ध रखनेवाले दो शब्दों के बीच में कोई पद वाक्यांश या उपवाक्य आकर उन्हें अलग अलग कर दे तो उनके दोनों ओर अल्पविराम लगा देते हैं; जैसे--राजा का, चाहे वह विदेशी हो या स्वदेशी, यह कर्त्तव्य है कि वह अपनी प्रजा का पुत्रवत् पालन करे।

(घ) 'वह' 'यह' या नित्य संबन्धी शब्दों के जोड़ का दूसरा शब्द यदि लुप्त हो तो वहाँ भी अल्पविराम लगाया जाता है, जैसे--कब तक वह आवेगा, कहा नहीं जा सकता है। वह जहाँ जाता है, बैठ जाता है।

(ङ) उक्ति या उद्धरण से पूर्व—राम ने कहा, "मेरी मदद करो।"

(च) यदि संयुक्त वाक्य के दूसरे वाक्य का आरम्भ इससे, अतएव, इसलिये, तभी, वरन, किन्तु, परन्तु, पर, क्योंकि, आदि शब्दों से हो तो उसके पहले भी अल्पविराम प्रयुक्त होता है। वह सत्यवादी है, इसीलिये सब उसे प्यार करते हैं। गोपाल साल भर बीमार रहा, तो भी वह पास हो गया। मैं आपके यहाँ जरूर भोजन करता, परन्तु अभी मैंने स्नान भी नहीं किया।

(छ) विषय को स्पष्ट जतलाने और सम्बन्ध को विशेषतया स्पष्ट करने के लिए भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे—देखो वाल्मीकि रामायण, अयोध्याकाण्ड, १०वाँ सर्ग, ३०वाँ श्लोक।

२ अर्धविराम—यह चिह्न (;) वहाँ दिया जाता है जहाँ अल्पविराम से अधिक देर तक ठहरना उचित हो अथवा जहाँ किसी वाक्य के दो भागों में से पहला अपने अर्थ में पूर्ण हो और दूसरा उसकी व्याख्या आदि करता हो, जैसे—यह सुनते ही सब जगह खुशियाँ होने लगीं; बाजे बजने लगे; मिठाइयाँ बँटने लगीं। "विशाल विश्व में यदि कोई ईश्वर हो तो मैं हूँ; धर्म हो तो मैं हूँ; प्रभु हो तो मैं हूँ।"

३ अपूर्णविराम—किसी वक्तव्य को कुछ अलग करके बताना हो तो उसके पहले (:) लगाते हैं, जैसे—निम्नलिखित का अर्थ करो:—"जिन ढूँढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ।"

४ पूर्णविराम—प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर पूर्णविराम आता है। जैसे—हिन्दी को अपनाओ। माता पिता की आज्ञा

माननी चाहिये। कविता में पूर्वार्द्ध के बाद पूर्णविराम की एक पाई (।) तथा समाप्ति के बाद दो पाई (॥) लगती हैं। जैसे—

"अजगर करै न चाकरी पंछी करै न काम।
दास 'मलूका' कह गये, सब के दाता राम॥"

५ **प्रश्नचिह्न**—प्रश्न का बोध कराने के लिए पूर्णविराम के स्थान में यह (?) चिह्न आता है; जैसे—सन्धि किस कहते हैं?

६ **विस्मय-बोधक**—विस्मय, शोक, हर्ष, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए जो शब्द आते हैं उनके आगे यह (!) चिह्न लगता है। जैसे—धन्य धन्य ! वाह वाह ! "हाय मेरी अन्धी की लकड़ी कौन छीन ले गया !" नीच ! पापी ! हत्यारे !

सम्बोधन में भी इस चिह्न का प्रयोग होता है। जहाँ किसी को साधारण तौर पर सम्बोधन करना हो वहाँ अल्प-विराम (,) लगता है पर जहाँ किसी को दूर से या मनोविकार (क्रोध, आश्चर्य) आदि के साथ बुलाना हो वहाँ विस्मय-बोधक (!) चिह्न लगाया जाता है। नाटकों में सम्बोधन के बाद प्रायः विस्मयबोधक चिह्न का प्रयोग होता है।

७ **निर्देशक**—इसका प्रयोग प्रायः नीचे लिखे स्थानों में होता है। —

(क) विषय विभाग-सम्बन्धी प्रत्येक शीर्षक के आगे और जहाँ उदाहरण देना हो वहाँ; 'जैसे' या 'यथा' आदि शब्दों के आगे।

(ख) वार्तालाप विषयक लेखकों में वक्ता के नाम के आगे या जहाँ किसी की उक्ति शुरू हो वहाँ 'कहा' 'बोला' 'पूछा' आदि शब्दों के आगे। जैसे—

"अमर सिंह—द्वारपाल !

द्वारपाल—जो आज्ञा, पृथ्वीनाथ।"

"अन्त में ठाकुर ने पूछा—आप के पास वे चिट्ठियाँ तो होंगी। देवदत्त सम्हलकर बोले—सम्भवतः हों।"

(ग) यदि वाक्य के बीच में कोई स्वतन्त्र पद, वाक्यांश या वाक्य आ जाय तो उसके दोनों ओर भी इसका प्रयोग होता है; जैसे—मेरे पति ने—ईश्वर उनकी रक्षा करे—विदेश यात्रा की है।

(घ) वाक्य में किसी पद का अर्थ अधिक स्पष्ट करना हो या किसी बात को दोहराना हो तो भी इसका प्रयोग होता है। जैसे—ऐसे बहुत थोड़े—हज़ारों में से एक—मनुष्य होंगे। "यह उसकी एक दृष्टि पर न्यौछावर है—केवल एक दृष्टि पर।"

८. **योजक**—समस्त शब्दों में जहाँ सन्धि या संयोग न हुआ हो वहाँ प्रायः इस चिह्न को (-)लगाया जाता है। यह चिह्न प्रगट करता है कि इसके दोनों तरफ के शब्द परस्पर मिले हुए हैं। जैसे—माता-पिता, पाँच-सात, सुबोध-हिन्दी-व्याकरण।

(क) लिखते समय यदि कोई शब्द पंक्ति में पूरा न लिखा जा सके तो जितना भाग लिखा जाय उसके आगे यह चिह्न (-) लगा कर शेष भाग दूसरी पंक्ति में लिख देते हैं। जैसे—लिख-ते लिखते मेरा हाथ थक गया.........।

कोष्ठचिह्न—कोष्ठ के अन्दर किसी पद वा वाक्य का अर्थ रखा जाता है। जैसे—बातों का क्रम (सिलसिला) जारी रहना चाहिये। नाटकों में अभिनय की प्रक्रिया को प्रकट करने के लिये भी कोष्ठ का प्रयोग होता। जैसे—

"विजय (नेपथ्य से)—हमें न दिखाओगे पिताजी ?

(दौड़ते हुए प्रवेश)

विजय—(चौंक कर) यह क्या ? नंगी तलवार !"

१० उद्धरण—दूसरे की उक्ति को जहाँ अविकृत रूप में लिखा जाता है वहाँ उसके दोनों ओर (" ") यह चिह्न दिया जाता है। जैसे—गुरुजी ने कहा था—"जिसको पाठ याद न होगा उसे दण्ड मिलेगा।"

११. लाघव चिह्न—जो शब्द बहुत प्रसिद्ध हो या जिसे बार-बार लिखने की आवश्यकता पड़े उसका पहला अक्षर लिख कर आगे लाघव चिह्न लगा देते हैं। जैसे—संवत्—मिति, तिथि आदि की जगह सं०, मि०, ति०।

अभ्यास

१. पदों का मेल क्या होता है ? संज्ञा और सर्वनाम का मेल किन नियमों से होता है ?

२. यदि दो एकवचनान्त पद 'और' अथवा 'या' से जुड़े हों तो क्रिया में कौन वचन होगा ? यदि कर्ता भिन्न-भिन्न पुरुषों के हों तो क्रिया किस पुरुष में होगी।

३. वाक्य में शब्दों का क्रम किस तरह होता है ? सम्बन्ध कारक कहाँ रहता है ?

४. वाक्य, खण्डवाक्य और वाक्यांश में क्या भेद है ?

५. खण्ड वाक्य के कितने भेद हैं ?

६. उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं ?

७. उद्देश्य में कौन कौन से शब्द हो सकते हैं ?

८. ऐसा वाक्य बनाओ जिसमें विशेषण उद्देश्य की तरह प्रयुक्त हो।

९. उद्देश्य का विस्तार किन किन शब्दों से होता है और विधेय का किन किन शब्दों से।

१०. रचना के अनुसार वाक्य कितनी तरह के हैं ?

११. मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में क्या भेद है ?

१२. आश्रित-खण्ड-वाक्य कितनी तरह के होते हैं ? प्रत्येक के दो उदाहरण दो

१३. संयुक्त वाक्य कितनी तरह के होते हैं ?

१४. नीचे लिखे उद्धरण में विराम-चिह्न लगाओ।

विशाल विश्व में यदि कोई ईश्वर हो तो मैं हूँ धर्म हो तो मैं हूँ प्रेम हो तो मैं हूँ मैं सत्य हूँ मैं शिव हूँ मैं सुन्दर हूँ मैं सत् हूँ मैं चित् हूँ मैं आनन्द हूँ मैं ममता हूँ मैं रुपया हूँ।

मेरी झनझनाहट में जो अलौकिक मधुरिमा है वह वीणापाणि की वीणा में कहाँ लक्ष्मीपति के पाञ्चजन्य में कहाँ कोकिल-कल काकली में कहाँ कामिनी के कोमल कण्ठ में कहा यहा कहाँ वहाँ कहाँ मैं सप्त स्वरों से ऊपर अष्टम स्वर हूँ परम मधुर हूँ मैं रुपया हूँ।

गीता के गायको चण्डी सप्तशती के पाठको भागवत के भक्तो सत्यनारायण कथा के प्रेमियो मेरा गीत गाओ मेरा पाठ पढो मेरे भक्त बनो तरनतारन मैं हूँ भव भय हरण मैं हूँ अशरण शरण मैं हूँ जन दुख हरण मैं हूँ धवल वरण मैं हूँ मङ्गल करण मैं हूँ मैं रुपया हूँ।

समाप्त